बापू को न बचा सका

लेखक

डा० जगदीशचन्द्र जैन,

एम० ए०, पी० एच० डी०

प्रकाशक

जागरण साहित्य मन्दिर

कमच्छा, बनारस

लेखक की अन्य कृतियाँ

स्याद्वादमंजरी (संस्कृत)

श्रीमद् राजचन्द्र

जम्बूस्वामिचरित (संस्कृत)

महावीर वर्धमान

आज़ादी की लड़ाई और सुभाष बाबू

दो हज़ार वर्ष पुरानी कहानियाँ (जैन कहानियाँ)

हमारी रोटी की समस्या

हमारी कपड़े की समस्या

प्राचीन भारत की कहानियाँ (बौद्ध कहानियाँ)

Life in Ancient India as depicted in yain Canons

भारत के प्राचीन जैन तीर्थ (प्रेस में)

सम्प्रदायवाद (गांधी-हत्या की पृष्ठभूमि) (प्रेस में)

I Conld not save Bapu (प्रेस में)

मैं साफ़-साफ़ कह देना चाहता हूँ कि जिन मुसलमानों में हकीम साहब जैसे आदमी हुए हैं, वे अगर हिन्दुस्तानी संघ में पूरी हिफ़ाज़त से न रह सके, तो मैं जीना पसन्द नहीं करूँगा। मुझे बताया गया है कि हिन्दुस्तानी संघ के सारे मुसलमान पाँचवीं क़तार के आदमी हैं. सब को एक साथ समेटनेवाली इस निन्दा पर मैं भरोसा नहीं करता।

महात्मा गांधी, प्रार्थना-भाषण १३-९-१९४७

आप मुसलमानों के साथ अन्याय करके न्याय नहीं पा सकते। इसके अलावा, अगर यह सच है कि पाकिस्तान में अल्पमतवालों यानी हिन्दुओं और सिक्खों के साथ बुरा बर्ताव किया गया, तो यह भी सच है कि पूर्व पंजाब में भी अल्पमत वालों यानी मुसलमानों के साथ बुरा बर्ताव किया गया है।

महात्मा गांधी, प्रार्थना-भाषण, १७-९-४७

जब मैं नौजवान था और राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानता था, तब से मैं हिन्दू-मुसलमान वग़ैरह के हृदयों के ऐक्य का सपना देखता आया हूँ। मेरे जीवन के सन्ध्याकाल में अपने उस स्वप्न को सिद्ध होते देखकर मैं छोटे बच्चे की तरह नाचूँगा।

महात्मा गांधी, प्रार्थना-भाषण, १४-१-४८

मुझको तब तक परम शान्ति मिलनेवाली नहीं जब तक यहाँ के शरणार्थी, जो पाकिस्तान से दुःखी होकर आये हैं, अपने घरों को वापस न जा सकें और जो मुसलमान यहाँ से हमारे डर से और मारपीट से भागे हैं और वापस आना चाहते हैं, वे आराम से यहाँ न रह सकें।

महात्मा गांधी, प्रार्थना-भाषण, १८-१-४८

उन स्त्री-पुरुषों को

जो सम्प्रदायवाद और हर प्रकार की धर्मान्धता
की जड़ शोषण को ख़तम करने के लिए
तन-मन से प्रयत्नशील हैं ताकि
भविष्य में गांधीजी जैसी
महान् आत्माओं की
नृशंस हत्या
न हो।

प्राक्कथन

महात्मा गांधी के हत्याकाण्ड के मुक़दमे से जो मेरा सम्बन्ध रहा है, और इस मुक़दमे में जो मुझे गवाही देना पड़ा है, उसमें मुझे अनेक प्रकार के नये अनुभव हुए। दिल्ली की स्पेशल अदालत के समाने भी मैं इस सम्बन्ध में सब बातें नहीं कह सका। अदालत में मुझसे जो कुछ पूछा जाय मैं उसी का उत्तर दे सकता था, व्याख्या करने की अथवा बिना पूछी हुई बातों के उत्तर देने की, वे चाहे जितनी ज़रूरी हों, गुंजायश वहाँ न थी। मुक़दमे में गवाही देकर जब मैं दिल्ली से लौटा तो मेरे अनेक स्नेही मित्रों तथा विद्यार्थियों ने इस विषय में कुछ लिखने का अनुरोध किया। मेरे लिए भी दूसरा कोई मार्ग न था।

मैं भली भाँति जानता हूँ कि सत्य कटु होता है और सत्य कहनेवाले को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी न्याय और सत्य की भावना से प्रेरित होकर मैं इस पुस्तक का लिखना आवश्यक समझता हूँ। पुस्तक पढ़कर, पाठक अनुमान लगा सकेंगे कि "आज़ाद" हिन्दुस्तान में भी एक साधारण व्यक्ति को अपने कर्तव्य-पालन में कितनी बाधाओं

का सामना करना पड़ता है। मुझे विश्वास है कि मेरे देशवासी मेरे इस तुच्छ प्रयत्न को सराहेंगे।

अन्त में मैं जागरण साहित्य मन्दिर के संचालक श्री सतीश कुमार श्रीवास्तव तथा श्री रामायण राय का अत्यन्त ऋणी हूँ जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन करने का साहस प्रदर्शित किया जब कि अन्य अनेक प्रकाशकों ने पुस्तक को छापने से इन्कार कर दिया था।

२८, शिवाजी पार्क
बम्बई २८

जगदीशचन्द्र जैन

दो शब्द

बापू का जीवन सत्य के लिए किये गये नाना प्रयोगों की एक मनहारी माला है, जो मानवता की ग्रीवा में अनन्तकाल तक सुशोभित रहेगी। किन्तु सत्य के साधक की मृत्यु रहस्य रह गया, यह हमारे लिये अत्यन्त लज्जा की बात थी। अतेव हम इसके रहस्योद्घाटन में संलग्न हो गये। 'जनवाणी' सम्पादक श्री बैजनाथसिंह 'विनोद' की कृपा से हमारा सम्पर्क प्रस्तुत पुस्तक के लेखक डा० जगदीश चन्द्र जैन से हुआ।

डा० जगदीशचन्द्र जैन गांधी-हत्या काण्ड के मुक़दमे में प्रमुख गवाह थे। जिन लोगों ने उनकी गवाही अखबारों में पढ़ी है वे अनुमान लगा सकते हैं कि डा० जैन कितने साहसी और निर्भीक हैं। महात्मा गांधी को बचाने के लिए उन्होने घोर प्रयत्न किया। बम्बई सरकार के गृहमन्त्री और प्रधानमन्त्री को षड्यन्त्र की पहले से सूचना देकर। महात्मा गांधी की हत्या के पश्चात् जब उन्होने सरकार के मन्त्रियों की अक्षम्य असावधानी की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया तो उन लोगों ने जेल की धमकियाँ देकर उनका स्वागत किया। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट के जज श्री आत्माचरण ने डा० जैन की सचाई और ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए अपने फ़ैसले में कहा है "कि उन्होंने (डा० जैन) जिस व्यग्रता से एक के बाद एक सरकार के अधिकारियों के पास पहुँचने का उद्योग किया, उससे यह स्पष्ट है कि उन्हें जो कुछ

षड्यन्त्र के विषय में मालूम था उसे वे किस तत्परता से प्रकट करना चाहते थे।

डा० जैन हिन्दू विश्वविद्यालय; बनारस के एम० ए० तथा बम्बई विश्वविद्यालय के पी० एच० डी हैं। आप बम्बई के रामनारायण रुइया कालेज में अर्धमागधी तथा हिन्दी के प्रोफ़ेसर हैं। हिन्दी और अंग्रेजी में आपने अनेक ग्रन्थों की रचना की है। 'लाइफ़ इन एन्शियेन्ट इण्डिया एज़ डिपिक्टेड इन जैन कैनन्स' (जैन आगमों में सामाजिक अवस्था का चित्रण) नामक आपका विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ जैन आगमों के गम्भीर अध्ययन के पश्चात् लिखा गया है। अर्थशास्त्र और राजनीति सम्बन्धी विषयों पर भी आपने लिखा है।

विद्वान् और विचारक होने के साथ डा० जैन राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी हैं। सन् १९३० के राष्ट्रीय आन्दोलन में आपने भाग लिया था, तथा सन् १९४२ के आन्दोलन में भारत सरकार ने आपको नज़रबन्द कर रक्खा था।

प्रस्तुत पुस्तक को लिखकर डा० जैन ने इतिहासज्ञों मानवता के तथा आगामी पीढ़ी की सन्तानों के लिए एक महान कार्य सम्पादित किया है। इसके लिए, मानवता सदा उनकी ऋणी रहेगी।

प्रथम संस्करण का कार्य हमें शीघ्रता तथा अनेक कठिनाइयों के बीच करना पड़ा है अतेव छापे सम्बन्धी भूलों का रह जाना स्वाभाविक है। इसके लिए हम उदार पाठकों से क्षमाप्रार्थी हैं।

रामायण राय
व्यवस्थापक
प्रकाशन विभाग
जागरण साहित्य मन्दिर

कमच्छा, बनारस
ता० २५-२-४९

उपसंहार

महात्मा गांधी की हत्या के ३७५ दिन बाद मुक़दमा समाप्त हो गया। दिल्ली की स्पेशल अदालत की ओर से अभियुक्तों को सज़ायें सुना दी गईं, एकाध को निरपराध समझकर छोड़ भी दिया गया।

इस एक वर्ष के लम्बे काल में मुझे जो अनुभव हुए उनमें से कुछ का परिचय पाठकों को पिछले पृष्ठों में मिल गया है।

लेकिन जो आश्चर्य और खेद मुझे शुरू में, गांधी जी की हत्या के बाद हुआ था, उससे अभी तक मैं मुक्त नहीं हो सका हूँ। इन पंक्तियों के लिखते समय और आज भी बारबार मुझे वही सवाल परेशान करता है कि जब गांधी जी की हत्या के षड्यन्त्र की ख़बर बम्बई प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार को दस दिन पहले दी जा चुकी थी तो फिर गांधी जी को क्यों नहीं बचाया जा सका? क्या इसके लिए काफ़ी कोशिश की गई थी? क्या इस महान् दुर्घटना को रोकने के लिए प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकार की पूरी शक्ति लगा दी गई थी?

मुझे इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिलता।

कहा जाता है कि क्या किया जा सकता था जब कि गांधी जी स्वयं किसी बन्दोबस्त के खिलाफ़ थे, जब वे स्वयं नहीं चाहते थे कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई पहरा रक्खा जाए, उनकी सभाओं और प्रार्थनाओं में आनेवाले लोगों पर किसी तरह की नज़र रक्खी जाय या किसी की तलाशी ली जाय।

इस उत्तर से किसी का मन सन्तुष्ट नहीं हो सकता। गांधीजी

चाहे जो कुछ कहते, क्या उनके कहने से राष्ट्रधर्म को तिलांजलि दी जा सकती थी ? क्या उनकी हर बात को सरकार या कांग्रेसी नेता पूर्ण रूप से मान लेते थे ? अगर गांधी जी खुले पहरे के विरुद्ध थे तो गुप्तचरों की मदद से भी तो यह काम कराया जा सकता था, जैसा कि अन्य नेताओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में आज कराया जाता है। इसके सिवाय कुछ पुलिस के कर्मचारी और गुप्तचर तो गांधी जी की प्रार्थना-सभा में रहते ही थे। २० जनवरी की बम दुर्घटना के पश्चात् जब कि मदनलाल के विस्तृत बयान पुलिस को मिल चुके थे और दिल्ली पुलिस के अधिकारी बम्बई पुलिस के अधिकारियों से मिलने बम्बई आये थे, और विशेषकर २१ तारीख को लेखक द्वारा बम्बई प्रान्तीय सरकार को षड्यन्त्र की सूचना मिलने के पश्चात् अवश्य ही इनकी संख्या में वृद्धि की जा सकती थी।

फिर ऐसा क्यों नहीं किया गया ? इतने महान् कर्तव्य की क्यों उपेक्षा की गई ?

महात्मा गांधी की हत्या के पश्चात् जब इन पंक्तियों का लेखक फिर बम्बई सरकार के मन्त्रियों से मिला और उनकी असावधानी की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया तो उन्होंने उसे जेल का भय दिखाकर उसका मुंह बन्द करना चाहा !

क्या इसे ही जनतन्त्र कहते हैं ? क्या यही नागरिक स्वतन्त्रता है ? क्या ये ही गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत हैं जिनका अहर्निश गुणगान किया जाता है ? क्या स्वतन्त्र भारत की आज़ादी के ये ही मीठे फल हैं जिनका उल्लेख नेताओं के भाषणों में किया जाता है ?

स्वतन्त्र भारत की जनता को यह जानने का पूरा हक़ है कि क्यों राष्ट्रपिता की सुरक्षा के सम्बन्ध में इतनी उदासीनता से

काम लिया गया? क्यों उनकी राष्ट्र के शत्रुओं के हाथ से निदयता पूर्वक हत्या होने दी गई?

दूसरा प्रश्न होता है कि इतनी बड़ी .कुर्बानी के बाद भी देश में आइन्दा इस प्रकार दुर्घटनाओं को न होने देने के लिये सरकार की ओर से क्या उचित व्यवस्था की गई है? क्या इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जा रहा है? क्या प्रतिक्रियागामी शक्तियों को खतम करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है? क्या सम्प्रदायवाद के विष को नष्ट करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है? क्या इस सम्बन्ध में हमारी राष्ट्रीय चेतना आगे बढ़ रही है?

हम तो देखते हैं कि 'हिन्दू राष्ट्र' और 'हिन्दू राज' के स्वप्न देखने वाली हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी साम्प्रदायिक संस्थायें सिर उठाये खड़ी हुई हैं।

अभी हिन्दू महासभा के सभापति श्री एल०-बी० भोपटकर ने हिन्दू महासभा को नया बाना पहनाते हुए ६० सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की है, जिसमें हिन्दू महासभा के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ कुछ सेठ-साहुकारों को भी शामिल कर लिया है।

इसी प्रकार कुछ कांग्रेसी तथा अन्य लोग भारत सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में समझौता कराने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। कहा जाता है कि दोनों में समझौता हो जाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य आनेवाले चुनाव में सरकार की सहायता कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में ८ सितम्बर, १९४८ को संघ के कुछ संगठनकर्ताओं ने भारत सरकार के प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू के पास जो 'निवेदन' भेजा था, वह उल्लेखनीय है—

"केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रास्ता ही साम्यवाद का जवाब है। केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचार-धारा से ही विभिन्न दलों और वर्गों के हित में साम्य पैदा किया जा सकता है, और वर्ग-संघर्ष के ख़तरे से बचाया जा सकता है।"

संघ के सर संचालक श्री गोलवालकर ने भारत सरकार के उपमन्त्री सरदार पटेल से मुलाक़ात करने के पहले उन्हें लिखकर भेजा था—

"अगर हम मिलकर आपकी सरकार और हमारे संगठन की संगठित सांस्कृतिक शक्ति का इस्तेमाल करें तो हम बहुत जल्दी ही इस (साम्यवादी) ख़तरे को दूर करने में सफल होंगे।"

इस मुक़दमे के दौरान में जो कुछ मेरे देखने में आया, तथा आज जो कुछ देश में हो रहा है, उसे निराशाजनक ही अधिक कहना चाहिये।

अदालत में मुझे बड़ी विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वकीलों की क़ानूनी खींचातानी ही मुझे यहाँ अधिक देखने में आई। बचाव पक्ष के वकीलों को तो मैंने ख़ास तौर से देखा कि उल्टे-सीधे और झूठे-सच्चे प्रश्नों की झड़ी लगाकर वे अपना आतंक जमाने के लिये प्रयत्नशील थे। 'इधर देखो', 'सुनो', 'ठीक-ठीक जवाब दो', 'मैं हाँ या ना में जवाब चाहता हूँ' आदि प्रश्नों ने मुझे काफ़ी उत्तेजित कर दिया था। ये लोग यही ध्वनित करना चाहते थे कि उनके मुवक्किल महात्मा गांधी के भाषणों से उत्तेजित हो उठे थे। फिर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा था कि मेरी गवाही झूठी है, पुलिस के दबाव से दी जा रही है, तथा २१ जनवरी के अख़बारों में बम-विस्फोट का समाचार पढ़कर अपने बचाव के लिये मैंने षडयन्त्र

की सूचना की बात अपने मन से गढ़ ली है। इत्यादि प्रश्नों का उत्तर देते हुए मुझे कितने अवसाद और ग्लानि का अनुभव होता होगा, इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है।

वैष्णव सम्प्रदाय के धर्मगुरु कृष्णा जी महाराज और उनके भ्राता दीक्षित जी महाराज की गवाहियों से पता लगता है कि ये लोग अभियुक्तों के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित थे। दीक्षित महाराज अस्त्र-शस्त्रों का लेन देन करते थे, और हिन्दुओं को उन्होंने शस्त्र बाँटे थे, जब कि कृष्णा जी महाराज ने अभियुक्तों को अस्त्र-शस्त्र तथा विस्फोटक पदार्थों द्वारा पाकिस्तान की विधान परिषद् और पाकिस्तान जानेवाली गोला-बारूद की रेलगाड़ी को नष्ट करने के लिये मदद की थी, तथा सावरकर की अध्यक्षता में नेहरू सरकार के विरुद्ध उन्होंने खुल्लमखुल्ला भाषण दिया था। परन्तु फिर भी दोनों भ्राताओं को अदालत में बैठने के लिये कुरसियाँ दी गईं!

पुलिस अधिकारियों को भी मुझे नजदीक से देखने का मौक़ा मिला। मुक़दमे में सब अपनी-अपनी कुशलता प्रदर्शित करना चाहते थे, अतएव मानवीय भावना के अभाव में मुक़दमे में इन लोगों की क़ानूनी दिलचस्पी ही अधिक देखने में आती थी, जैसे किसी साधारण व्यक्ति की हत्या पर मुक़दमा चलाया जा रहा हो। राष्ट्रपिता को खो देने से राष्ट्र ने क्या अमूल्य सम्पत्ति खो दी है, इसकी कल्पना तक किसी को न थी।

एक बार पुलिस के कोई अफ़सर कहने लगे—"देखिये षड्-यन्त्र का पता लगाने के लिये हम लोगों को कितनी खाक छाननी पड़ी है और रात-रात भर हम लोग नहीं सोये हैं, फिर भी आपकी तरह स्वेच्छा से सहयोग देनेवाले हमें बहुत थोड़े लोग मिले हैं।" मैंने कहा—"निःसन्देह आप लोगों ने बहुत परिश्रम

किया है। लेकिन क्या आप नहीं जानते कि आप लोगों को क्यों जनता का सहयोग नहीं मिलता? आप लोग जनता से दूर रहकर, जनता को डरा धमका कर उसके ऊपर जोर-जुल्म करके उन्हीं पुराने उपायों से उसका सहयोग चाहते हैं, यह कैसे सम्भव है? जिस दिन आप लोग जनता के सच्चे हितैषी बन-कर उसका दुःख-दर्द दूर करने की कोशिश करेंगे उस दिन जनता आपको अपने समझने लगेगी और वह किसी बात की सूचना देने के लिये स्वयं आपके पास आएगी।" मैंने कहा—"मेरा ही उदाहरण लीजिये। सरकार को षड्यन्त्र का पता देकर मैं सरकार की सहायता करना चाहता था, और उसके बदले मुझे क्या मिला। डाँट-फटकार और आपकी जेल की धमकियाँ? ऐसी हालत में कौन व्यक्ति आप लोगों तक आने की हिम्मत करेगा?"

दिल्ली के कांस्टिट्यूशन हाउस में, जहाँ मैं ठहरा था, मुझे विधान परिषद् के सदस्य तथा सरकार के अन्य पदाधिकारियों से मिलने का अवसर मिला। गांधी-हत्याकाण्ड के मुक़दमे के प्रति इन लोगों की कोई विशेष अभिरुचि देखने में नहीं आई। मेज़ पर खाना खाते वक्त देश की राजनीति की अपेक्षा इनकी व्यक्तिगत राजनीति की बातें ही अधिक सुनने में आती थीं!

मुक़दमे में खर्च का तो प्रश्न ही नहीं था। डेढ़ हज़ार रुपये रोज़ाना सरकार के मुख्य वकील श्री दफ़्तरी पाते थे, और छः सौ रुपये रोज़ाना उनके अन्य दो साथी। इन लोगों का सफ़र खर्च, होटल के कमरों का किराया और नौकरों-चाकरों का खर्च रहा अलग। जब कभी मुक़दमे के काम से दफ़्तरी साहब बम्बई तशरीफ़ लाते थे तो ७५) फ़ी घंटे के हिसाब से उन्हें अतिरिक्त

फ़ीस मिलती थी। इस मुक़दमे का खर्च लाखों रुपये तक पहुँचा है।

मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आज़ाद हिन्द फ़ौज के सैनिकों के मुक़दमे के समय देश के नेताओं ने जो दिलचस्पी दिखाई थी उसका यहाँ क्यों अभाव था? राष्ट्रपिता की हत्या के मुक़दमे को सम्प्रदायवाद तथा उसको धन और मन से बढ़ावा देने वाली अराष्ट्रीय शक्तियों के विरुद्ध देश की समस्त जनता के मक़दमे का रूप दिया जाना चाहिये था। फिर इसकी इतनी उपेक्षा क्यों की गई? इसे "मोहनदास करमचन्द गांधी उर्फ़ महात्मा गांधी की हत्या का मुक़दमा" बनाकर एक मात्र क़ानूनी रूप देकर क्यों छोड़ दिया गया?

देश की स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात जिस भीषण अनुभव के बीच से देश को गुज़रना पड़ा है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि साम्प्रदायिकता भारतीय स्वाधीनता की सब से भयंकर शत्रु है। ऐसी हालत में किसी धर्म या जाति का आश्रय लेकर राज्य स्थापित करने के स्वप्न देखना निरी मूर्खता होगी और ऐसा करना मुल्क को दुश्मनों के हाथ सौंपकर अपने आपको बरबाद कर देना होगा।

इसी बात को गांधी जी अपनी प्रार्थना-सभा के भाषणों में बारबार दुहराते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था—'कांग्रेस के लिए ऐसी आज़ादी का कोई महत्व नहीं जिसमें जाति या धर्म के भेद को भूलकर सब के साथ बराबरी का बर्ताव न किया जाय।" (उनके भाषणों के कुछ उदाहरण अन्यत्र देखिये)

सच पूछा जाय तो पाकिस्तान हिन्दुओं की जाति प्रथा का सबसे बड़ा नमूना है। तथा यदि हम इसी तरह अपने घर की रक्षा न कर सके तो निश्चय समझिये कि अभी न जाने कितने

पाकिस्तान और बनेंगे और उस समय हम एक दूसरे को फूटी आँखों न देख सकेंगे।

बापू के बलिदान का यही सबसे बड़ा सबक़ है कि देश को जनतन्त्र की राह पर चलाया जाय, और बिना किसी जाति, धर्म, सम्प्रदाय और वर्ग के भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्योचित अधिकार दिए जायँ। सम्प्रदायवाद और जाति-पाँति की सबसे बड़ी पोषक है पूँजीवादी और सामन्ती व्यवस्था जिसके बल पर स्वार्थान्ध लोग धर्म और सम्प्रदाय का नाम लेकर अपना शोषण जारी रखते हैं। (इसके विशेष विवेचन के लिए देखिये लेखक की पुस्तक "सम्प्रदायवाद"—गांधी-हत्या की पृष्ठ-भूमि)। अतएव जब तक शोषण की इस वर्तमान प्रणाली का अन्त नहीं होगा, हमारे राष्ट्र का समुचित विकास नहीं हो सकता। इस प्रणाली का नाश होने पर ही हमारे देश से साम्प्रदायिकता और जाति-पाँति की भावना का उन्मूलन हो सकता है, और तभी हम अपने देश के प्रगतिशील अन्य सपूतों की सम्प्रदायवादियों के निर्दय प्रहार से रक्षा करने में सफल हो सकते हैं। अन्त में हम अपने देश के नेताओं को स्वार्थी वर्गों के हित साधन के लिए पूँजीपति और सामन्ती लोगों द्वारा पोषित प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिक संस्थाओं के साथ किसी भी हालत में गँठबन्धन न करने के लिए सावधान करते हैं, अन्यथा हमारे देशकी समस्त जनवादी शक्तियाँ छिन्न-भिन्न हो जायेंगी और देश रसातल को पहुँच जायगा।

---

३० जनवरी, १६४८

३० जनवरी शुक्रवार की शाम थी। शहर से लौटकर आया तो देखा कि बिल्डिंग के बहुत से बच्चे एक जगह इकट्ठे हुए आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। मुझे देखते ही एक लड़की ने कहा कि गांधी जी मर गये हैं। मैंने कुछ उपेक्षा से जवाब दिया—"क्या कह रही है? पागल तो नहीं हो गई?" लड़की ने कहा—"नहीं, सब लोग कह रहे हैं।"

घर में आकर कपड़े बदलने लगा। इतने में किसी दूसरे बच्चे ने आकर वही बात कही। बाहर आया तो और लोग भी इस तरह की बातें कर रहे थे। पड़ोसी ने कहा—"गांधी जी को किसी ने गोली मार दी: यह खबर रेडियो पर आई है, और सड़कों पर भी यह लिखा है।"

मैं अवाक् होकर इन्हीं कानों से उक्त समाचार सुनता और दिल मसोस कर रह जाता: क्या इतनी कोशिशों के बाद भी सचमुच बापू को किसी हत्यारे ने गोली मार दी। क्या इतनी बड़ी सरकार बापू के जीवन को न बचा सकी? क्या वे सचमुच स्वर्ग सिधार गये? क्या सचमुच यह 'ईश्वर की इच्छा' थी या यह हमारी असावधानी का परिणाम है।

लेकिन मैंने तो इन लोगों से कह दिया था: सरकार को आगाह कर दिया था: दस रोज़ पहले मैंने बम्बई सरकार के प्रधान मत्री और गृहमन्त्री को षड्यन्त्र का पता बता दिया था। मैंने उन्हें अपनी सेवाएँ अर्पित की थीं. षड्यन्त्र का पता लगाने के लिए मैं तो दिल्ली तक जाने को तैयार था। मदनलाल के

विषय में मैंने सब कुछ ब्योरेवार सुना दिया था; षड्यन्त्रकारी किस प्रकार गांधी जी की हत्या करना चाहते थे, यह भी बता दिया था। २१ जनवरी की शाम को मैं किस असीम आशा और विश्वास को लेकर मन्त्रियों से मिलने गया था। सेक्रेटेरियट के दफ्तर के बाहर इन्तजारी में बैठे-बैठे एक घंटे का एक-एक मिनिट मुझे किस तरह एक-एक दिन के समान प्रतीत हुआ था।

सन् १९४२ के आन्दोलन को बम्बई की पुलिस ने दस दिन के अन्दर कुचल कर रख दिया था। पूर्वीय देशों में अपने .खुफिया विभाग के कारण प्रसिद्धि-प्राप्त क्या यह पुलिस गांधी जी की रक्षा के लिए कुछ न कर सकी? क्या मेरा सब परिश्रम व्यर्थ हुआ? दौड़-धूप सब निष्फल हुई? षड्यन्त्रकारी नहीं पकड़े जा सके? राष्ट्रपिता की हत्या हो गई?

पं० जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल का रात को रेडियो पर भाषण हुआ, लेकिन राष्ट्र के ऊपर जो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था, उसके मुक़ाबले में यह नगण्य था।

सुबह हुई। सारा शहर शोक-सागर में मग्न था। चारों ओर निस्तब्धता छागई थी। जहाँ दिन-रात ट्राम-बस और मोटर-गाड़ी की आवाज़ कानों को बहरा किये रहती थी, वहाँ असहनीय शक्ति का साम्राज्य छाया हुआ था। शहर की दूकानें होटल, भोजनगृह आदि सब बन्द थे। ऐसी ज़बर्दस्त हड़ताल कभी देखने में नहीं आई थी। लोग मौन भाव से अख़बार हाथ में लिये घर लौट रहे थे। जहाँ देखो टोलियों में अख़बार पढ़े जा रहे थे। हाँ, कहीं कहीं से .खुशी में मिठाई बाँटे जाने की ख़बरें आ रही थीं।

अख़बारों में मोटे-मोटे अक्षरों में छपा था कि नाथूराम उर्फ़ नारायण विनायक गोडसे नामक व्यक्ति ने प्रार्थना-सभा में पहुँच

कर गांधी जी को गोली मार दी। महात्मा जी के मुँह से 'हे राम' का शब्द निकला और वे ज़मीन पर गिर पड़े—फिर कभी न उठने के लिए।

स्वार्थ, घृणा, अनावश्यक भेदभाव और छल छिद्रमय अपने चारों ओर के जीवन को देखकर गांधी जी ने अधिक समय तक जीना न चाहा और वे इस लोक को छोड़कर चल बसे !

मदनलाल

षड्यंत्रकारियों के एक साथी मदनलाल से मेरा परिचय उस समय हुआ था जब वह अक्तूबर, १९४७ में मेरे पास नौकरी के लिए आया।

मदनलाल पंजाब का एक शरणार्थी था। उम्र उसकी २०-२२ की होगी? गेहुँआ रंग, गठीला बदन, लम्बा क़द, लम्बा चेहरा। चेम्बूर में शरणार्थियों के कैम्प में रहते-रहते वह तंग आ गया था।

एक बार २६ अक्तूबर की शाम को वह मेरे पास आया। उस समय कुछ और मित्र बैठे हुए थे। मैंने परिचय कराते हुए कहा—ये पंजाब के शरणार्थी हैं, पंजाब में इन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाई है, इसमें इनकी एक उँगली भी कट गई है, कुछ काम चाहते हैं।

शरणार्थी कहने लगा—शहर के एम्प्लौयमेंट एक्सचेंज में मैं प्रायः रोज चक्कर लगाता हूँ, लेकिन एक ही उत्तर मिलता है कि जगह खाली नहीं। मैंने अब निश्चय कर लिया है कि यदि मुझे किसी दफ़्तर में चपरासी का काम भी मिल जाय तो मैं करने को तैयार हूँ। इस समय मेरे मित्र अंगदसिंह जी* भी उप-

* गांधी-हत्याकाण्ड के मुकदमे में आप सरकारी गवाह थे। आप बी० ए० एल-एल० बी० है, सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर है, तथा बम्बई ग्लास वर्क्स यूनियन के प्रेसीडेंट है।

स्थित थे। उन्होंने कहा कि चपरासी बनने की अपेक्षा तो आप साग-भाजी बेचने का धंधा क्यों नहीं करते ? वसई में बहुत सस्ती भाजी मिलती है ? वहाँ से लाकर बम्बई में बेचिए। मैंने कहा—बात तो ठीक है, तुम पढ़े-लिखे आदमी हो, चपरासी का काम क्यों करते हो ? और यदि तुम आगे पढ़ना चाहोगे तो मैं तुम्हें अपने कालेज में भरती कराने की कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन शरणार्थी ने जवाब दिया—साग-भाजी का व्यापार करने के लिए पैसा कहाँ है ? मैंने पूछा—अच्छा, किताबें बेच सकते हो ? उसमें पैसे की जरूरत नहीं। शरणार्थी खुश होकर बोला—हाँ, यह काम कर सकता हूँ। मैंने कहा—मैं तुम्हारे वास्ते प्रकाशक से किताबें मँगवा दूँगा, और तुम्हें २५% कमीशन मिलेगा। कहने लगा—तो लाइए किताबें, आज ही से काम शुरू कर दूँ। मैंने तीन किताबें दे दीं। शरणार्थी ने अपना पता लिखवा दिया—मदनलाल, १६२ चैम्बूर कैम्प, और कहा कि आज की तारीख में मेरे नाम तीन किताबें दर्ज कर लीजिए।

अगले दिन सुबह जब सैर करके आया तो देखता हूँ मदनलाल बैठा हुआ है। बोला—वे तीनों किताबें तो मैंने रात ही को चैम्बूर लौटते समय कल गाड़ी के एक सेकंड क्लास के मुसाफिर को बेच दी थीं। उसने शरणार्थी समझ कर मुझे दस रुपये का नोट दिया। यह लीजिए कमीशन काटकर अपनी किताबों की कीमत।

मदनलाल की कार्यशक्ति का यह प्रथम परिचय था। उसने दस दिन में लगभग दो सौ रुपये की किताबें बेची होंगी। इन दस दिनों में वह प्रायः रोज ही किताब बेचने के बाद रात के समय मेरे पास आता, मेरा हिसाब दे जाता और अपना ले जाता।

कभी मैं भोजन करता हुआ होता तो उसे भी भोजन के लिए कहता। वह अपने रोज के अनुभव सुनाता। आज उसने इतनी किताबें बेचीं, वह भूलेश्वर गया, कालका देबी गया, किसी मारवाड़ी सेठ ने उसे कपड़े का थान दिया, किसी ने अगले दिन आने को कहा, आदि।

मदनलाल को मुझे काफ़ी नज़दीक से देखने का मौक़ा मिला। वह एक सीधा, समझदार, मेहनती और भावुक युवक था। एक बार जो बात उसे जँच जाती उसे करके छोड़ता था तथा शरणार्थी होते हुए भी साम्प्रदायिक भेदभाव उसमें दिखाई नहीं देता था। धीरे-धीरे मुझ से वह इतना प्रभावित हुआ कि एक बालक की नाईं ज़रा-ज़रा सी बात आकर मुझसे कहता—आज उसने पैण्ट खरीदा है, किसी पजाबी ने उसे नौकरी दिलाने को कहा है, आज उसका किसी आदमी से झगड़ा हो पड़ा, चैम्बूर कैम्प में सब लोगों ने उसे अपना नेता बना रक्खा है और शरणार्थियों को कम्बल वग़ैरह बाँटने का काम वही करता है, आदि। समय न होने पर भी मैं उसकी बात सुनता, और वक्त पड़ने पर उसे नेक सलाह देता।

एक दिन अपने लाहौर के दगे के अनुभव सुनाने लगा कि किस प्रकार उसने कालेज की लड़कियों को मोटर-साइकिल पर बैठाकर आतत..यियों के हाथ से निकाला, किस प्रकार वह फिर उनके हाथ में पड़ गया और फ़ौजी सिपाहियों की मदद से भाग कर दिल्ली आया। कहने लगा कि लाहौर में हिन्दू स्त्रियों की बड़ी दुर्दशा की गई। फिर अपने आप ही बोला कि फ़ीरोज़पुर में वही हालत मुसलिम स्त्रियों की हुई। उसके बाद जो उसने वहाँ का दर्दनाक हाल सुनाया वह अभी तक हृदयपट पर अंकित है और उसे याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

एक दिन मैंने कहा—मदनलाल, देखो जो रुपया तुम किताब बेचकर कमाते हो, उसमें से कुछ जमा करते जाओ, कभी काम आयेगा। कहने लगा—तो आप ही के पास रखता जाता हूँ। धीरे-धीरे करके उसने मेरे पास ५०-६० रुपये जमा करा दिये।

दिवाली करीब आ रही थी। कहीं से उसने रुपये का प्रबन्ध कर लिया। कहने लगा—दिवाली पर फुलझड़ी, पटाखे वग़ैरह .खूब बिकेंगे, आप कहें तो कुछ दिनों के लिए यह काम कर लूँ। मैंने कहा—तुम्हें इसमें फ़ायदा हो तो कर सकते हो। बस वह सब सामान थैले में भरकर घर-घर बेचता फिरने लगा।

कुछ समय बाद वह स्टेशनरी आदि का सामान बेचने लगा। यद्यपि इस समय उसका आना पहले की अपेक्षा कम हो गया था, लेकिन एकाध चक्कर वह ज़रूर लगा लेता था।

एक दिन आकर कहने लगा—मैं अहमद-नगर जाना चाहता हूँ। सुना है वहाँ मुसम्बियाँ बहुत सस्ती मिलती हैं। वहाँ से मुसम्बियाँ लाकर बम्बई में बेचूँगा। मैंने कहा—देख भाल कर काम करना। वह अहमदनगर गया, और जाते समय कुछ किताबें भी साथ लेता गया।

वहाँ से लौटकर आने पर कहने लगा—देखिए आप ठीक कहते थे। आप की सलाह न मानने का फल यह हुआ कि मुझे इस धन्धे में नुक़सान उठाना पड़ा।

कुछ दिनों बाद आकर बोला कि वह फिर अहमदनगर जाने का इरादा कर रहा है। मैंने कहा—पिछली बार तुम्हें नुक़सान हुआ था, फिर वहाँ क्यों जाते हो? कहने लगा—इस बार मैं ज़रूर कुछ कमाकर लौटूँगा।

अहमदनगर पहुँचकर मदनलाल ने मुझे एक-दो चिट्ठियाँ लिखीं कि वह किसी ज़रूरी काम की वजह से वहाँ रुका हुआ

है, तथा जल्दी ही बम्बई वापस आने पर मेरा बाक़ी हिसाब साफ़ कर देगा।

जनवरी का महीना था। वही मनहूस महीना जिसमें राष्ट्र-पिता की निर्मम हत्या की गई। एक दिन मदनलाल सुबह के वक्त मेरे घर आया। गले में उसके गुलूबन्द था, और हाथ में एक छड़ी, जिसे वह खड़ा-खड़ा घुमाता जाता और बातचीत करता जाता था। उसके चेहरे पर बेपरवाही थी और आँखों में सरूर था। मैंने उसे इस रूप में पहले कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा—मदनलाल, बहुत दिनों में आये? कहो क्या हाल है? कहने लगा—अच्छी तरह हूँ, अहमदनगर में मेरा फलों का धधा अच्छी तरह चल रहा है।

मदनलाल के साथ अधेड़ उमर का एक दूसरा व्यक्ति था—शरीर में कुछ स्थूल, साँवले रंग का, छोटी-छोटी अजीब तरह की आँखें; उसे देखकर कुछ अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता था। मैंने पूछा—ये कौन हैं? मदनलाल ने कहा—ये अहमदनगर के सेठ हैं; इन्होंने मेरी सहायता की है। अहमदनगर में मेरी फलों की दो दूकानें हैं। किताबों की अपेक्षा यह काम अच्छा है।

पाँच-सात मिनट बाद मदनलाल चला गया, लेकिन न जाने क्यों वह सेठ को सड़क पर छोड़कर फिर लौटकर आया और कहने लगा कि फलों की दूकानें मेरी नहीं, इन्हीं सेठ की हैं, मैं उन पर काम करता हूँ। दूकानों में से जितना पैसा मुझे ख़र्च के लिए चाहिए मैं ले सकता हूँ, इसकी मुझे कोई रोकटोक नहीं। तथा वहाँ के फलों के सब मुसलमान व्यापारियों को हम लोगों ने भगा दिया है, इसलिए वहाँ के फलों का सब व्यापार हमारे हाथ में आ गया है...............

मैंने देखा कि मदनलाल और भी बहुत कुछ कहना चाहता

है लेकिन उसका सेठ जो बाहर खड़ा हुआ था! उसने यह कहकर बिदा ली कि वह फिर किसी दिन आयेगा।

दो-तीन दिन बाद मदनलाल ने फिर चक्कर मारा। दोपहर का समय था। जब वह आया मैं घर पर नहीं था। मेरी पत्नी ने पूछा—मदनलाल, मालूम होता है कोई काम मिल गया है? कहने लगा—हाँ, बहन जी, काम तो बहुत अच्छा मिल गया है, रुपये-पैसे की मुझे कमी नहीं, इज्ज़त भी मेरी बढ़ गई है, कई हज़ार स्वयंसेवक मेरे हाथ के नीचे हैं, और पुलिस के ऊपर मेरा बड़ा रोब है। लेकिन यह सब होते हुए भी मुझे शान्ति नहीं, बड़ा बेचैन रहता हूँ। मेरी आजादी छिन गई है। लोग तरह-तरह की बातें करते हैं और तरह-तरह से मुझे सिखाते-पढ़ाते हैं। कई बार ख़्याल आता है कि सब छोड़-छाड़कर बम्बई भाग आऊँ, लेकिन यहाँ कुछ काम नहीं, क्या करूँगा? पत्नी ने कहा—तुम क्यों किसी पार्टीबन्दी में पड़ते हो। तुम वहाँ व्यापार के लिए गये थे, व्यापार करो। नहीं तो बम्बई चले आओ, कोई न कोई काम यहाँ मिल ही जायगा। फिर कहने लगा—बहन जी, आजकल अख़बारों में मेरा बड़ा नाम हो रहा है, आपने पढ़ा होगा। देखिए, अहमदनगर की सभा में जब राव साहब पटवर्धन ने अपने व्याख्यान में कहना शुरू किया—'हिन्दू-मुसलमान भाई भाई' तो मैंने मंच पर जाकर उनकी गर्दन पकड़ कर कहा—'क्यों बे?' मैं आपको अख़बार लाकर दिखाऊँगा। मेरी पत्नी ने कहा—यह कुछ अच्छा काम नहीं। तुम क्यों फ़िजूल में इन झगड़ों में पड़ते हो? लोगों के सिखाये में आकर क्यों अपनी शक्ति बर्बाद करते हो?

मदनलाल मेरे घर से जा रहा था और मैं कालेज से लौट रहा था। सड़क पर प्लाज़ा सिनेमा के पास मुझे मिला। कहने

लगा—डाक्टर साहब, मैं आपके घर गया था। मैंने पूछा—क्यों, कोई ख़ास बात है ? बोला—नहीं तो, ऐसे ही बातें करने चला आया था।

घर पहुँच कर वह कुछ देर तक इधर-उधर की बातें करता रहा। मैं थका हुआ था: मैंने उससे फिर आने को कहा।

रात के आठ बजे होंगे। अंगदसिंह जी मेरे यहाँ बैठे हुए थे। देखता हूँ कि हाथ में कुछ अखबार लिये मदनलाल चला आ रहा है। कहने लगा कि देखिए इन मराठी अख़बारों में मेरा नाम निकला है। अहमदनगर में शरणार्थियों की किसी सभा में मैंने रावसाहब पटवर्धन को बोलने नहीं दिया। अपने व्याख्यान में वे कह रहे थे कि हिन्दू-मुसलिम दोनों भाई हैं। इतने में मैंने उनका गला पकड़ लिया और मारने के लिए जेब से छुरा निकाला। पुलिस आ गई और उसने मेरे हाथ से छुरा छीनकर फेंक दिया। मैंने पूछा—पुलिस ने तुम्हारा कुछ नहीं किया ? बोला कि पुलिस हम लोगों की तरफ़ है और वह मुझसे डरती है। मैंने कहा—लेकिन ये अख़बार तो बम्बई सरकार के पास पहुँचते होंगे, वह तुम्हें पकड़वा सकती है ?

अंगदसिंह जी कहने लगे—ये सब उपद्रव तुम कब से करने लगे हो, मदनलाल ? मालूम होता है किसी ने पट्टी पढ़ाई है। इस धन्धे को बन्द करके जाकर किताबें बेचो। इतना कह कर वे चले गये।

मदनलाल को आज बहुत दिनों बाद हृदय उड़ेलने का अवसर मिला था। आज वह अपने हृदय की गुप्त से गुप्त बात कहकर भारमुक्त हो जाना जाहता था। कहने लगा—उस दिन सुबह को जो सेठ मेरे साथ आया था, उसका नाम करकरे है। अहमदनगर में उसके दो होटल और फलों की दूकानें हैं।

उसका काम तो मैं नाम मात्र को करता हूँ, फिर भी वह मुझे बहुत आराम से रखता है। दिन में दो-दो तीन-तीन सिनेमा देखता हूँ, खाने-पीने को इच्छानुसार मिलता है, और वहाँ हर तरह की मौज है। अहमदनगर में हम लोगों ने एक पार्टी क़ायम की है। हम लोगों के पास बहुत अस्त्र-शस्त्र हैं जिनको हमने जंगल में गाड़ कर रक्खा है। करकरे इस पार्टी को रुपये-पैसे से मदद करता है। उसके नाम पुलिस का वारंट है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ती नहीं।

मदनलाल कहता जा रहा था—अभी एक मालदार मुसलमान का घर उड़ाने के लिए मैंने उसके घर में डाइनेमाइट लगाया था लेकिन पुलिस के किसी आदमी ने देख लिया और तार में आग लगने से पहले ही उसे वहाँ से हटा दिया। मेरे इन सब 'पराक्रमों' को सुनकर बैरिस्टर सावरकर मुझसे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने मुझसे मिलना चाहा। उनसे मिलने मैं यहाँ आया हूँ। उनसे मेरी दो घंटे तक बातचीत होती रही। चलते समय सावरकर ने मेरी पीठ थपथपाते हुए मुझे शाबाशी दी और कहा, बढ़े चलो।

वह कहता चला जा रहा था और मैं बड़े ध्यानपूर्वक उसकी बातों को सुन रहा था। कहने लगा कि बम्बई में शस्त्रों का एक बड़ा भंडार है जिसका पहरा एक सिख वेशधारी महाराष्ट्रीय व्यक्ति देता है, और आँखों पर पट्टी बाँध कर उसे वहाँ ले जाया गया था।

फिर कुछ डरता हुआ सा बोला—किसी बड़े नेता को मारने की योजना है। मैंने पूछा—किसको? बोला कि नाम मुझे अभी तक नहीं बताया। मैंने कहा जब तुम किसी आदमी को मारने जा रहे हो तो तुम्हें उसका नाम भी जरूर मालूम होगा।

कहने लगा—नाम अभी मुझे बताया नहीं। दो दिन के अन्दर मुझे फ़ैसला देना है कि मैं इस काम में शामिल हो सकता हूँ या नहीं। पहले तो उसने नाम बताने से इनकार किया, लेकिन फिर मजबूर होकर दबी-सी ज़बान से बोला—"गांधी जी"।

गांधी जी का नाम सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। सहसा विश्वास नहीं होता था कि कोई व्यक्ति गांधी जी के विषय में ऐसा सोच सकता है। अपने मनोगत भावों को छिपाते हुए मैंने पूछा—"तुम अकेले ही हो या और भी कोई है?" कहने लगा—"मेरे साथ कुछ और नौजवान लड़के हैं। मेरा काम है प्रार्थना-सभा में बम का धड़ाका करना: इससे सभा में गड़बड़ी मच जायगी उस समय दूसरे साथी गांधी जी पर प्रहार करेंगे। गांधी जी की प्रवृत्तियों की सूचना उनके पास रहने वाली किसी महा-राष्ट्रीय महिला से हम लोगों को मिलती रहती है।"

मैंने देखा कि मेरे सामने एक नौजवान है, वह गुमराह है, किसी ने उसे बहका दिया है, संभव है शरणार्थी समझ कर उसे रुपये-पैसे का लोभ दिया है, उसकी कमज़ोर परिस्थिति से लाभ उठाया है, हो सकता है उसे और भी बड़ी-बड़ी उम्मीदें दिलाई हों, सब्जबाग दिखाये हों। लेकिन आज वह एक ऐसे व्यक्ति के सामने निर्द्वन्द्व होकर अपना हृदय खोलकर रख रहा है जिसको वह अपना हितैषी समझता है, जिस पर वह श्रद्धा रखता है, और जिसको सभवतः वह अपने पिता के समान समझता है, जो उसे कभी ग़लत रास्ते पर न ले जायगा।

मैंने पूछा—"तुम गांधी जी को क्यों मारना चाहते हो?

अपनी ज़िन्दगी भर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़कर देश को आजाद किया, और तुम उनकी जान लेना चाहते हो ? और देखो, आजकल तो वे उपवास कर रहे हैं। ऐसी हालत में उनकी हत्या करना और भी घोर अनर्थ होगा। वे जो हिन्दू-मुसलिम एकता का उपदेश देते हैं, वह इसीलिए कि दोनों कौमें आपस में कट कट कर न मरें, दोनों शान्ति से रहें। इसमें क्या बुरी बात है ? उस दिन तुम्हीं ने लाहौर और फ़ीरोज़पुर के हालात सुनाये थे कि वहाँ औरतों की क्या हालत की गई। गांधी जी यही कहते हैं कि ऐसा मत करो, क्योंकि आपस में लड़ने से हमें जो इतनी कठोर तपस्या के बाद आज़ादी मिली है, वह हमसे छिन जायगी।" मैंने कहा—"देखो, गांधी जी तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, उनकी बदौलत विदेशों में हिन्दुस्तान को इतना रुतबा मिला है। ऐसी हालत में उनकी हत्या करने की बात तो किसी तरह समझ में ही नहीं आती। कहीं तुम्हें चकमा देने के लिए तुम्हारी पार्टी के आदमियों ने गलत नाम तो नहीं बता दिया ? क्योंकि यह निश्चित है कि कोई भी समझदार व्यक्ति कम से कम गांधी जी की हत्या का विचार मन में नहीं ला सकता।"

मदनलाल बड़े ध्यान से एकाग्रचित्त हो मेरी बातें सुन रहा था।

मैं उसे समुद्र के किनारे ले गया। सोचा कि शायद इससे और कुछ पता चले और संभव है मैं अपना अधिक विश्वास पैदा कर इस युवक को ठीक रास्ते पर ला सकूँ।

पहले मैंने इधर-उधर की बातें की। फिर कहा मदनलाल, तुम अहमदनगर से बम्बई क्यों नहीं आ जाते ? काम तो

तुम्हारे लायक यहाँ कोई मिल ही जायगा। मैं कहता गया—"देखो, बुरे लोगों की संगति में रहोगे तो बहुत पछताओगे। जो कुछ तुमने मुझसे कहा है अगर वह सच है तो याद रक्खो, तुम्हारी बहुत दुर्गति होगी। यह सेठ तुम्हें फँसाकर अपने आप अलग हो जायगा। इसने जो अहमदनगर के मुसलमान व्यापारियों को वहाँ से भगाया है, वह कुछ इसलिए नहीं कि उसे हिन्दुओं से ज्यादा प्रेम है। यदि यह बात होती तो वह अपनी निजी दूकानें न खोलकर किसी ग़रीब हिन्दू को उन दूकानों को देता। लेकिन उन दूकानों से वह ख़ुद पैसा कमा रहा है, और उस कमाई का बहुत थोड़ा-सा हिस्सा तुम पर ख़र्च कर देता है। वह भी सच पूछो तो अपने ही फ़ायदे के लिए, जिससे तुम्हारी वजह से लोगों की नज़रों में वह बड़ा कहा जाय, सेठ कहा जाय। असलियात में वह तुम्हारी मेहनत से फ़ायदा उठा रहा है और शरणार्थी जान कर तुम्हें बेवक़ूफ़ बना रहा है, तुम इस बात को नहीं समझते। ख़ैर, अब तुम मेरी बात मानो तो इन लोगों की सोहबत छोड़ दो और आहिस्ता-आहिस्ता इन लोगों से अलग हो जाओ। एक काम तो तुम कर ही सकते हो, तुम अपना फ़ैसला अभी मत दो, उसे कुछ दिन के लिए मुल्तवी कर दो। देखो, मैं तुम्हारे फ़ायदे की बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तुम एक सीधे-सच्चे और मेहनती लड़के हो। यदि किसी के बहकाये में आकर कुछ कर बैठे तो याद रखना जन्म भर पछताओगे और तुम्हारी ज़िन्दगी ख़राब हो जायगी। तुमको यदि कुछ काम करना है तो शरणार्थियों के लिए करो, जिससे तुम्हारा नाम भी हो और इज्ज़त भी मिले।"

दस से ज्यादा बज चुके थे। मदनलाल कहने लगा—"बहुत

देर हो गई है। करकरे मुझ पर नज़र रखता है। कहेगा कि इतनी देर तक कहाँ थे ?

मन कुछ विचलित-सा हो गया था। कहीं ऐसा न हो कि यह युवक लोभ-लालच में आकर कुछ कर डाले। और फिर वह सावरकर से मिल चुका है! उनका वरद हस्त प्राप्त कर चुका है।

घर लौटकर अपनी पत्नी से चर्चा की। बोलीं कि किसी ने चढ़ा दिया होगा। ऐसे ही बकता है। शरणार्थी है, कुछ शेखी-बाज़ भी है। गांधी जी का कोई क्या कर सकता है? उनको मारने का दुस्साहस कौन कर सकता है ?

अंगदसिंह जी से मुलाक़ात हुई। मैंने कहा—आपके चले जाने के बाद मदनलाल बहुत देर तक बैठा रहा। उसने जो कुछ कहा, उससे मैं बड़ी चिन्ता में पड़ गया हूँ। आपकी राय हो तो हम लोग इसकी सूचना किसी अधिकारी को दे दें। वे कहने लगे—डाक्टर साहब, आप भी उस मूर्ख की बातों में आ गये। अपना बड़प्पन बताने के लिए वह ये बातें आपसे करता होगा। देखते नहीं, आजकल शरणार्थी लोग गांधी जी और कांग्रेस को कितने अपशब्द कहते हैं? मदनलाल को किसी ने भर दिया होगा। हाथ इसका खर्चीला है ही, जहाँ किसी ने रुपये का लोभ दिया, उसके इशारे पर नाचने लगा। और आप जो किसी को सूचना देने की बात कहते हैं तो ऐसे ही किसी से जाकर कह दें।

एकाध दिन बाद मदनलाल फिर आया। मैंने सोचा कि यदि मेरी बातें उसे अच्छी न लगतीं तो वह फिर से न आता; मालूम होता है उस पर असर हुआ है।

मैंने पूछा—क्यों मदनलाल, मैंने जो कुछ उस दिन समझाया था, उस पर विचार किया है ? कहने लगा—"मैं आपको अपने पिता के समान समझता हूँ। अपने मेरी ऐसे समय मदद की है जब मुझे चारों तरफ निराशा ही निराशा दिखाई पड़ती थी। आपने हमेशा मेरे फ़ायदे की बात कही है, और मुझे नेक सलाह दी है। इसलिये यदि मैं आपकी बात न मानूँगा तो बर्बाद हो जाऊँगा।"

उसके बाद पूछने लगा—'बताइये, आप कौनसी पार्टी के मेम्बर हैं ? चुनाव के मौके पर आपकी पार्टी के लिये मैं जी-जान से कोशिश करूँगा।" फिर कहने लगा—"अच्छा, बताइये, इस वक्त मैं आपके लिये क्या करूँ ? आपने जो मेरी भलाई की है उससे मैं उऋग नहीं हो सकता। मैंने कहा—जल्दी मत करो, पहले अपना सब काम जमा लो।

मदनलाल आज अन्तिम बिदा लेने आया था। रात के आठ बजे होंगे। बड़ी जल्दी में था मैं अपने घर के सामने पार्क की दीवार पर बैठा हुआ था। बोला—डाक्टर साहब, नमस्ते, जा रहा हूँ।

"कहाँ ?"

"दिल्ली।"

"किस लिए ?"

"कुछ काम है।"

मैंने बैठने को कहा। कहने लगा—स्टेशन पर पहुँचना है, गाड़ी का वक्त हो रहा है। जल्दी में आया हूँ। मैंने कहा—जो मैंने समझाया था, गाँठ बाँध कर रखना, भूल मत जाना। बोला—अच्छा, आकर फिर मिलूँगा। दिल्ली पहुँच कर चिट्ठी लिखूँगा। नमस्ते।

देखते-देखते रात्रि के अंधकार में वह न जाने कहाँ अदृश्य हो गया।

"कहता है 'मैं दिल्ली जा रहा हूँ ?" न मालूम क्यों जा रहा है! अगर कुछ कर बैठा तो ? लेकिन उसने कहा है—'मैं आपको पिता के समान समझता हूँ; आपकी बात न मानूँगा तो बर्बाद हो जाऊँगा।"

दौड़-धूप

१३ जनवरी को सेंट ज़ेवियर कालेज हाल में पोद्दार कामर्स कालेज की हिन्दी एसोसिएशन का सालाना जल्सा होनेवाला था। व्याख्यान के लिये बाबू जयप्रकाश नारायण को निमन्त्रित किया गया था। भाषण हो रहा था—

"दिल्ली की आज बुरी हालत है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तक वहाँ आज़ादी के साथ नहीं घूम सकते। महात्मा गांधी सम्प्रदायवाद का नाश करने के लिए अपने प्राणों की बाज़ी लगा रहे हैं। साम्प्रदायिकता के ज़हर को नष्ट करना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है।"

बाबू जयप्रकाश नारायण अपना भाषण देकर जाने लगे। भाषण सुनकर मदनलाल का नक़्शा फिर क्षण भर के लिये सामने आ गया, और उन सब बातों की स्मृति जाग उठी जो मदनलाल ने मुझसे कही थीं। मैंने सोचा कि जयप्रकाश जी दिल्ली जा ही रहे हैं, क्या हर्ज है यदि मैं उनसे मदनलाल की बातों का संक्षेप में ज़िक्र कर दूँ, जिससे यदि कोई बात हो तो वे वहाँ के अधिकारी वर्ग को सूचित कर दें।

यह सोच कर सभा से उठ कर मैं उनके पीछे-पीछे चला। मैंने मौक़ा पाकर उनसे कहा—आपसे दो मिनट बात करना चाहता हूँ, यदि समय हो तो? बोले—अभी तो समय नहीं। मैंने कहा—कुछ ज़रूरी काम है, अधिक समय न लूँगा। कहने लगे—क्या बात है? मैं सब के सामने कहने में हिचकिचाया।

फिर सोचा, कुछ इशारा ही कर दूँ, कि शायद आगे जानने की इच्छा स्वयं प्रकट करें। मैंने कहा—देखिये, सम्भव है दिल्ली में कोई बड़ा षड्यन्त्र हो जाय। पूछने लगे—कौन सा षड्यन्त्र? कैसा षड्यन्त्र? मैंने कहा—सब के सामने नहीं कहा जा सकता। बोले, तो फिर जहाँ मैं ठहरा हूँ, कल सुबह आकर मिलिये।

अगले दिन सोचा कि पता लगाने की कोशिश करूँ कि जयप्रकाश जी कहाँ ठहरे हैं; लेकिन मुझे अपने बच्चे को अस्पताल ले जाना था, अतएव मैं उनके दर्शन नहीं कर सका; बाद में पता चला कि जयप्रकाश जी दिल्ली रवाना हो गये हैं।

समय तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। २१ जनवरी आ पहुँची। अखबार उठाया तो पहले ही पृष्ठ पर छपा था कि मदनलाल नामक बम्बई के किसी शरणार्थी ने महात्मा गांधी की प्रार्थना-सभा में बम का धड़ाका किया। धड़ाका सुन कर लोग इधर-उधर भागने लगे, गांधी जी ने सब को शान्तिपूर्वक बैठे रहने को कहा और अपना भाषण जारी रक्खा। मदनलाल पकड़ा गया, और उसके साथी मोटर में बैठ कर भाग गये।

समाचार पढ़कर मैं सन्न रह गया। जो चीज़ इतने दिनों से दिमाग़ में घूम रही थी, आज सामने आ गई। सोचा कि इसकी सूचना जल्दी से जल्दी किसी को दे दी जाय।

अख़बार हाथ में लिये हतबुद्धि-सा बैठा हुआ था कि इतने में अंगदसिंह जी जल्दी-जल्दी आते हुए दिखाई दिये। कहने लगे—डाक्टर साहब, आपका ख़याल बिलकुल ठीक था। हम लोगों को बड़ा धोखा हुआ है; अब हम लोग इसकी सूचना अधिकारियों को दे दें।

मैंने कहा—लेकिन किसी मामूली आदमी को ख़बर देने से काम नहीं चलेगा।

संयोगवश भारत सरकार के गृहमन्त्री श्री वल्लभ भाई पटेल उन दिनों बम्बई आये हुए थे। हम लोगों ने उनके सुपुत्र श्री डाह्या भाई पटेल के घर टेलीफोन किया। मालूम हुआ कि सरदार पटेल अभी सान्ताक्रूज़ हवाई अड्डे पर चले गये हैं। जहाज़ के रवाना होने में सिर्फ़ १५ मिनिट शेष रह गये थे। ऐसी हालत में वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता था।

हम लोगों ने सोचा, क्यों न बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री एस० के० पाटिल को ख़बर दी जाय। लेकिन मालूम हुआ कि वे सरदार पटेल को पहुँचाने गये हैं।

इसके बाद हम लोगों ने बम्बई सरकार के प्रधान मन्त्री श्री बाला साहब खेर को सूचना देने का निश्चय किया। मैंने उनसे टेलीफोन पर कहा कि आज सुबह के अख़बार में जो गांधी जी की प्रार्थना-सभा में बम स्फोट की बात छपी है, उस सम्बन्ध में आपको मैं कुछ ख़ास सूचना देना चाहता हूँ। आपको समय हो तो मिलने आऊँ? उन्होंने शाम के ४ बजे सेक्रेटेरिएट में मिलने को कहा।

अंगदसिंह जी को उस दिन शाम को कोई ज़रूरी अदालती काम था, अतएव मुझे अकेले ही कर्तव्य-पालन के लिये जाना पड़ा। ठीक ४ बजे सेक्रेटेरिएट में पहुँच गया। चपरासी ने कहा—साहब को आज बहुत काम है, मुलाक़ात नहीं होगी। मैंने कहा—मुझे समय दे रक्खा है। प्राइवेट सेक्रेटरी के पास जाना पड़ा। आख़िर ५ बजे मुलाक़ात हुई।

मदनलाल के विषय में मुझे जो कुछ मालूम था, जो सम्बन्ध उससे मेरे थे, और जो कुछ उसने मुझसे कहा था, मैंने आद्योपांत विस्तार से कह सुनाया। बम्बई सरकार के गृहमन्त्री श्री मोरार जी भी पास के कमरे में से आ गये थे। मैंने कहा—"कुछ लोगों

का ख़याल है कि यह काम किसी पागल शरणार्थी का है, लेकिन यह बात बिलकुल झूठ है। इस बम के धड़ाके के पीछे बड़ा भारी षड्यन्त्र मालूम होता है, अतएव गांधी जी की रक्षा के लिये पूर्ण सतर्कता से काम लिया जाना चाहिए। मदनलाल ने मुझसे स्वयं इस बात को कहा है कि उन लोगों की एक पार्टी है। अहमदनगर का करकरे नाम का कोई सेठ इस पार्टी को रुपये-पैसे की मदद देता है। मदनलाल करकरे को लेकर मेरे यहाँ आया था। मदन-लाल के कथनानुसार सावरकर के घर मदनलाल और सावर-कर की दो घंटे तक बातें होती रहीं। सावरकर ने मदनलाल के अहमदनगर में किये हुए कार्यों की बहुत प्रशंसा की और उसे अपनी प्रवृत्तियाँ जारी रखने के लिये उत्साहित किया। मदन-लाल ने यह बात मुझसे स्पष्ट कही है कि गांधी जी की प्रार्थना-सभा में जाकर वह बम फेंकेगा, इससे गड़बड़ी मच जायेगी, और उस समय उसके साथी गांधी जी पर प्रहार करेंगे। इसलिये देश का यह सौभाग्य ही समझना चाहिए कि गांधी जी बच गये और अपराधी पकड़ लिया गया। लेकिन सम्भव है, उसके साथी फिर से कुछ करें, अतएव गांधी जी की रक्षा का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। यदि आप लोग समझते हों कि मेरे दिल्ली जाने से कुछ हो सकता है तो मुझे फ़ौरन ही हवाई जहाज़ से मदनलाल से मिलने दिल्ली भेज दें। बहुत सम्भव है कि उससे षड्यन्त्र का पता लग जाय।"

श्री बाला साहब खेर को शायद शरणार्थियों की किसी सभा में जाना था, वे बीच में उठकर चले गये। श्री मोरार जी भाई कहने लगे कि करकरे के नाम तो बहुत दिनों से वारंट है। मैंने कहा—मदनलाल ने यह बात मुझसे कही है। कहने लगे—ऐसी धमकियाँ तो हम लोगों को भी बहुत-सी आती हैं। ख़ैर,

मैं आज रात को अहमदाबाद दौरे पर जा रहा हूँ, आपकी सूचना सरदार पटेल को दे दूँगा। लेकिन यदि यह सूचना आप हमें पहले से दे देते तो मैं इन लोगों को दिल्ली पहुँचने के पहले ही पकड़वा देता। मैंने कहा—इसका मुझे खुद बहुत अफ़सोस है। दरअसल मैं धोखे में रहा। पहले तो मैंने मदनलाल की बातों को गम्भीर नहीं समझा। मैंने सोचा कि शरणार्थी होने के कारण वह इस तरह की बातें करता है, क्योंकि शिवाजी पार्क मुहल्ले में कितने ही शरणार्थी गांधी जी तथा कांग्रेस नेताओं को खुल्लमखुल्ला गालियाँ देते रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने उसे बहुत कुछ समझाया था, और उसने मेरी सलाह मानने का वादा किया था। कोई व्यक्ति सचमुच गांधी जी की हत्या करने का संकल्प कर सकता है, यह बात मेरी कल्पना से परे थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। यदि आप समझते हों कि दिल्ली जाने से कुछ हो सकता है तो मुझे दिल्ली भेज सकते हैं। मैं हर तरह आपकी मदद करने को तैयार हूँ। यह लीजिए मेरा पता और टेलीफोन नम्बर।

सचमुच आज मेरे मन का बोझ हलका हो गया था। आज मैंने बम्बई सरकार के प्रधान मन्त्री और गृहमन्त्री को षड्यन्त्र का पता बताकर अपना कर्तव्य पालन किया था। मुझे पूर्ण विश्वास था कि अब सरकार अपनी .खुफ़िया पुलिस का जाल बिछा देगी और षड्यन्त्र का पता लगाने में कुछ भी न उठा रक्खेगी।

दिन गुज़रते जा रहे थे। मैं समझता था कि सरकार ने सब बन्दोबस्त कर लिया होगा। सोचता था चलो अच्छा हुआ, मेरी सहायता के बिना ही सब काम हो गया। लेकिन कौन

जानता था कि राष्ट्रपिता अपनी अन्तिम घड़ियाँ गिन रहे हैं और वे अब चन्द दिनों के मेहमान हैं।

जनवरी की वही ३० तारीख़ ! शाम का समय !

रेडियो पर समाचार आ रहा था—बापू को प्रार्थना-सभा में किसी हत्यारे ने गोली मार दी ! बापू स्वर्ग सिधार गये ! ईश्वर की इच्छा ही ऐसी थी !..............

बम्बई सरकार के मन्त्रियों से फिर से मुलाक़ात

३१ जनवरी की सुबह बम्बई सरकार के गृहमन्त्री, श्री मोरार जी भाइ को टेलीफोन करके मैंने उनसे मिलने का समय माँगा। जवाब मिला कि ४ फ़रवरी के बाद मिल सकते हैं। बड़ी निराशा हुइ। सोचा कि ग़म की वजह से शायद न मिलना चाहते हों; लेकिन षड्यन्त्रकारी अभी तक नहीं पकड़े गये। कहीं किसी अन्य नेता के ऊपर न हाथ साफ़ कर दें? सम्भव है, मैं अभी भी सरकार की कुछ मदद कर सकूँ।

बम्बइ सरकार के प्रधान मन्त्री श्री बाला साहब खेर को टेलीफोन किया। जवाब मिला कि गांधी जी की शवयात्रा में सम्मिलित होने वे दिल्ली जा रहे हैं, मैं क्यों न मोरार जी भाइ को टेलीफोन करके उनसे मिल लूँ? मैंने कहा, वे ४ फ़रवरी से पहले नहीं मिल सकते।

एक मित्र ने तिकड़म लगाकर श्री मोरार जी भाइ से मिलने का समय ठीक कर लिया। जब हम गृहमन्त्री के बँगले पर पहुँचे तो उनका सेक्रेटरी मेरे नाम चिट्ठी लिखकर लिफ़ाफ़े में बन्द कर रहा था। मैंने मोरार जी भाइ से कहा कि मैंने आपको फोन किया था। बोले—मैं आपको पहचान नहीं पाया; उसके बाद खेर साहब का फ़ोन मिला, उन्होंने आपका नाम लिया।

मैंने कहा—कोई बात नहीं, मैं स्वयं आ गया। देखिए, मालूम होता है कि षड्यंत्रकारी अभी नहीं पकड़े गये, कहीं वे लोग और कुछ न कर बैठें। इसलिये यदि आप उचित समझें तो

मुझे अब भी फ़ौरन ही दिल्ली भेज दें। सम्भव है, पुलिस की सहायता से इन लोगों का पता लग जाय। श्री मोरार जी भाई ने कहा—ठीक है, मैं सरदार पटेल के सेक्रेटरी शंकर के नाम चिट्ठी लिख दूँगा, और यहाँ से आपके साथ पुलिस का कोई आदमी भेज दिया जायगा।

सोच रहा था कि पहले तो मेरी सेवाएँ बापू को बचाने के लिये किसी काम में न आ सकीं, सम्भवतः अब की बार मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हो।

× × ×

रात को श्री मोरार जी भाई का टेलीफोन आया। अगले दिन उनके बंगले पर बातचीत होने के बाद जब मैं वहाँ से चलने लगा तो मोरार जी भाई ने कहा कि कल मैं आपसे इसलिये बात नहीं कर सका कि आपके साथ एक दूसरे सज्जन थे। मैंने कहा—उन्हें तो मुझे जबर्दस्ती लाना पड़ा, क्योंकि आपने मुझे मिलने का समय नहीं दिया था, और उनकी बदौलत ही मैं आपसे मिल सका।

गृहमत्री ने बताया कि बम्बई स्पेशल ब्रांच के खुफिया विभाग के डिप्टी कमिश्नर श्री नगरवाला मुझसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुझे उनके नाम एक चिट्ठी दे दी और उनसे मिल लेने को कहा।

थोड़ी देर बाद श्री नगरवाला वहीं आ गये। कहने लगे, हमें पूना में कहीं से पता लगा है कि आप इस विषय में बहुत कुछ जानते हैं। मैंने कहा—बेशक, लेकिन अफ़सोस, आप आज मिल रहे हैं। क्या ही अच्छा होता यदि पहले आपके दर्शन होते। जान पड़ता है कि आप को अभी तक नहीं मालूम कि मैंने दस

दिन पहले ही, जो कुछ मुझे पता था, विस्तारपूर्वक सब आपके गृहमंत्री, श्री मोरार जी तथा प्रधान मंत्री, श्री बाला-साहब खेर को सुना दिया था। आप लोगों की बेहद इन्तज़ार थी।

श्री नगरवाला कहने लगे कि जो कुछ हुआ उससे तो हम लोगों को—मालूम नहीं उनका मतलब पुलिस से था या सरकार से—बहुत शर्मिन्दगी उठानी पड़ रही है, लेकिन अब हम लोग इस मामले की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। मैंने कहा—बड़ी .खुशी की बात है। मुझसे जो कुछ मदद हो सकेगी, आपको देने का वादा करता हूँ। यह बात मैं गृहमत्री से भी कह चुका हूँ। इसके बाद जो कुछ मैंने २१ तारीख़ को बम्बई सरकार के मत्रियों से कहा था, संक्षेप में उन्हें कह सुनाया।

श्री नगरवाला बोले—क्यों साहब, यदि हम आपको गिरफ़्तार कर लें तो कैसा रहे? मैंने पूछा—आप किस लिए गिरफ़्तार करना चाहते हैं, मैं नहीं समझा। किसी जुर्म में गिरफ़्तार करना चाहते हैं या जुर्म का पता लगाने में आपको मदद करने के लिये? सीधा उत्तर न देकर कहने लगे—लेकिन हमें डर है कि ऐसा करने से लोग कहीं आपके घर बार को न लूट लें। मैंने देखा कि मैं एक पुलिस के उच्च अधिकारी से बात कर रहा हूँ, और वह बड़े ध्यानपूर्वक मेरे चेहरे पर दृष्टि गड़ाये हुए हैं मेरे मनोगत भावों को पढ़ने के लिये। मैंने उनकी आँखों में आँखें गड़ा कर जवाब दिया—इसकी आपको क्या चिन्ता? क्या इसी लिये आप मुझसे मुलाक़ात करना चाहते थे? लेकिन ध्यान रखिए मिस्टर नगरवाला, सोच समझ कर काम कीजिएगा।

इसके बाद उन्होंने मेरा नाम और पता अपनी प्राइवेट डायरी में लिखते हुए कहा कि वे मुझसे फिर कभी मिलेंगे, और दोनों

पाँव मिलाकर बाक़ायदा फ़ौजी ढंग से सलामी झुकाते हुए टैक्सी द्वारा मुझे अपने घर भिजवा दिया।

× × ×

मन बड़ा व्याकुल था। डिप्टी कमिश्नर की बातों से और सोच-विचार में पड़ गया था। राष्ट्र के शत्रुओं का पता लगाने में मदद करने के बदले ये तो और भी उल्टी बातें कर रहे थे।

ज्यों त्यों करके एक-दो दिन बीते। ४ फ़र्वरी को बम्बई सरकार के प्रधान मंत्री श्री बाला साहब खेर को टेलीफोन किया और कहा कि मैं बड़ा उद्विग्न हूँ। उस समय भी नहीं मिल सका था, मिलना चाहता हूँ। कहने लगे—देखिए, अब क्या हो सकता है। हम लोग तो दिल्ली में थे नहीं. हमने आपकी दी हुई सूचना दिल्ली पहुँचा दी थी, और हम कर ही क्या सकते थे। आप मिलना चाहें तो खुशी से आ सकते हैं।

रास्ते में सोचता हुआ जा रहा था—पहले से सूचना पाने पर भी एक प्रधान मंत्री कहता है कि वह कर ही क्या सकता था.........

खेर साहब स्नान करने गये थे। उनके आते ही बातचीत शुरू हो गई। कहने लगे—ईश्वर की मर्ज़ी ही ऐसी थी। कल मुझे भी आकर कोई क़त्ल कर सकता है। कुछ देर तक गीता का उपदेश देते रहे। नैतिकता पर किसी अँगरेज़ लेखक की पुस्तक पढ़ने को कहा। मैं हैरान था कि मतलब की बात तो कुछ हो नहीं रही। मैंने बड़े अदब से कहा—यह सब तो ठीक है, कुछ काम की बात बताइए: सम्प्रदायवाद को कैसे दूर किया जाय ? कहने लगे—सम्प्रदायवाद (Communalism) और साम्यवाद (Communism) दोनों ही घातक हैं। देखिए, आप

कालेज के प्रोफ़ेसर हैं, यदि आप बीस विद्यार्थी भी ऐसे तैयार कर दें जो गांधी जी के सिद्धांतों पर चलें और उन सिद्धान्तों का प्रचार करें तो मुझे बड़ा सन्तोष हो।

विषयान्तर करते हुए मैंने कहा—देखिए, आपके डिप्टी कमिश्नर मुझे गिरफ्तार करने की कुछ बात कह रहे थे। बोले—इसमें हम क्या कर सकते हैं? वे जैसा उचित समझेंगे, करेंगे। आख़िर पुलिस तो सब काम अपने ढंग से करती है। मैंने कहा—और मैंने जो आपको पहले से इत्तला दी है? बोले—हम तो आपको जानते नहीं। हो सकता है, आपका भी षड्यंत्रकारियों से सम्बन्ध हो, और जब आपने देखा कि कहीं पता न लग जाय तब आपने हम लोगों को खबर दे दी हो।

एक प्रधान मंत्री जैसे ज़िम्मेवार व्यक्ति से ऐसी कड़ी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया लेकिन मैं अपने आपको सँभालते हुए बोला—तो मैंने व्यर्थ ही आप लोगों का विश्वास किया? कहने लगे—नहीं, हम कोशिश यही करेंगे कि आपको हैरान न होना पड़े, लेकिन कह कुछ नहीं सकते, क्योंकि पुलिस जो चाहे कर सकती है।

मैंने कहा—अच्छा, यह बताइए कि क्या आप लोगों की ओर से इस सम्बन्ध में कोई असावधानी नहीं हुई? बोले—आप ही कहिए, हम क्या कर सकते थे? गांधी जी ने प्रार्थना-सभा में आनेवालों की तलाशी लेने के सम्बन्ध में मना कर रक्खा था। ऐसी हालत में कोई भी उनकी प्रार्थना-सभा में जा सकता था। फिर हम लोग तो दिल्ली में थे नहीं जो हम पुलिस आदि का प्रबन्ध कर सकते। हाँ, बम्बई में कुछ होता तो बात दूसरी थी। हम लोगों ने आपकी सूचना अगले दिन सरदार

वल्लभ भाई पटेल के पास पहुँचा दी थी। गांधी जी से मैंने स्वयं आपकी बात कह दी थी।

मैंने कहा—गांधी जी से कहने का तो कोई अर्थ था नहीं। वे खुद कभी भी यह कहनेवाले नहीं थे कि आप लोग मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस दिन मैंने आपको षड्यन्त्र की सूचना दी थी उसी दिन मेरे कहे अनुसार यदि आप मुझे मदनलाल से मिलने दिल्ली भेज देते तो बहुत सम्भव था कि षड्यन्त्र का पता लग जाता और आज यह दुर्दिन न देखना पड़ता। मैं हर तरह की जोखिम उठाने को तैयार हूँ, यह बात मैंने आपसे कही थी, और सच पूछिये तो जोखिम उठाकर ही मैं षड्यन्त्र की खबर देने आप लोगों तक आया था। क्योंकि, मैं समझता था कि गांधी जी की रक्षा करते हुए मेरी जान भी चली जाती तो यह सौभाग्य की ही बात होती।

प्रधान मन्त्री के पास इसका कोई जवाब नहीं था। क्योंकि दिल्ली भेजना तो दूर रहा, २१ जनवरी से ३० जनवरी की शाम तक मेरे पास कोई सरकार या पुलिस का आदमी तक नहीं आया था, और सम्भवतः जिन मन्त्रियों को मैंने यह सूचना दी थी वे मेरी सूचना की ओर से सर्वथा उदासीन थे, सम्भवतः मेरा नाम तक उन्हें ठीक तौर से याद न रहा हो। अस्तु।

खेर साहब बोले—हाँ, यह आप ठीक कहते हैं। सम्भवतः हम दोषी हैं और शायद इस तरह गांधी जी की जान बच जाती।

खेर साहब का मैंने काफ़ी समय ले लिया था। उन्हें धन्य-वाद देकर और नमस्कार करके मैं जा ही रहा था कि संयोगवश गृहमन्त्री श्री मोरार जी वहीं आ गये। उन्हें देखते ही खेर साहब

मेरी तरफ़ देखकर कहने लगे—लीजिए ये आ गये हैं, अब आपको जो पूछना हो इनसे पूछिए। उसी श्वास में उन्होंने मोरार जी भाई से कहा कि देखिए, ये महाशय हमारी असावधानी के कारण हम पर दोषारोपण कर रहे हैं।

इतना सुनना था कि गृहमन्त्री एकदम आपे से बाहर होकर एक अधिकारी की आवाज़ में तड़क-भड़क के साथ बोलने लगे—मैं जानता हूँ आप भी षड्यन्त्रकारियों में से हैं, मैं चाहूँ तो आपको जेल भिजवा सकता हूँ। आपने मदनलाल को मदद दी है, और आपने पहले से आकर हमें यह सूचना नहीं दी। (I know you are one of the conspirators; I can lock you up, you have helped Madanlal, you did not give this information beforehand.)

मोरार जी भाई की आवाज़ सुनकर खेर साहब का कुटुम्ब-परिवार, उनके नौकर-चाकर, चपरासी, मोटर-ड्राइवर, बंगले का माली, हवालदार आदि सब इकट्ठे हो गये थे और गृहमन्त्री धाराप्रवाह गति से मुझे डाँटते-डपटते चले जा रहे थे।

क्षणभर के लिए मेरे जी में आया कि मैं भी अपनी सारी शक्ति लगा कर चीखूँ और चिल्लाऊँ कि दोषी मैं नहीं, तुम हो; उस गांधी का तो ज़रा खौफ़ खाकर बात करो जिसके अनुयायी अपने को कहते हो। परन्तु न जाने क्यों चुप था। इतनी सहिष्णुता न जाने कहाँ से आ गई थी!

सब से अधिक आश्चर्य मुझे इस बात का हो रहा था कि जो प्रधान मंत्री महोदय अभी कुछ क्षण पहले मेरी बात से सहमत होकर अपनी ग़लती स्वीकार कर चुके थे, वे भी मोरार जी भाई के स्वर में स्वर मिला कर मुझ पर वाक्प्रहार करते हुए अपना रोष प्रकट करते जाते थे और कहते जाते थे कि देखा

आपने ? जो कुछ आपने मुझसे अभी कहा है, उसके लिए आपको पश्चात्ताप होना चाहिए।

इतनी डाँट मैंने कभी अपने गुरुजनों से भी नहीं खाई थी। और सो भी किस अपराध में ? यही न कि राष्ट्रपिता की मैं रक्षा करना चाहता था, जिसके लिए बड़े अन्तर्द्वन्द्व के बाद, बड़ी कठिनाइयाँ पार कर षड्यंत्र का पता देने के लिए मैं सरकारी अधिकारियों तक पहुँचा था और उसका यह परिणाम! इन मन्त्रियों का विश्वास करना गुनाह है।

मैं गुस्से में भरा हुआ था। जैसे ही श्री मोरार जी भाई ने अपना भाषण बन्द किया, मैंने दृढ़तापूर्ण शब्दों में कहना शुरू किया—क्या आप जेल का डर दिखाकर मेरा मुँह बन्द कर देना चाहते हैं ? सत्य की आवाज़ को दबा देना चाहते हैं ? आपको शायद मालूम न हो, मैंने भी जेल देखी है। मैंने भी देश-सेवा की है। मैंने भी देश के लिये कष्ट सहे हैं। इस समय आपके हाथ में सत्ता है। यदि आप मेरी ईमानदारी और सचाई का यही पुरस्कार समझते हैं तो जेल में डालिए, मैं देखता हूँ। आख़िर गांधी जी ने अपने सिद्धांतों के कारण अपने प्राण दिये, मुझे यदि उनकी जान बचाने की कोशिश करते हुए आपकी जेलों की यातना सहन करनी पड़े तो कौन बड़ी बात है ? और मेरे घर पुलिस भेजने की भी आपको ज़रूरत नहीं, मैं स्वयं आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। हुक्म दीजिए अपने हवलदार को जो आपके बंगले का पहरा दे रहा है। मगर याद रखिए, सत्य को आप नहीं दबा सकते। मैं हज़ार बार दुनिया को सुना-सुनाकर कहूँगा, आप दोषी हैं, आप दोषी हैं। यह कहने का मुझे पूरा अधिकार है। इस अधिकार को आप छीन नहीं सकते। आप लोग जनता के सेवक हैं। उसने आपको इस

पद पर बैठाया है। मैं आप पर भरोसा रखकर आपके पास आया था जिससे आप बापू को बचा लें। आप उनको नहीं बचा सके, यह देश का दुर्भाग्य, लेकिन आप उल्टे मुझे ही दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि हत्या में मेरा भी हाथ था। क्या आप जैसे अधिकारी के लिए यह उचित है ?

यदि गांधी जी की आत्मा ने यह बात-चीत सुनी होती तो निश्चय ही वे अपने अनुयायियों के इस बर्ताव पर आँसू बहाये बिना न रहते।

मोरार जी भाई शान्त हो गये थे। कहने लगे—यदि मैं आपको षड्यन्त्रकारी समझता तो अब तक कभी का आपको गिरफ्तार करा लेता। बात यह नहीं है। असल में जो आप हम लोगों को दोषी ठहराते हैं, उसका यह उत्तर है। दिल्ली पुलिस जब बम्बई पुलिस को दोषी बताने लगी तो उससे भी हमने यही कहा था कि जो कुछ सूचना हमें आपके द्वारा २१ जनवरी को मिली थी, उसे हमने दिल्ली पहुँचा दिया था; इसमें हमारा दोष नहीं।

मैंने कहा—तो अब समझा कि आप अपने आपको निर्दोष साबित करने के लिए मुझे गिरफ्तार कराकर बलि का बकरा बनाना चाहते हैं।

वापस आने के लिए पाँव नहीं पड़ रहे थे। दिल भारी हो गया था, सोचने की शक्ति नहीं रह गई थी, और इतनी दूर से इतने बड़े शरीर को ढोकर लाना बड़ा मुश्किल मालूम दे रहा था।

"मैं जानता हूँ, आप भी षड्यंत्रकारियों में से हैं, मैं चाहूँ तो आप को जेल भिजवा सकता हूँ"—ये शब्द कानों में गूँज रहे थे।

लोग कहेंगे—'चले थे गांधी जी को बचाने ! हम पहले ही न कहते थे कि अधिकारियों के मुँह लगना अच्छा नहीं। आज ये पहले जैसे नेता नहीं, अधिकारी हैं; अधिकार की कुर्सियों पर शोभायमान हैं। आखिर आये उनसे डाँट खाकर ?' लेकिन उन्हें कहने दो। स्वतन्त्र भारत का नागरिक होने के नाते क्या यह मेरा फ़र्ज़ नहीं था कि मैं अधिकारियों से जाकर पूछूँ कि मेरी दी हुई सूचना का कुछ उपयोग किया गया है या नहीं ? और यदि किया गया है तो फिर वे बापू को क्यों न बचा सके ?

१५ अगस्त, १९४७ के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने रेडियो-भाषण* में कहा था कि आज से हमारा देश आज़ाद हो गया है और आज से प्रत्येक भारतवासी बादशाह है। उन्होंने यह भी कहा था कि हम लोग जनता के सेवक हैं और जनता के दुख-दर्द को दूर करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन यह तो सत्य का गला घोंटने की और अपने दोषों को दूसरों पर लादने की कोशिश है !

क्षण भर के लिए मैं अपने गुज़रे हुए जीवन पर दृष्टि दौड़ा गया—

विद्यार्थी अवस्था में गांधी जी के साहित्य को कितने चाव से पढ़ता था। उनकी आत्मकथा का कितनी बार पारायण किया था। गांधी टोपी के लिए अजमेर के हाई स्कूल से त्यागपत्र देना पड़ा था। सन् १९३० के आन्दोलन में कालेज छोड़कर चला आया था। आन्दोलन में काम किया था। गांधी जी की गिरफ़्तारी से कितना धक्का लगा था। उस दिन पहली बार

*इस भाषण के लिए मैंने उन्हें पत्र द्वारा बधाई दी थी।

राष्ट्रीयता की उत्कट भावना से सिहर उठा था। गांधी जी के जीवन से प्रभावित होकर मैंने अपने जीवन को ढालने का प्रयत्न किया था। १९४२ के राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया था। जेल की यंत्रणाएँ सही थीं। सन् १९४७ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अपील पढ़कर पश्चिमी संयुक्त प्रान्त में हिन्दू-मुसलिम दगों को रोकने के लिए दंगा-ग्रस्त क्षेत्रों में घूम-घूमकर जनता में मेलजोल का प्रचार करने के लिए उनके मन्त्री प्रोफ़ेसर हुमायूँ कबीर को अपना नाम भेजा था। पंजाब और सिन्ध के शरणार्थी जब शिवाजी पार्क मुहल्ले में गांधी जी और कांग्रेस के प्रति खुल्लमखुल्ला अपशब्द कहते थे तो उन लोगों के दिलों से सम्प्रदायवाद की भावना हटाने का भरसक प्रयत्न किया था। मेरे भाषणों, व्याख्यानों, गोष्ठियों और साहित्य में यही सब तो है। लेकिन फिर भी सरकार के मन्त्री यह कहने की जुरत करते हैं कि मेरा भी षड्यंत्र में हाथ था और जब मैंने देखा कि कहीं पता न लग जाय तो उन्हें खबर दे दी। लेकिन यह तो 'उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे' वाली कहावत को चरितार्थ करता है। यह तो साफ़ अपने दोषों को छिपाने की चेष्टा है।

सरकारी बँगले से निकल कर इन विचारों में डूबा, 'बस' में बैठा हुआ, मैं चला जा रहा था। मालूम नहीं कहाँ? पता नहीं कि कालेज कब पहुँचा। देखा कि विद्यार्थियों का एक विशाल जन-समूह गांधी जी की शोक-सभा में एकत्रित है। मुझे भी बोलने की आज्ञा हुई। ज्यों त्यों करके बोलने को खड़ा हुआ। सम्प्रदायवाद और उसके पोषकों को बहुत कुछ कह डाला और सम्प्रदायवाद के ज़हर को नष्ट करने के लिए जोरदार अपील की। चाहिए था यह कि बड़ी गम्भीर मुद्रा बनाकर महान्

आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाती, लेकिन बोल गया बहुत कुछ।

किसी काम में मन नहीं लगता था। जीवन में निराशा-सी छा गई थी। इधर-उधर के बहुत से विचार मन में आते थे। अपने दुख, अनादर और अपमान की बात कहूँ तो किससे कहूँ, लेकिन न कहने से भी तो काम चलनेवाला नहीं था। यदि पुलिस जेल में डालकर मेरा मुँह बन्द कर दे तो सचाई मुझ तक ही रह जायेगी, फिर अधिकारी लोग इच्छानुसार चाहे जैसा प्रचार कर सकेंगे।

सोचा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को सब बातें लिख भेजूँ। लेकिन उससे क्या होगा? क्या वे अपने मन्त्रियों के मुक़ाबले में मेरी बात पर विश्वास करेंगे? पहले तो उनके पास तक चिट्ठी पहुँचना ही कठिन है, यदि किसी तरह पहुँच भी गई तो उनके पास इतना समय कहाँ है कि वे उसे पढ़कर इन बातों की हक़ीक़त जानने की कोशिश करें? तो फिर क्यों न उनसे दिल्ली जाकर मिल लूँ? लेकिन मुलाक़ात कैसे होगी? अगर हो भी गई तो उन्हें मेरी सचाई पर कैसे विश्वास होगा? यदि किसी बड़े नेता का परिचय-पत्र लेकर जाऊँ? लेकिन इस काम के लिए कौन पत्र देने को तैयार होगा?

इस प्रकार बड़े अन्तर्द्वन्द्व से गुज़र रहा था। समझ में नहीं आता था कि इतनी बड़ी शक्ति का मुक़ाबला कैसे किया जाय? सचाई की रक्षा कैसे की जाय? और उसे किस प्रकार जनता तक पहुँचाया जाय?

१७ फ़रवरी, १९४८ को अचानक एक पुलिस के अफ़सर ने मेरे घर में प्रवेश किया। मालूम हुआ कि वे खुफ़िया विभाग से आये हैं। सोचा कि कहीं वारंट लेकर तो नहीं आये। मैंने कहा

कि आप लोगों की बहुत दिनों से इन्तज़ार थी। कहने लगे—आपका बयान लेने के लिए आया हूँ। मैंने कहा—अपना बयान तो मैं २१ जनवरी को श्री बालासाहब खेर और श्री मोरार जी भाई को दे चुका हूँ। बोले—लिखित बयान चाहिए। मैंने पूछा—उसका क्या होगा? कहने लगे—गांधी-हत्याकाण्ड का मुक़दमा चलेगा, उसमें आपकी शहादत होगी, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने पूछा—इसमें मेरे ख़िलाफ़ तो कोई बात नहीं? बोले—आपके ख़िलाफ़ इसमें क्या हो सकता है? आपने तो गांधी जी को बचाने के लिए सब कुछ किया।

ब्यौरेवार मैंने अपना सब बयान लिखवा दिया। अन्त में जब खेर साहब और मोरार जी भाई का नाम लिखने की बात आई तो पुलिस अफ़सर लिखने में आनाकानी करने लगा। मैंने कहा—तो फिर यह बयान ही फ़िजूल है, मैं बयान नहीं देना चाहता। कहने लगे—देखिए, इसमें हमारे मालिकों पर आँच आती है। अस्तु, बहुत कहने पर उन्होंने मन्त्रियों के नाम की जगह "उच्च पदाधिकारियों को सूचना दी", ऐसा लिख दिया।

कुछ दिनों बाद बम्बई के चीफ़ प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट के सामने हलफ़िया बयान देने के लिए मैं उपस्थित किया गया। जाति-उपजाति, धर्म, आदि लिखाने के लिये आग्रह किये जाने के बाद मैंने अपना संक्षिप्त बयान लिखा दिया। देखा जाय तो पुलिस के सामने मैं अपना विस्तृत बयान दे चुका था, सिर्फ़ इसमें बम्बई सरकार के प्रधान मंत्री और गृहमन्त्री का नाम नहीं आया था, इसलिए मैंने केवल कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाओं के साथ इन नामों को इस बयान में दर्ज करा दिया।

सोचता था कि मोरार जी भाई वाली बात का भी कुछ

उल्लेख कर दूँ, लेकिन फिर सोचा कि कहीं असम्बद्ध कहकर उसकी उपेक्षा न कर दी जाय।

दूसरी बात मैं यह भी सोचता था कि इस समय मुख्य उद्देश्य अपराधियों को दण्ड दिये जाने का होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की बाधा न आनी चाहिए, बाक़ी बातें तो बाद में भी कही जा सकती हैं।

दो-चार दिन बाद मुल्ज़िमों की शनाख़्त के लिए जाना पड़ा। शनाख़्त करने वालों में टैक्सी ड्राइवर से लेकर, होटल के नौकर, होटल-मैनेजर, धर्मगुरु और कारख़ानों के मालिक सेठ-साहूकार तक थे। किसी ने मुल्ज़िमों को रुपया-पैसा दिया था, किसी ने अस्त्र-शस्त्र दिये थे, किसी ने उन्हें अपने घर ठहराया था, कोई उन्हें टैक्सी में बैठाकर ले गया था और किसी के होटल में वे रहे थे।

लगभग इसी समय सरकार ने विशेष क़ानून द्वारा गांधी-हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में कुछ लिखने की मनाही कर दी। अतएव इच्छा होने पर भी इस विषय में पत्रों में कुछ प्रकाशित नहीं करा सकता था।

पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाक़ात

महात्मा गांधी की हत्या के पश्चात् भी बहुत समय तक पुलिस मेरा बयान तक दर्ज करने नहीं आई थी। १७ फरवरी को पुलिस ने जब मेरा बयान दर्ज किया तो उसने मन्त्रियों का नामोल्लेख करने से इन्कार कर दिया था।

मालूम हुआ कि अप्रैल के अन्त में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू बम्बई आ रहे हैं। सोचा कि उनसे मिलकर सब बातें कह दूँ, यद्यपि मुलाक़ात होना कोई आसान काम न था। फिर इतना बड़ा दास्तान सुनाने के लिए कुछ तो समय चाहिए।

अस्तु, मैंने पंडित नेहरू के नाम एक विस्तृत पत्र लिखकर तैयार किया जिसमें कहा गया कि मुझे किस प्रकार मदनलाल ने षड्यन्त्र का पता बताया था, मैंने किस तरह बम्बई सरकार के मन्त्रियों को १० दिन पहले उसकी सूचना दी थी, और गांधी जी की हत्या के बाद जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मेरे साथ क्या बर्ताव किया। पत्र लिखे जाने के बाद उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को टेलीफोन किया तो मालूम हुआ कि पंडित जी को अवकाश ही नहीं।

पंडितजी के पास तक पहुँचने में कितनी कठिनाइयाँ हैं, यह मैं अच्छी तरह समझता था, लेकिन भटकने का कुछ आदी-सा हो गया था। उक्त अधिवेशन पर संयुक्तप्रान्त से आये हुए कुछ सज्जनों से मिला, और उनके जरिये बड़ी कोशिशों

के बाद पण्डितजी के एक दूसरे सेक्रेटरी तक पहुँच पाया। उन्होंने बेबसी बताते हुए कहा कि पण्डितजी को अवकाश तो नहीं है, फिर भी वे कोशिश करके देखेंगे।

मुझे मलाबार हिल पर स्थित गवर्नमेण्ट हाउस में आने को कहा गया, और अन्दर दाखिल होने की चिट्ठी दे दी गई।

मैं नियत समय पर गवर्नमेण्ट हाउस पहुँचा। दरवाज़े पर चिट्ठी दिखाई। मुझसे कहा गया कि आगे चलकर बाईं तरफ़ .खुफ़िया पुलिस की चौकी पर तैनात पुलिस अफ़सर से मिलता जाऊँ।

अन्दर पहुँचने पर वही पुलिस अफ़सर आ धमके। वे मेरे परिचित थे। मुस्करा कर कहने लगे—आप यहाँ कैसे? मैंने कहा—पंडितजी से मिलना था। कहने लगे—लेकिन आपका नाम तो मुलाक़ात करनेवालों की सूची में है नहीं। मैंने ज़रा हँसकर कहा—नहीं है तो कृपया अब लिख लीजिए। जवाब दिया—यह कैसे हो सकता है?

पंडितजी से मिलने के वास्ते एक बड़े पादरी (बिशप) भी वहाँ आये हुए थे। उनके गले में बड़े-बड़े दानों की सोने की कंठी थी, एक सलीब लटक रहा था, ऊँचा-लम्बा उनका क़द था; बहुत सलीस अँगरेज़ी बोल रहे थे। कहने लगे—कहिए, आप कैसे आये हैं? मैंने कहा—पंडितजी से कुछ बात करनी है। पूछने लगे—मिलने का समय तो आपको दिया होगा? मैंने कहा—समय तो नहीं दिया, रामभरोसे चला आया हूँ। मुलाक़ात हो गई तो ठीक, नहीं तो दर्शन करके लौट जाऊँगा।

मैंने कहा—आपको तो समय दिया होगा? कहने लगे—किसी 'डिनर' के मौक़े पर मैंने उनसे वक्त ले लिया था, और

फिर मैं तो अपनी जाति के काम से मिलने आया हूँ, मेरा कोई निजी मतलब उनसे नहीं है।

थोड़ी देर में पंडितजी आ गये। बिशप साहब उन्हें देखकर उठे, मैं भी खड़ा हो गया। उन्होंने हाथ मिलाया, मैंने भी हाथ बढ़ाया और अपना नाम बता दिया। इसके बाद उन्हें साथ लेकर पंडितजी अन्दर चले गये।

लगभग २० मिनिट बाद जब वे बाहर आये तो मैं फिर खड़ा हो गया। मैंने कहा—आपसे मिलना चाहता हूँ। बोले—आप लोग बिला वक्त. मुक़र्रर किये आ जाते हैं। मैंने कहा—जी हाँ, गुस्ताखी-माफ़ हो, किसी जरूरी काम से आया हूँ, ज्यादा वक्त ज़ाया न करूँगा। इतना कहकर मैंने अपना लिफ़ाफ़ा उनकी तरफ़ बढ़ा दिया।

लिफ़ाफ़ा खोलकर पंडितजी चिट्ठी पढ़ने लगे। चिट्ठी में लिखा था—

२८ शिवाजी पार्क
बम्बई २८
२०-४-४८

श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू,

प्रियवर पंडितजी,

अत्यन्त दुःख और शोकाभिभूत मन से मैं उन कतिपय घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ जो महात्मा गांधी की हत्या के पूर्व और पश्चात् घटीं। गांधी जी को बचाने का मैंने बहुत प्रयत्न किया, बम्बई के माननीय प्रधान मन्त्री श्री बी० जी० खेर तथा माननीय गृहमन्त्री श्री मोरार जी

देसाई से मुलाक़ात करके। वास्तव में यह पत्र मैं आपको बहुत पहले लिखना चाहता था, परन्तु यह सोचते हुए कि पत्र आप तक पहुँच सकेगा या नहीं, तथा इसे पढ़ने के लिए आपके पास समय होगा या नहीं, मैंने इसे आपके पास नहीं भेजा।

जिन घटनाओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वे निम्न प्रकार हैं—

२१ जनवरी, १९४८ के अख़बारों में ज्योंही मैंने मदनलाल द्वारा महात्मा जी पर किये हुए कायरतापूर्ण आक्रमण के विषय में पढ़ा, चूँकि मदनलाल के विषय में मुझे कुछ मालूम था, मैंने फ़ौरन ही सरदार वल्लभ भाई पटेल से, जो संयोगवश उस समय बम्बई में थे, मिलने का प्रयत्न किया। जब मुझे पता चला कि वे यहाँ से चले गये हैं, मैंने बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री एस० के० पाटिल को टेलीफोन किया, लेकिन मालूम हुआ कि वे भी घर पर नहीं हैं और वे सरदार पटेल को हवाई अड्डे पर पहुँचाने गये हैं। तत्पश्चात् मैंने बम्बई सरकार के प्रधान मन्त्री श्री बी० जी० खेर को टेलीफोन करके उनसे मिलने का समय माँगा। मैंने उसी दिन सेक्रेटेरिएट के दफ़्तर में चार बजे शाम को प्रधान मन्त्री और गृहमन्त्री से मुलाक़ात की और मदनलाल का पूर्व इतिहास, जो मुझे ज्ञात था, विस्तारपूर्वक कह सुनाया।

मदनलाल का परिचय मुझे पंजाब के एक शरणार्थी के रूप में कराया गया था; नौकरी तथा कपड़े की उसे ज़रूरत थी। आजीविका चलाने में मदद करने के लिए मैंने उसे कुछ समय के लिए अपनी कुछ किताबें कमीशन पर बेचने को दीं। तत्पश्चात्, कुछ दिनों बाद जब वह मुझसे मिला, उसने बताया कि अहमद-

नगर में उसने फलों की एक दुकान खोली है और उसका गुज़ारा अच्छी तरह चल रहा है। एक दिन बातों के दौरान में उसने बताया कि अहमदनगर में करकरे (गोडसे के मुक़दमे में जो आजकल एक ख़ास अभियुक्त है) उसकी मदद करता है; अहमदनगर की किसी सभा में जब रावसाहब पटवर्धन हिन्दू-मुसलिम एकता पर भाषण दे रहे थे, उसने उन पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया; उसने अहमदनगर के किसी मालदार मुसलमान के घर को डाइनैमाइट लगाकर उड़ाना चाहा; अहमदनगर में शस्त्रों का एक आगार है; तथा स्थानीय पुलिस साम्प्रदायिक विचारों की है, इसलिए उसके और उसके साथियों के ख़िलाफ़ कारवाई किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। (इस तरह के कुछ समाचार मराठी पत्रों में भी प्रकाशित हुए थे, जिन्हें मदनलाल ने मुझे दिखाया था।)

मदनलाल ने बताया कि अहमदनगर में उसके 'पराक्रमों' के विषय में जानकारी प्राप्त कर हिन्दू महासभा के वीर सावरकर ने उसे वहाँ से बुलवाया तथा अहमदनगर में मुसलमानों के विरुद्ध की जानेवाली उसकी प्रवृत्तियों के लिए उसकी पीठ ठोंकी। उसने यह भी प्रकट किया कि महात्मा गांधी की हत्या करने का एक षड्यन्त्र रचा गया है तथा गांधी जी की प्रवृत्तियों की सूचना उसे तथा उसकी पार्टी के सदस्यों को गांधी जी के पास रहनेवाली किसी महाराष्ट्री महिला द्वारा मिलती रहती है। उसने मुझे बम्बई में स्थित शस्त्रागार के विषय में बताते हुए कहा कि वहाँ किसी सिख वेशधारी महाराष्ट्री व्यक्ति का पहरा रहता है।

मदनलाल ने जब मुझसे उपर्युक्त षड्यन्त्र के विषय में बातचीत की, मैंने उसकी बातों का जोरदार प्रतिवाद किया और

उसके दुष्ट विचारों की तीव्र निन्दा की, तथा इस प्रकार के नीचतापूर्ण दुष्कृत्य में प्रवृत्त होने के विचार को भी अपने मस्तिष्क से निकाल देने के लिए उसे चेतावनी दी। मैंने उसके हृदय में उदार भावनाओं को संचारित करने का प्रयत्न किया और उसे किसी रचनात्मक तथा निरुपद्रव कार्य में समय लगाने की सलाह दी। उस समय मदनलाल ने सचमुच मुझसे वादा किया कि वह सब साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा। उसने कहा कि चूँकि बड़े कष्ट के समय मैंने उसकी सहायता की है, वह मुझे पितृतुल्य मानता है और वह कभी मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई काम न करेगा।

दूसरे रूप में भी, अभी हाल में शरणार्थी तथा अन्य समाज-विरुद्ध लोगों में साम्प्रदायिक हिंसा और अपराध-विषयक बातें करने का रिवाज-सा हो गया था, अतएव सच पूछा जाय तो मैं इस बात का स्वप्न में खयाल तक नहीं कर सकता था कि मदनलाल की अनर्थकारी बातचीत में सचाई का कोई अंश हो सकता है।

लेकिन महात्मा जी की हत्या करने के लिए मदनलाल ने जो बम फेंका उससे मेरे हृदय को बड़ा ज़बर्दस्त धक्का लगा। ऐसी हालत में मदनलाल से जो मेरी बातचीत हुई थी, उससे मुझे मदनलाल के विषय में जो कुछ मालूम हुआ, उन सब बातों की सूचना मैंने जल्दी से जल्दी बम्बई सरकार के प्रधान मंत्री और गृहमंत्री को दे दी। मैंने इन लोगों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि दिल्ली में जो बम का धड़ाका हुआ है उसे मामूली घटना समझकर उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और न यह सोचना चाहिए कि प्रार्थना-सभा में सिर्फ़ गड़बड़ मचाने की नियत से ऐसा किया गया है। बल्कि महात्मा जी

को हम लोगों के बीच में से उठा लेने के लिए हिन्दू जाति के कुछ लोगों की यह घातक और जान बूझ कर की हुई कोशिश मालूम होती है। मदनलाल से मेरी जो कुछ बातें हुई थीं, वे सब मैंने मन्त्रियों को विस्तार से कह सुनाईं, तथा मैंने उन्हें यह बताने की कोशिश की, जो मैं अब स्वयं अनुभव करने लगा था, कि महात्मा जी के ऊपर बम का फेंका जाना किसी पागल व्यक्ति का काय नहीं, बल्कि पीड़ित शरणार्थियों में से किराये के टट्टू किसी दुस्साहसी शरणार्थी को आगे करके हिन्दू महा-सभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्प्रदायवादी षड्यन्त्र-कारियों का गांधी जी की हत्या करने का यह मिला जुला प्रयत्न है। मैंने मन्त्रियों से इस बात को जोर देकर कहा कि महात्मा जी की रक्षा के लिए जल्द से जल्द और सख़्त से सख़्त रक्षा-उपायों को काम में लाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। मैंने इस काम में सरकार को हर तरह मदद करने के लिए अपनी सेवाएँ समर्पित कीं। मैंने मन्त्रियों से यह भी कहा कि यदि आवश्यक हो तो महात्मा जी की हत्या के लिए जो कुत्सित षड्यन्त्र रचा गया है उसका पता लगाने के लिए हवाई जहाज़ से दिल्ली जाकर मैं मदनलाल से मिलने को बिलकुल राज़ी हूँ। इसके सिवाय, मदनलाल ने मुझसे शस्त्रागार आदि के विषय में जो कुछ कहा था, उसे भी मैंने मन्त्रियों से कह सुनाया।

यह क़िस्सा सुनकर मन्त्रियों ने मुझे विश्वास दिलाया कि महात्माजी की रक्षा के लिए सब प्रकार की आवश्यक सावधानी से काम लिया जायगा, तथा जो कुछ मैंने उन लोगों से कहा था उसकी सूचना तुरन्त ही केन्द्रीय सरकार के गृहमन्त्री सरदार पटेल को दे दी जायगी।

मालूम नहीं, बाद में क्या हुआ, लेकिन इतना अवश्य है

कि इसके बाद मन्त्रियों के पास से मुझे कोई खबर नहीं मिली।

अचानक ३० जनवरी, १९४८ को गांधी जी की हत्या का समाचार देशभर में बिजली की तरह फैल गया। लज्जा, दुःख और पश्चात्ताप की उन भावनाओं का वर्णन करना यहाँ व्यर्थ है जिनसे अपने अन्य देशवासियों के साथ मेरा मन उद्विग्न हो उठा था।

अस्तु, मैंने बम्बई सरकार के प्रधान मन्त्री श्री खेर और गृहमन्त्री श्री मोरार जी भाई से फिर मुलाक़ात की और उनसे बताया कि मैं कितना उद्विग्न हूँ साथ ही मैंने उनसे यह भी निवेदन किया कि मैं सचमुच हृदय से अनुभव करता हूँ कि मैंने जो सूचना सरकार को दी थी, उसका उपयोग करके यदि यथा-समय उचित उपायों से काम लिया जाता तो सम्भवतः इस महान् संकट में देश की रक्षा हो जाती और राष्ट्रपिता को अपने जीवन से हाथ न धोना पड़ता। जब मैं ये बातें कर रहा था, प्रधान मन्त्री श्री खेर ने मुझसे सहमत होते हुए कहा—"हाँ, सम्भवतः हम लोग दोषी हैं, तथा यदि हम अधिक सावधानी से काम लेते तो शायद गांधी जी बच जाते।"

इसी समय संयोग से गृहमन्त्री श्री मोरार जी देसाई वहाँ आ पहुँचे। जो कुछ मैंने खेर साहब से कहा था, उन्होंने श्री मोरार जी भाई से कहा तथा मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि बिना कोई प्रश्न पूछे और बिना कुछ कहे-सुने श्री मोरार जी भाई ने खूब जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। धमकी देते हुए वे मुझसे कहने लगे—"आप भी षड्-यन्त्रकारियों में से हैं। आपने स्वयं मदनलाल की सहायता

की है, और इसी लिए आपने हमें पहले से सूचना नहीं दी, और अब आप हमें दोषी ठहरा रहे हैं। आपको गिरफ़्तार कर लेना चाहिए।" मैं यह देखकर दंग रह गया कि प्रधान मन्त्री श्री खेर भी गृहमन्त्री के स्वर में स्वर मिला कर महात्मा जी की हत्या करने के पापमय षड्यन्त्र में हिस्सा लेने का अभियोग मुझ पर लगा रहे थे। मैं नहीं कह सकता कि इस अभियोग की बाबत वे लोग गम्भीर थे अथवा केवल अपनी धमकियों से मेरा मुँह बन्द करने का उनका यह प्रयत्न मात्र था। निस्सन्देह इससे मुझे भयकर आघात पहुँचा। जो हो, मैंने अपने आपको शान्त रखने का प्रयत्न करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता की रक्षा करने के प्रयत्न के उपलक्ष्य में, आप लोगों के अनुसार, यदि मैं यही पुरस्कार पाने योग्य हूँ तो आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं, मैं भुगतने को तैयार हूँ। मंत्रियों से मैंने निवेदन किया कि चूँकि मैं १९४२ के आन्दोलन में जेलयात्रा कर चुका हूँ, इससे मेरे हृदय में जेल का डर कोई भय पैदा नहीं कर सकता। अतएव यदि वे लोग मुझे जेल में डालना चाहें तो मुझे फ़ौरन गिरफ्तार करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी पुलिस को भी मेरे घर भेजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वय उनके सामने आकर उपस्थित हो गया हूँ। मैंने मन्त्रियों से यह भी निवेदन किया कि मैं उन जैसे प्रतिष्ठा-प्राप्त तथा ज़िम्मेवार राजनीतिक और सरकारी नेताओं से इस प्रकार के बर्ताव और व्यवहार की कभी आशा नहीं करता था। मेरी बात सुनकर मोरार जी भाई शान्त हो गये और कहने लगे कि वे मुझे [illegible]तार नहीं कराना चाहते, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ तथा यदि वे मुझे जेल में डालना चाहते तो पहले ही डाल सकते थे; और मेरे तई इस बात को सुझाना भी बहुत ग़लत है कि गांधी जी की

रक्षा के लिए जो कुछ सम्भव था, सरकार द्वारा नहीं किया गया।

मैंने इस मामले को वहीं छोड़ते हुए गृहमन्त्री श्री मोरार जी देसाई को बम्बई-स्थित अस्त्र-शस्त्रों के आगार की याद दिलाई जिसके विषय में मैं उनसे पहले कह चुका था, तथा जहाँ तक मुझे ज्ञात था, जिसका अब तक कोई पता न चल पाया था। मैंने इस मामले से सम्बन्धित उन लोगों की भी याद ताज़ी कराई जिनका नामोल्लेख मन्त्रियों के सामने मैं अपनी पहली और बाद की मुलाक़ातों में कर चुका था।...... ...

अब पुलिस से पता चला है कि मुझे मुक़दमे में अदालत के सामने, गवाह के तौर पर, पेश किया जा रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं इसके लिए ख़ुशी से तैयार हो गया तथा मैंने अपना विस्तृत बयान पुलिस और बम्बई के प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट के सामने लिखवा दिया है। पुलिस ने मेरा पूरा बयान नहीं लिखना चाहा, लेकिन प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट के सामने मेरा पूरा बयान लिखा जा चुका है। मेरा ख़याल है कि अपराधियों को दण्ड दिये जाने में मेरा बयान कुछ तो मदद कर ही सकेगा।

तो प्रश्न हो सकता है कि मैंने आपको यह लम्बा पत्र क्यों लिखा, और क्यों आपके बहुमूल्य समय को नष्ट किया ?

पहली बात यह है कि मैं इन सब घटनाओं की ओर आपका ध्यान-आकर्षित करना चाहता था। क्योंकि मैं अभी भी अपने मन को नहीं समझा सका हूँ कि बम्बई सरकार के मन्त्री क्यों पूर्णतया अपना कर्तव्य-पालन नहीं कर सके, तथा यदि वे इस कार्य को अत्यन्त आवश्यक समझ कर करते, जैसा उन्हें चाहिए था, तो सम्भवतः महात्मा जी का बलिदान होने की नौबत न आती।

दूसरी बात, मैं अनुभव करता हूँ—और मैं नहीं समझता कि यह बात प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकार से छिपी होगी—कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिन्दू महासभावादी जगह-जगह अपनी प्रवृत्तियों को पुनः जीवित कर रहे हैं। संयुक्त प्रान्त तथा बम्बई प्रान्त में इस प्रकार की प्रवृत्तियों के समाचार अख़बारों में प्रकाशित हुए हैं। आज-कल आपकी तथा अन्य प्रगतिशील राष्ट्रीय नेताओं की जान के साथ खेलने की कुछ अस्पष्ट और बुरी अफ़वाहें सुनाई पड़ती हैं। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के समाज-विरुद्ध लोगों के लिये ये बातें, इस तरह की दुष्ट योजनायें तथा कार्य-प्रवृत्तियाँ असम्भव हैं।

अतएव कर्तव्य-भावना से प्रेरित होकर, तथा जनता के शत्रुओं के हाथ से राष्ट्र को जो महान् क्षति उठानी पड़ी है उसे देखते हुए, मैं आपको यह व्यक्तिगत पत्र लिखने की स्वतन्त्रता ले रहा हूँ। मुझे आशा है कि न केवल यह पत्र उसी रूप में लिया जायगा बल्कि साथ ही आप इस पर उचित विचार भी करेंगे।

भारतीय जनता के शत्रुओं का ख़ातमा करने के लिये मैं फिर एक बार आपको अपनी सेवायें समर्पित करने की आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ।

स्वाभाविक है कि मैं बड़ी उत्सुकता से आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूँगा। मुझे आशा है कि पत्रोत्तर देने के लिए आप अपने चन्द मिनिट ख़र्च कर सकेंगे जिससे मुझे शान्ति और विश्वास हो। सादर

आपका शुभचिन्तक
जे० सी० जैन, एम० ए०, पी० एच० डी०
(प्रोफ़ेसर, अर्धमागधी और हिन्दी
रामनारायण रुइया कालेज, बम्बई १९)

पंडितजी चलते जाते और चिट्ठी पढ़ते जाते थे; और मैं उनकी बग़ल में, उनके साथ-साथ, चल रहा था। मैं बड़ा खुश था कि मेरी मेहनत सफल हुई और मुझे लौटकर नहीं जाना पड़ा तथा अब तो अवश्य ही पंडितजी मेरी चिट्ठी पर विचार करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

चिट्ठी के अन्त में मेरी उपाधियों के साथ मेरे दस्तख़त देख कर पंडितजी ने पूछा—यह आप ही का नाम है? मैंने कहा—जी हाँ। चिट्ठी पढ़ लेने के बाद वे मेरी तरफ़ देखकर ज़रा मुस्कराये। सोचता था; शायद और कुछ पूछें; परन्तु सम्भवतः उनके पास समय नहीं था।

मैंने नमस्कार किया। पंडितजी मोटर में बैठ गये। पुलिस की सीटी बजी। मोटर चल दी, और उसके पीछे-पीछे सादे वेशवाली खुफ़िया पुलिस की दो-तीन और मोटरें देखते-देखते हवा से बातें करने लगीं और न जाने कहाँ विलीन हो गईं।

क़दम बढ़ाये घर लौट रहा था। अचानक खुफ़िया पुलिस के अफ़सर ने आवाज़ दी। मैं समझ गया, कि वह क्या चाहता है। इधर-उधर की बातें करके उनसे पिंड छुड़ाकर भाग आया।

घर पहुँचते-पहुँचते तीन बज गये थे। पत्नी बड़ी प्रतीक्षा में बैठी थीं। उन्हें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं प्रधान-मन्त्री से मिल सका और उन तक अपनी चिट्ठी पहुँचा सका।

दिल्ली में

२७ मई को दिल्ली के लाल क़िले में गांधी-हत्याकाण्ड का मुक़दमा शुरू हो गया। २२ जून को स्पेशल कोर्ट के जज श्री आत्माचरण, आई० सी० एस०, ने अभियुक्तों के ख़िलाफ़ आरोपों को पढ़कर सुनाया—

मैं, आत्माचरण, आई० सी० एस०, जज स्पेशल कोर्ट, लाल क़िला, दिल्ली, नाथूराम वि० गोडसे (३७), नारायण डी० आप्टे (३४), विष्णु आर० करकरे (३७), मदनलाल के० पहावा (२०), शंकर किस्तय्या (२०), गोपाल वि० गोडसे (२७), विनायक डी० सावरकर (६५); तथा दत्तात्रय एस० परचुरे (४९) पर निम्नलिखित अभियोग लगाता हूँ—

(१) आप लोगों ने १ दिसम्बर, १९४७ और ३० जनवरी, १९४८ के दरम्यान पूना, बम्बई, दिल्ली तथा अन्य स्थानों में आपस में तथा दिगम्बर आर० बड़गे (जिसे मुख़बिर बनने के कारण माफ़ी दे दी गई है), गंगाधर एस० दण्डवते, गंगाधर जाधव तथा सूर्यदेव शर्मा (जो अपने अन्य साथियों के साथ फ़रार हो गये हैं) के साथ मिलकर महात्मा गांधी की हत्या करने का षड्यन्त्र रचा; तथा उक्त षड्यन्त्र के परिणामस्वरूप ३० जनवरी, १९४८ को उनकी हत्या की।

(२) [क] उक्त सम्मिलित षड्यन्त्र के परिणामस्वरूप नाथूराम गोडसे, नारायण आपटे, विष्णु करकरे, मदनलाल,

शंकर किस्तय्या और गोपाल गोडसे दिगम्बर बडगे के साथ १० जनवरी और २० जनवरी, १९४८ के दरम्यान बिना लाइसेन्स के कारतूस और दो रिवाल्वर लेकर दिल्ली आये।

[ख] उक्त जुर्म के करने में आप लोगों ने एक दूसरे की सहायता की।

(३) (क) आप लोगों के पास विस्फोटक पदार्थ पाये गये जैसे कि दो गन काटन स्लैब और पाँच हथगोले। इनके ज़रिये आप लोगों का इरादा किसी की जान को ख़तरे में डालना था।

(ख) उक्त जुर्म के करने में आप लोगों ने एक दूसरे की सहायता की।

(४) (क) उक्त सम्मिलित षड्यंत्र के परिणामस्वरूप २० जनवरी, १९४८ को मदनलाल के० पहावा ने क़ानून के विरुद्ध और दुर्भावना से विस्फोटक पदार्थ से धड़ाका किया जिससे किसी की भी जान ख़तरे में पड़ सकती थी और माल-असबाब को भयंकर क्षति पहुँच सकती थी।

(ख) नाथूराम गोडसे, नारायण आपटे, विष्णु करकरे, शंकर किस्तय्या, और गोपाल गोडसे ने दिगम्बर बडगे के साथ, मदनलाल पहावा की सहायता उक्त जुर्म के करने में की।

(५) बिडला हाउस में २० जनवरी, १९४८ को उक्त सम्मिलित षड्यंत्र के परिणामस्वरूप नाथूराम गोडसे, नारायण आपटे, विष्णु करकरे, मदनलाल पहावा, शंकर किस्तय्या, गोपाल गोडसे, और विनायक सावरकर ने दिगम्बर बडगे के साथ मिलकर गांधीजी की हत्या करने में एक दूसरे की सहायता की।

(६) (क) (अ) उक्त सम्मिलित षड्यंत्र के परिणामस्वरूप २८ और ३० जनवरी, १९४८ के दरम्यान नाराम गोडसेथू

और नारायण आपटे ग्वालियर से बिना लाइसेंस के कारतूस और एक पिस्तौल लेकर आये।

(आ) नाथूराम गोडसे, नारायण आपटे और दत्तात्रय परचुरे ने उक्त जुर्म के करने में एक दूसरे की सहायता की।

(ख) (अ) नाथूराम गोडसे के पास दिल्ली में एक पिस्तौल पाई गई।

(आ) नारायण आपटे और विष्णु करकरे ने उक्त जुर्म के करने में एक दूसरे की सहायता की।

(७) (क) उक्त सम्मिलित षड्यंत्र के परिणामस्वरूप नाथूराम गोडसे ने इरादेतन और जान बूझकर महात्मा गांधी की हत्या की।

(ख) नारायण आप्टे और विष्णु करकरे ने उक्त अपराध के करने में नाथूराम गोडसे की सहायता की, और उनकी मौजूदगी में यह जुर्म किया गया।

(ग) मदनलाल पहावा, शंकर किस्तय्या, गोपाल गोडसे, विनायक सावरकर और दत्तात्रय परचुरे ने दिगम्बर बडगे के साथ मिलकर उक्त जुर्म के करने में नाथूराम गोडसे की सहायता की।

तत्पश्चात् मुक़दमे पर नई रोशनी डालते हुए सरकारी मुख्य वकील श्री सी० के० दफ़्तरी ने अपनी स्पीच देते हुए कहा—

"अभियुक्त नम्बर ४ मदनलाल ने लगभग १२ जनवरी को बम्बई के माटुंगा कालेज के एक प्रोफ़ेसर जैन को षड्यंत्र का पता बताया था। प्रोफ़ेसर जैन ने उसकी बात को गम्भीरता से नहीं लिया, न कोई लेता। उन्होंने मदनलाल को इस मूर्खता-

पूर्ण कार्य को न करने के लिए बहुत समझाया। गवाही के लिए उन्हें अदालत में पेश किया जायगा।"

दफ़्तरी साहब ने यह भी बताया कि मदनलाल ने बम्बई की किसी श्रीमती मोडक से भी किसी काम से अपने दिल्ली जाने के विषय में बात की थी, तथा उसने उनसे इस बात का भी इशारा किया था कि वे किसी बड़ी घटना के बारे में सुनेंगी।

जब यह स्पीच बम्बई के अख़बारों में प्रकाशित हुई तो मेरे मित्रों को बड़ी परेशानी हुई। लोग आकर पूछने लगे—"क्यों साहब, जब आपको मदनलाल ने १२ जनवरी को ही षड्यन्त्र का पता बता दिया था, तो आपने क्यों किसी से नहीं कहा?" मैंने कहा—आप लोग जानते नहीं, मैंने बम्बई-सरकार के मन्त्रियों से सब कुछ कहने के लिए सरतोड़ मेहनत की है, यह बात सरकारी वकील की स्पीच में नहीं कही गई। कुछ दूर के मित्रों को इस बात की चिन्ता हुई कि मैं इस मामले में कैसे फँस गया और कहीं पुलिस के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। उन्होंने इस सम्बन्ध में पत्र द्वारा विशेष रूप से पूछताछ की।

इस अधूरी स्पीच के प्रकाशित होने से दूसरी बात यह हुई कि दो-तीन व्यक्ति, पंजाबी वेश में, नियमित रूप से मेरे घर के सामने आकर बैठने लगे। वे मुझ पर तथा मेरे घर के लोगों पर नज़र रखने लगे, और छेड़खानी करने की कोशिश करने लगे। मैं बड़े संकट में पड़ गया और बम्बई-सरकार के गृहमन्त्री तथा पुलिस-कमिश्नर को मैंने इस बात की लिखित सूचना दी, कोई उत्तर न मिलने पर मुझे पुलिस-कमिश्नर से स्वयं जाकर मिलना पड़ा। मैंने उनसे कहा कि कहीं दिल्ली में दफ़्तरी साहब की स्पीच का तो यह परिणाम नहीं। पुलिस-कमिश्नर साहब ने सब बातें सुनकर उचित व्यवस्था करने का आश्वासन दिया।

जो हो, यह अब निश्चय हो गया था कि मेरी भी गवाही होगी।

दिल्ली जाने का समय नज़दीक आ रहा था। इधर मेरी "सम्प्रदायवाद (गांधी-हत्या की पृष्ठभूमि)" नामक पुस्तक भी लगभग समाप्त होने आई थी, जिसे मैंने गांधीजी की हत्या के बाद अपनी मानसिक अशान्ति दूर करने के लिए लिखना शुरू किया था। पुस्तक का विषय है कि भारत में सम्प्रदायवाद कैसे पनपा, देश को उससे क्या-क्या हानियाँ हुईं और वह हमारे हाथ से अचानक राष्ट्रपिता को कैसे छीन कर ले गया।

अस्तु, एक दिन अचानक खुफ़िया विभाग के एक अफ़सर ने आकर ख़बर दी कि दिल्ली से ज़रूरी टेलीफोन आया है, कल चलना होगा। बस, २१ जौलाई की शाम को रवाना होकर मैं २३ तारीख़ की सुबह दिल्ली पहुँच गया।

दिल्ली पहुँचने पर मालूम हुआ कि मुख़बिर बडगे की गवाही चल रही है, और मेरी गवाही में अभी देर है। अतएव अपने वकीलों की आज्ञा लेकर मैं अपने जन्मस्थान बसेड़ा (ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर) के लिए रवाना हो गया।

गाँव के लोगों से इस सम्बन्ध में चर्चा हुई। सब को यह जानकर बड़ा अचम्भा हुआ कि १० दिन पहले सरकार को इत्तला मिल जाने पर भी कुछ नहीं किया जा सका। कहने लगे कि गांधीजी ने भले ही प्रार्थना-सभा में आनेवाले लोगों की तलाशी लेने के लिए मना कर दिया हो, लेकिन बिडला हाउस में आनेवाले लोगों की तो तलाशी ली जा सकती थी तथा मदनलाल की गिरफ़्तारी के बाद उससे उसके साथियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती थी।

लाल क़िले में

लाल क़िले में घुसते ही बाईं ओर को कुछ मकानात बने हुए हैं। ज़रा आगे को चलकर एक बड़ी-सी बिल्डिंग है, उसके चारों तरफ़ तार लगे हुए हैं। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। यहाँ एक हॉल में पश्चिम की तरफ एक मंच बना हुआ है, जहाँ जज साहब बैठकर मुक़दमा सुनते हैं। जज श्री आत्माचरण नौजवान हैं। हँसमुख चेहरा, पैनी दृष्टि, बात को फ़ौरन पकड़ते हैं: वकीलों को कितनी बार उन्हें रोकना पड़ता है और फिर भी उनके चेहरे पर शिकन नज़र नहीं आती। जज साहब की दाहिनी तरफ़ गवाहों का कटघरा है, जहाँ गवाह खड़ा होकर अपना बयान देता है। उसके बिलकुल सामने, जज साहब की बाईं तरफ, कठघरे में अभियुक्त बैठते हैं—पहले सावरकर, फिर गोडसे, मदनलाल, आपटे और ज़रा पीछे की ओर हटकर किस्तय्या, करकरे, गोपाल गोडसे और परचुरे। उनके आसपास और आगे-पीछे बन्दूकधारी पुलिस का पहरा है।

गवाह के दाहिनी ओर सरकारी वकील श्री सी० के० दफ्तरी, श्री एन० के० पेटिगरा, श्री जे० सी० शाह, और एम० जी० व्यवहारकर, चीफ़ पुलिस प्रोसीक्यूटर हैं। अभियुक्तों के बाईं ओर बचाव पक्ष के वकील बैठे रहते हैं, जिनमें श्री भोपटकर, श्री जमनादास मेहता, श्री ओक, श्री इनामदार, श्री मेंगले, श्री डांगे, श्री बनर्जी, श्री मेहता आदि मुख्य हैं। वकीलों के

पीछे की ओर पुलिस कर्मचारी, समाचार पत्रों के रिपोर्टर तथा दर्शकगण बैठते हैं।

बुधवार, ५ अगस्त, १९४८ को मेरी गवाही होनेवाली थी। बाद में चलकर मुझे मालूम हुआ कि सावरकर के वकील श्री भोपटकर ने एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जिसमें मेरे बयान को अदालत में स्वीकार किये जाने में इसलिए आपत्ति की कि क़ानून-शहादत की ६०वीं धारा के अनुसार मेरी गवाही निरी सुनी-सुनाई गवाही है। कहा गया कि ब्रिटिश एनी बनाम ब्लेक (१८४४) तथा मीर अकबर बनाम सम्राट् (१९४०) के मुक़-दमों के निर्णयों के अनुसार मेरी गवाही भी इस सिद्धांत पर अवलम्बित है कि षड्यन्त्रकारी दल के किसी व्यक्ति ने दूसरे षड्यन्त्रकारी के विरुद्ध कोई बात तीसरे आदमी से कही है।

मुझे गवाहों के कटघरे में खड़ा किया गया। इतने में अदा-लत का एक कर्मचारी आया और जज साहब का इशारा पाकर मेरे पास आकर गुनगुनाने लगा—ईश्वर की सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सत्य कहूँगा............। मैंने इन शब्दों को ज्यों का त्यों दोहरा दिया।

सरकार के मुख्य वकील श्री दफ़्तरी की जिरह आरम्भ हो गई।

उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने कहा मैं बम्बई के राम-नारायण रुइया कालेज में अर्धमागधी और हिन्दी का प्रोफ़े-सर हूँ। मैं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का एम० ए०, तथा बम्बई विश्वविद्यालय का पी० एच० डी० हूँ। मैंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं।

मदनलाल से मेरी मुलाक़ात अक्तूबर सन् १९४७ के दूसरे

सप्ताह में हुई। गुप्ता नामक व्यक्ति ने मदनलाल का परिचय मेरे घर पर कराया था। गुप्ता मदनलाल को अपने साथ लेकर आया था। मदनलाल एक शरणार्थी था और सहायता की उसे आवश्यकता थी। उसे नौकरी की तलाश थी।

मदनलाल एक-दो बार मेरे पास पूछने आया कि उसकी नौकरी का प्रबन्ध हो सका या नहीं। एक बार जब वह आया, अंगदसिंह नाम के एक व्यापारी मेरे यहाँ उपस्थित थे।

मदनलाल ने कहा कि वह चपरासी तक का काम करने को तैयार है। मैंने उससे कहा कि वह पढ़ा-लिखा आदमी है, उसे चपरासी का काम नहीं करना चाहिए, तथा मैं उसे अपने कालेज में भरती कराने की कोशिश करूँगा।

इस मौक़े पर अंगदसिंह जी ने सुझाया कि मदनलाल को साग-सब्ज़ियाँ बेचना चाहिए लेकिन मदनलाल ने कहा कि सब्ज़ी ख़रीदने के लिए उसके पास रुपया नहीं है।

मैंने तब मदनलाल से पूछा कि यदि वह पसन्द करे तो मेरी पुस्तकें बेच सकता है, तथा मैं एक प्रकाशक से इसकी व्यवस्था करा दूँगा, और उसे २५% कमीशन मिलेगा। मदनलाल इसके लिए राज़ी हो गया और २६ अक्तूबर से उसने किताबें बेचने का काम आरम्भ कर दिया।

मदनलाल ने दस दिन से अधिक समय तक किताबें बेचीं। इस बीच में वह प्रति दिन मुझसे मिलता और नियम से मेरा हिसाब दे जाता।

दिवाली के कुछ दिन पहले उसने मुझसे कहा, कि किताबें बेच कर उसका पूरा नहीं पड़ता, अतः उसने पटाख़े बेचना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने कहा कि वह फलों का व्यापार करना चाहता है, और इसके लिए उसकी अहमदनगर जाने की

इच्छा है। मैंने उससे कहा कि वह चाहे तो साथ में, रास्ते में, बेचने के लिए पुस्तकें भी ले जा सकता है।

दो-तीन दिन बाद मदनलाल अपने साथ सूद नामक एक व्यक्ति को लेकर आया। दोनों मेरी तीन पुस्तकों की १००-१०० प्रतियाँ ले जाना चाहते थे, परन्तु मैंने उन्हें ३०-३० प्रतियाँ ही दीं।

वे दोनों मेरे पास लगभग तीन सप्ताह के बाद आये, और कहने लगे कि उन्होंने ४०) की किताबें बेची हैं। परन्तु उन्होंने मेरा हिसाब नहीं दिया; कहा कि हिसाब बाद में चुकता कर देंगे। मदनलाल ने कहा कि वह चेम्बूर कैम्प में रहता है।

एक सप्ताह के बाद मदनलाल ने मुझे टेलीफोन किया कि उसकी तबियत अच्छी नहीं है और वह रुपया बाद में देगा।

दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में मदनलाल मुझसे मिलने आया। उसने बताया कि अधिकांश किताबें सूद ने बेची हैं, तथा उसे खेद है कि उसने अभी तक रुपया नहीं चुकाया।

मदनलाल ने मुझसे यह भी कहा कि पिछली बार अहमद-नगर में वह कुछ नहीं कमा सका, लेकिन अब की बार वह फिर वहाँ जाना चाहता है। मैंने उससे पूछा कि वह अपने साथ बेचने के लिए किताबें तो नहीं ले जायगा। उसने कहा कि किताबें बेचने का उसे समय नहीं मिलेगा।

इसके बाद कुछ समय तक मदनलाल मुझसे नहीं मिला। परन्तु मेरे पास उसके दो पत्र आये, जिनमें उसने मेरा रुपया चुका देने का आश्वासन दिया था। उसने अपना पता लिखा था—बाबू मदनलाल, मारफ़त करकरे साहब, डेक्कन गेस्ट हाउस, अहमदनगर।

इस दौरान में मेरी मारफ़त मदनलाल के नाम उसके पिता

के लिखे हुए दो पत्र आये, जिन्हें मैंने उसके अहमदनगर के पते पर भेज दिया।

तत्पश्चात् मदनलाल जनवरी के प्रथम सप्ताह के क़रीब आखिर में मुझसे मिलने आया। उसने कहा कि अहमदनगर में उसकी फलों की दो दूकानें हैं, और उसका काम अच्छा चल रहा है। मदनलाल के साथ एक और व्यक्ति था, जिसका परिचय उसने "अहमदनगर के एक सेठ" कहकर दिया। मदनलाल ने उस 'सेठ' से मेरा रुपया देने को कहा। कुछ मिनिट पश्चात् दोनों मेरे घर से चले गये। 'सेठ' के नाम के विषय में मैंने नहीं पूछा।

'सेठ' को सड़क पर छोड़कर मदनलाल फिर वापिस मेरे घर आया और कहने लगा कि फलों की दूकानें तो 'सेठ' की हैं, वह उनकी सिर्फ़ देखभाल करता है। उसने बताया कि उन लोगों ने वहाँ से फलों के सब मुसलमान व्यापारियों को भगा दिया है, और फलों के व्यापार के ऊपर उनका क़ब्ज़ा हो गया है।

दो-तीन दिन बाद मदनलाल मुझे प्लाज़ा सिनेमा के पास मिला। उसने कहा कि वह मेरे घर होकर आया है, और मुझसे कुछ बात करना चाहता है। वह मेरे साथ घर आया, लेकिन मैं थका हुआ था, इसलिए मैंने उससे फिर आने को कहा।

मदनलाल उसी रात को क़रीब ८ बजे फिर आया। इस समय मेरे घर पर अंगदसिंह जी भी मौजूद थे। मदनलाल ने बताया कि रावसाहब पटवर्धन जब अहमदनगर में हिन्दू-मुसलिम-एकता पर भाषण दे रहे थे तो उसने उन पर हमला किया। उस समय उसके पास एक छुरा था। पुलिस ने इसलिए कुछ नहीं किया कि वह भी हिन्दू विचारों की थी।

मदनलाल ने बताया कि उसने अहमदनगर में शरणार्थियों और हिन्दुओं के हित के लिए स्वयंसेवक दल संगठित किया है। मदनलाल के पास कुछ मराठी के अख़बार थे। उसने मुझसे उन्हें पढ़ने को कहा। इन अख़बारों में उसके कार्यों की बड़ी प्रशंसा की गई थी। अंगदसिंहजी इस वक्त. मेरे यहाँ से उठकर चले गये थे।

मदनलाल ने आगे बताया कि उन लोगों ने अहमदनगर में एक पार्टी बनाई है, जिसे करकरे आर्थिक सहायता देता है। इस पार्टी ने शस्त्रास्त्र एकत्रित किये हैं जो जंगल में गड़े हुए हैं।

मदनलाल ने बताया कि हिन्दू महासभा के वीर सावरकर ने जब अहमदनगर में मेरे 'पराक्रमों' के बारे में सुना तो उन्होंने मुझे बुलवाया, और मेरी उनसे दो घंटे तक बातचीत होती रही। वीर सावरकर ने मेरी पीठ ठोंकी और कहा, बढ़े चलो।

मदनलाल ने कहा कि उसकी पार्टी किसी नेता की हत्या करना चाहती है। मैंने उससे जब नेता का नाम मालूम करना चाहा तो उसने बताने से इन्कार किया, और यह कहकर टाल दिया कि उसे नाम नहीं बताया गया है। परन्तु मैंने कहा कि तुम्हें नाम का अवश्य पता होगा। इस पर उसने महात्मा गांधी का नाम लिया।

महात्मा गांधी का नाम सुनकर मैं सन्न रह गया। मैंने कहा कि उसे ऐसी बेवक़ूफ़ी कभी नहीं करनी चाहिए।

उसने मुझे यह भी बताया कि उसे गांधीजी की प्रार्थना-सभा में बम फेंकने का काम सौंपा गया है, जिससे प्रार्थना-सभा में गड़बड़ी मच जाय, और उस गड़बड़ी में उसकी पार्टी के लोग गांधीजी पर आक्रमण कर दें।

श्री दफ़्तरी—मैं समझता हूँ, आपने उसे ऐसा करने से मना किया होगा ?

हाँ, मैंने उसे समझाया कि वह एक शरणार्थी है यद्यपि पंजाब के दंगों में उसने काफ़ी कष्ट सहे हैं, परन्तु उसे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए।

मैंने उससे बहुत देर तक बातें कीं और उसे बहुत समझाया कि जो कार्य वह करना चाहता है, उसका इरादा बिलकुल छोड़ दे।

इसके बाद मदनलाल चला गया, और कहता गया कि वह फिर आयेगा। जाते समय उसने बताया कि वह हिन्दू महासभा के कार्यालय में ठहरा हुआ है. और उसे वहाँ जाने की जल्दी है क्योंकि करकरे उस पर नज़र रखता है।

इस मौक़े पर मदनलाल ने मुझे १५) दिये और कहा कि बाक़ी रुपया वह शीघ्र ही दे देगा।

मैंने मदनलाल की बातों को गंभीरता से इसलिए नहीं लिया कि उन दिनों शरणार्थी गांधीजी तथा कांग्रेस को खुल्लमखुल्ला गालियाँ दिया करते थे।

एक-दो दिन बाद मेरे मित्र अंगदसिंहजी मेरे यहाँ आये। मैंने उनसे मदनलाल की कही हुई सब बातें कहीं। परन्तु अंगदसिंहजी ने सलाह दी कि उसकी बातों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं।

एक-दो दिन बाद मदनलाल फिर मेरे पास आया। मैंने मदनलाल से पूछा कि क्या उसने मेरी दी हुई सलाह पर ग़ौर किया है ? मदनलाल ने कहा कि मेरी सहायता के लिए वह अत्यन्त कृतज्ञ है, तथा वह मुझे अपने पिता के समान मानता

है। अतएव यदि वह मेरी सलाह नहीं मानेगा तो बर्बाद हो जायगा। इतना कहकर मदनलाल चला गया।

एक-दो दिन बाद मदनलाल फिर आया। उस समय क़रीब रात के ८ बजे होंगे। उसने बताया कि उसे दिल्ली में कुछ काम है, इसलिए वह दिल्ली जा रहा है, तथा वहाँ से वापिस आने पर मुझसे मिलेगा।

मदनलाल के दिल्ली रवाना होने के दो-तीन दिन बाद मैं श्री जयप्रकाशनारायण की एक सभा में शामिल हुआ। जयप्रकाश जी का भाषण समाप्त होने के पश्चात् मैंने उनसे मिलने का प्रयत्न किया और चाहा कि मदनलाल की बात उनसे कह दूँ। श्री जयप्रकाशनारायण एक-दो दिन में दिल्ली के लिए रवाना होनेवाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि शायद यह सूचना दिल्ली के अधिकारियों के काम आ सके। मैं केवल उनसे इतना ही कह सका कि सम्भवतः दिल्ली में एक बड़ा षड्यंत्र हो जाय। मैं उन्हें षड्यंत्र का विवरण इसलिए नहीं दे सका कि उनके आसपास बहुत से लोग इकट्ठे थे। श्री जयप्रकाश जी ने मुझसे अगले दिन मिलने को कहा लेकिन मुझे अपने बच्चे को अस्पताल ले जाना था इसलिए मैं उनसे नहीं मिल सका।

२१ जनवरी को सुबह मैंने महात्मा गांधी की प्रार्थना-सभा में बम-विस्फोट होने का समाचार पढ़ा। अख़बार में यह भी लिखा था कि इस सम्बन्ध में मदनलाल नामक व्यक्ति गिरफ़्तार किया गया है। मैंने तुरन्त ही सरदार वल्लभभाई पटेल को टेलीफोन करने का प्रयास किया जो उन दिनों बम्बई में अपने पुत्र के पास ठहरे हुए थे। परन्तु मुझे मालूम हुआ कि वे सान्ताक्रूज़ हवाई-अड्डे के लिए रवाना हो चुके थे।

उसके बाद मैंने बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री एस० के० पाटिल को टेलीफोन किया, परन्तु पता चला कि वे भी सरदार पटेल के साथ हवाई अड्डे को गये हैं।

उसके बाद मैंने बम्बई-सरकार के प्रधान मन्त्री श्री बाला-साहब खेर को सूचना दी।

अदालत—क्या आप वास्तव में उनसे जाकर मिले ?

मैं—जी हाँ।

श्री बाला साहब खेर ने मुझे सेक्रेटरिएट में शाम को ४ बजे मिलने का समय दिया था। मैंने उनके पास जाकर जो कुछ मुझे मदनलाल के विषय में मालूम था, सब ब्योरेवार कह दिया। उस समय बम्बई सरकार के गृहमन्त्री श्री मोरारजी भी उपस्थित थे।

× × ×

बृहस्पतिवार, ६ अगस्त को बचाव पक्ष के वकीलों की जिरह आरम्भ हो गई।

पहले सावरकर के वकील श्री भोपटकर आये। उम्र लग-भग ६५ होगी; लम्बा-सा कुछ सिकुड़ा हुआ चेहरा, सफ़ेद बाल, सिर पर गोल काली टोपी। पूछना शुरू किया—

आपके कालेज के प्रिंसिपल कौन हैं ? क्या आपने उनको षड्यन्त्र की सूचना दी थी ? क्याअधिकतर आपके कालेज के प्रोफ़े-सर महाराष्ट्र हैं ? आपके घर से कालेज कितनी दूर है ? सावरकर का घर कितनी दूर है ? आप कभी मदनलाल से मिलने चेम्बूर कैम्प गये हैं ? मजिस्ट्रेट के सामने दिये हुए और पुलिस के सामने दिये हुए आपके बयानों में क्यों फ़र्क है ? पुलिस से पहली बार आपका सम्पर्क कब हुआ ? षड्यन्त्र का पता लगाने के लिए

बम्बई-सरकार के मन्त्रियों को आप किस हैसियत से मदद करना चाहते थे ?

श्री भोपटकर इतनी मन्द गति से प्रश्न कर रहे थे कि जज महोदय को बीच में टोकना पड़ा।

गोडसे के वकील श्री ओक ने कुछ पूछने से इन्कार कर दिया था, अतएव श्री भोपटकर के बाद आपटे के वकील श्री मेंगले का नम्बर आया। ये महाशय नौजवान थे, और जिरह में श्री भोपटकर से भिन्न थे।

उनके प्रश्न निम्न प्रकार थे—

जनवरी के प्रथम सप्ताह के अन्त में कौन सी उल्लेखनीय घटना हुई ?

उत्तर—मालूम नहीं।

जनवरी के दूसरे सप्ताह के अन्त में कौन सी विशेष घटना हुई ?

उत्तर—मालूम नहीं।

दूसरे सप्ताह के अन्त से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर—दूसरे सप्ताह का अन्त। [हँसी]

बम्बई के मौजूदा गवर्नर कौन हैं ?

उत्तर—ठीक नहीं मालूम। कुछ ऐसा ही नाम है महाराजा.........।

बम्बई के गवर्नर ने अपना पद किस तारीख़ को ग्रहण किया ?

उत्तर—मालूम नहीं।

(जज महोदय ने भी मेरे इस उत्तर का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें भी यह याद नहीं कि उनके प्रान्त की गवर्नर महोदया श्री सरोजिनी नायडू ने किस तारीख़ को अपना पद ग्रहण किया।)

आप कितने साल से कांग्रेस के चार आना सदस्य हैं ?

उत्तर—सम्भवतः एक-दो साल से। कभी कभी मैंने अपना चन्दा नहीं दिया।

फिर तो आप कई साल से कांग्रेस के चार आना सदस्य होंगे ?

(मेरे उत्तर देने के पूर्व ही जज महोदय ने यह कहकर बचाव पक्ष के वकील को रोक दिया कि वे अन्य कोई सवाल पूछ सकते हैं, दलील न करें।)

सन् १९४२ में आपको, एक कांग्रेसी होने की हैसियत से, जेल में नज़रबन्द किया गया था ?

उत्तर—हाँ।

आपको याद है कि गांधीजी ने अपना उपवास कब तोड़ा ?

उत्तर—मुझे तारीख़ याद नहीं।

जो हो, श्री मेंगले की जिरह बहुत समय तक न चल सकी।

श्री डाँगे, अभियुक्त करकरे के वकील थे। बदन में कुछ भारी, साँवले-से रंग के, उम्र ४५ के आस-पास होगी। उनके प्रश्न थे—आपकी तनख़्वाह क्या है ? क्या आपके घर रेडियो है ? टेलीफोन है ? आपकी किताबों की क्या क़ीमतें हैं ? मदनलाल के साथ अपने सम्बन्धों को देखते हुए अपने आपको बचाने के लिए तो आपने मदनलाल का क़िस्सा नहीं गढ़ लिया ? महाराष्ट्र में आपने किन-किन स्थानों में भ्रमण किया है ? अंगद-सिंह जी को आप कब से जानते हैं ? आप सरदार पटेल को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं ? आप सोशलिस्ट हैं ? लड़के (boy) शब्द की क्या परिभाषा है ? 'सेठ' किसे कहते हैं ? जब दो

आदमियों का परिचय कराया जाता है तो क्या यह शिष्टाचार का तकाज़ा नहीं है कि उनके नाम भी बताये जायँ? क्या आपने कभी मदनलाल से इस बात की चर्चा की कि आप कांग्रेसी हैं? आदि।

उनके अन्य प्रश्न देखिए—

क्या आपने जनवरी के तीसरे सप्ताह में, अख़बारों में पढ़ा कि उपवास के कारण महात्मा गांधी की दशा बिगड़ती जा रही है?

उत्तर—हाँ।

ऐसी हालत में, एक कांग्रेसी की हैसियत से, उनकी दशा सुधारने के लिए क्या आपने प्रार्थना आदि की?

(मैं इसका उत्तर देना चाहता ही था कि जज महोदय ने हस्तक्षेप करते हुए कहा—आप ही कहिए कि प्रार्थना करने से गांधीजी की दशा कैसे सुधर जाती?)

श्री डाँगे—(जज महोदय को उत्तर देते हुए) प्रार्थना का असर होता है, क्योंकि प्रार्थना ईश्वर के प्रति की जाती है, जो सर्वव्यापक है।

श्री दफ़्तरी—(श्री डाँगे को उत्तर देते हुए) लेकिन यह तो जनश्रुति है।

श्री डाँगे का दूसरा प्रश्न था—जब आप १९४३ में जेल से छूट कर आये तो क्या उस समय आपको बधाई देने के लिए आपके कालेज के विद्यार्थियों की ओर से कालेज में कोई सभा हुई थी?

उत्तर—मुझे याद नहीं पड़ता कि ऐसी कोई सभा हुई थी।

(जज महोदय ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इस प्रश्न का यहाँ क्या सम्बन्ध?)

इस समय थोड़ी देर के लिए, मुझे अदालत के बाहर दूसरे कमरे में भेज दिया गया। मेरी अनुपस्थिति में श्री डाँगे ने बताया कि जब प्रोफ़ेसर जैन १९४३ में जेल से छूटकर आये तो उनको बधाई देने के लिए उनके कालेज में एक सभा की गई थी, जिसमें कांग्रेसी विद्यार्थियों ने उनके पक्ष में भाषण दिया और हिन्दू महासभा के विद्यार्थियों ने विरोध में। इस अवसर पर प्रोफ़ेसर जैन ने हिन्दू सभावादी विद्यार्थियों से चिढ़कर यह घोषणा की थी कि वे भविष्य में हिन्दू सभा के विरुद्ध भाषण करेंगे। इस सम्बन्ध में हिन्दू महासभा के विद्यार्थियों ने कालेज के प्रिंसिपल से भी शिकायत की थी। (यह रिपोर्ट बम्बई आने के बाद मैंने अख़बारों में पढ़ी थी।)

अदालत में वापिस आ जाने पर श्री डाँगे ने सवाल पूछना जारी रक्खा—क्या उस सभा में कांग्रेस पक्ष के विद्यार्थियों ने आपकी प्रशंसा की और हिन्दू महासभा के विद्यार्थियों ने आपका विरोध ?

उत्तर—यह ठीक नहीं।

क्या यह ठीक है कि कालेज की किसी, हिन्दू महासभावादी, छात्रा ने आपके विरोध में भाषण किया ? उसने प्रिंसिपल भागवत से आपकी शिकायत की और प्रिंसिपल ने आपसे इसका खुलासा माँगा ?

उत्तर—यह बिलकुल ग़लत है। मैं ज़ोर के साथ इसका विरोध करता हूँ। ऐसी कोई सभा ही कालेज में नहीं हुई।

इसके बाद मदनलाल के वकील श्री बनर्जी खड़े हुए। शरीर से स्थूल, गोल चेहरा, गवाह पर अपना रौब ग़ालिब करने के लिए बीच-बीच में एक व्यंगपूर्ण हँसी हँसते थे। श्री मेंगले के खड़े होते ही उनकी बात का समर्थन करने फ़ौरन खड़े हो जाते

थे। अपनी गवाही के दौरान में मैंने अपनी पुस्तक "लाइफ़ इन ऐन्शिएन्ट इण्डिया एज़ डिपिक्टेड इन जैन कैनन्स" के विषय में उनकी व्यंगपूर्ण उक्ति सुनी, जिसमें इस पुस्तक की ओर इशारा करते हुए कहा गया कि बम्बई-युनिवर्सिटी बस ऐसी ही पुस्तकों के लिए पैसा ख़र्च करती है।

(यह पुस्तक मेरी पी-एच० डी० की थीसिस थी, जिसके उपलक्ष्य में बम्बई-युनिवर्सिटी की ओर से सन् १९४१ में मुझे डाक्टरेट की उपाधि दी गई थी। अपने विषय की यह प्रथम मौलिक पुस्तक है, और इसके प्रकाशन के लिए बम्बई-युनिवर्सिटी की ओर से आर्थिक सहायता भी दी गई थी।)

एक बार उन्होंने मुझे जौगदीशप्रौशाद (जगदीशप्रसाद का बंगाली उच्चारण) कह कर पुकारा और जब मैंने इस ओर अदालत का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि मेरा यह नाम नहीं है तो वे खिलखिलाकर हँस पड़े। इसी प्रकार जब मैं उनके किसी प्रश्न के उत्तर में कहता कि यह मुझे याद नहीं है तो वे बड़े व्यंग से कहते कि मेरे मुवक्किल (मदनलाल) द्वारा किताबें बेचे जाने की ज़रा-ज़रा सी बात आपको याद है!

श्री बनर्जी ने मुझसे बहुत-से प्रश्न पूछे—

जैन-दर्शन पर पुस्तक लिखते समय क्या कभी आपने गांधी जी की अहिंसा की तुलना जैनधर्म की अहिंसा से की है? आप कौन-सा दैनिक अख़बार पढ़ते हैं? क्या आप कभी अहमदनगर गये हैं? जैसे मदनलाल ने आपको अपने पाकिस्तान से भाग कर आने के अनुभव सुनाये, वैसे ही क्या आपने मदनलाल को 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में भाग लेने और जेल जाने के अनुभव सुनाये? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्पीच में ५५ करोड़ रुपये पाकिस्तान को दिये जाने की बात सुनकर शरणार्थियों पर उसका

क्या असर हुआ ? पुष्पा नाम की किसी हिन्दू लड़की को, किसी मुसलमान के हाथ से छुड़ाकर, क्यों उसे आपने श्रद्धानन्द महिलाश्रम में नहीं रक्खा ? आप जयप्रकाशनारायण के पास षड्यन्त्र की सूचना क्यों देने गये, पुलिस के पास क्यों नहीं गये ? पुलिस स्टेशन आपके घर से कितनी दूर है ? आपने श्री मोरारजी देसाई से जो कुछ मदनलाल के बारे में कहा उसका आधार क्या वह समाचार नहीं था जो अपने २१ जनवरी को 'टाइम्स आफ़ इण्डिया' में पढ़ा ? आपकी किताबों से कितनी आमदनी है ? क्या आप सरकार को इनकम टैक्स देते हैं ? आदि।

श्री बनर्जी ने अपनी जिरह में यह भी सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि उनका मुवक्किल (मदनलाल) जनवरी के प्रथम सप्ताह के अन्त में मुझसे मिला ही नहीं। इस सम्बन्ध में उनका कहना था कि ५ जनवरी को अहमदनगर में राव साहब पटवर्धन का भाषण हुआ था; तथा ६ जनवरी को उनका मुवक्किल दंगे में जख़्मी होकर पुलिस की हिरासत में किसी अस्पताल में था। ऐसी हालत में ६ जनवरी को उसका प्रोफ़ेसर जैन से मुलाक़ात करना सम्भव नहीं।

परन्तु इसका खुलासा अदालत में किया जा चुका है। मैंने अपने किसी भी बयान में यह नहीं कहा कि मदनलाल ६ जनवरी को मुझसे मिलने आया। मुझसे अदालत में यह प्रश्न पूछा गया था कि आप प्रथम सप्ताह के क़रीब आख़िर से क्या समझते हैं ? मैंने उत्तर दिया कि उस महीने की ६ या ७ तारीख़। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि मदनलाल मुझसे ६ या ७ जनवरी को मिलने आया था। मेरे बयान के अनुसार वह मुझसे प्रथम सप्ताह के क़रीब आख़िर में मिला था, जिसका मतलब लगभग आठ या नौ जनवरी या उसके आस पास की तारीख़ से

भी हो सकता है। ठीक तारीख़ मुझे याद नहीं, यह बात मैं अदालत के सामने भी कह चुका था। और पुलिस के बयान में भी। अदालत में मेरा बयान समाप्त हो जाने के बाद, बयान के ऊपर अपने हस्ताक्षर करते समय, मैंने इस बात की ओर जज महोदय का ध्यान आकर्षित किया था।

अस्तु, आगे जाकर तो श्री बनर्जी मुझसे कुछ बे-तुके-से प्रश्न पूछने लगे थे, जिनको स्वयं जज महोदय ने असंगत बताकर अमान्य ठहराया। उक्त ५५ करोड़ रुपयेवाला प्रश्न इसी प्रकार का बताया गया। इसी तरह जब श्री बनर्जी ने पूछा कि षड्यन्त्र का पता देने के लिए पुलिस के पास न जाकर आप मोरार जी भाई और खेर साहब के पास क्यों गये तो जज महोदय ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इस तरह के षड्यन्त्र की ख़बर कौन आदमी पुलिस को देने जायगा, इस पर आप स्वयं विचार करें। मैंने इसका यही उत्तर दिया कि पुलिस का सदा विश्वास नहीं किया जा सकता।

एक बार श्री बनर्जी अपना नियत स्थान छोड़कर कठघरे में बैठे हुए अपने मुवक्किल के पास जा खड़े हुए और उससे पूछ-पूछकर प्रश्न करने लगे। मुझे याद है, जज महोदय ने जब इस बात पर आपत्ति की तो श्री बनर्जी ने यह कहकर अपनी जिरह ख़तम कर दी कि अभी उनकी तैयारी नहीं है, और वे अपनी जिरह अगले दिन जारी रक्खेंगे।

सोमवार, ९ अगस्त को फिर जिरह हुई। लेकिन अब तो मैं आदी हो चुका था। श्री बनर्जी के पश्चात् गोपाल गोडसे और परचुरे के वकील श्री इनामदार खड़े हुए। इधर-उधर के दो-चार प्रश्न करने के बाद आखिर उनकी जिरह भी ख़त्म हो गई।

× × ×

गवाही के बाद मैं कुछ सरकारी अधिकारियों से मिला। पता चला कि बम्बई-पुलिस और दिल्ली-पुलिस में काफ़ी तनातनी चल रही है। बम्बई-पुलिस दिल्ली-पुलिस को दोषी ठहराती है और दिल्ली-पुलिस बम्बई-पुलिस को। २० जनवरी को गांधीजी की प्रार्थना-सभा में बम का धड़ाका होने के बाद २२ जनवरी को दिल्ली-पुलिस का कोई अफ़सर तहक़ीक़ात के लिए बम्बई आया, लेकिन अगले दिन उसे निराश होकर वापिस लौट जाना पड़ा।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने उनसे अपने पत्र का ज़िकर किया।

लगभग २४ दिन के बाद घर लौट रहा था। फ्रंटियर मेल तेज़ी से दौड़ रहा था। गम्भीर मुद्रा में बैठा सोचता हुआ चला आ रहा था—तरह-तरह के विचार मन में आ रहे थे।

श्री मोरार जी देसाई की गवाही

मेरी गवाही के बाद बम्बई में सनसनी फैल गई थी। बहुत-से लोग मिलने आने लगे, और कौतूहलवश देखने आने लगे। शिवाजी पार्क के मैदान और मकानों की छतों पर अपनी प्राइवेट बैठकों के लिए एकत्र हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों को मैंने अनेक बार अपनी तरफ़ उँगली उठाकर बात करते हुए देखा।

अंगदसिंह जी की गवाही हो चुकी थी। अब पता चला कि बम्बई-सरकार के गृहमन्त्री श्री मोरार जी भाई गवाही देने के लिए दिल्ली जा रहे हैं।

लगभग इसी समय बम्बई के, १८ अगस्त के, दैनिक विश्व-मित्र में 'बम्बई की हलचल' शीर्षक के नीचे निम्नलिखित समाचार प्रकाशित हुआ—

"श्री मोरार जी दिल्ली जायेंगे

बम्बई-सरकार के गृहमन्त्री श्री मोरार जी देसाई चन्द दिनों में ही नई दिल्ली के लिए रवाना हो जायेंगे, जहाँ वे महात्मा गांधी की हत्या के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट श्री आत्माचरण के समक्ष गवाही देंगे। मंगलवार को दोपहर के समय सेक्रेटेरिएट में यह चर्चा हो रही थी कि गृहमन्त्री को बिना कारण ही रुइया कालेज के प्रोफ़ेसर श्री जैन ने फँसाया है। बम्बई-सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि क़ानूनी ढंग से गृहमन्त्री को दिल्ली

जाकर गवाही देना उचित नहीं; फिर भी जनता की ग़लतफ़हमी को दूर करने के लिए श्री मोरार जी अवश्य दिल्ली जायेंगे। श्री देसाई पर समन तामिल कर दिया गया है।"

उक्त समाचार पढ़कर मैंने गांधी-हत्या-काण्ड मुक़दमे के स्पेशल जज श्री आत्माचरण को एक आवेदन-पत्र भेजा, तथा सरकारी वकील श्री सी० के० दफ़्तरी और बम्बई-सरकार के गृहमन्त्री श्री मोरार जी देसाई का ध्यान इस समाचार की ओर आकर्षित किया। जज साहब तथा श्री दफ़्तरी का कोई उत्तर नहीं आया। हाँ, श्री मोरार जी भाई के प्राइवेट सेक्रेटरी का जवाब आ गया था कि माननीय गृह तथा मालमन्त्री का कहना है कि उक्त समाचार से उनकी कोई मानहानि नहीं होती, अतएव वे इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते।

श्री मोरार जी दिल्ली पहुँच गये थे, लाल क़िले में गवाही हो रही थी—

रामनारायण रुइया कालेज के प्रोफ़ेसर जैन ने उन्हें २१ जनवरी को षड्यन्त्र की सूचना दी थी। उसी रात को वे अहमदाबाद जा रहे थे। उन्होंने बम्बई की खुफिया पुलिस के डिप्टी कमिश्नर श्री नगरबाला को स्टेशन पर मिलने को बुलाया और प्रोफ़ेसर जैन की कही हुई बातों को उनसे कह दिया। उसके बाद उन्होंने निम्नलिखित हुक्म दिये—(१) करकरे को फ़ौरन ही गिरफ़्तार किया जाय (१०-११ दिन पहले किसी और मामले में करकरे की गिरफ़्तारी का हुक्म दिया जा चुका था लेकिन वह अभी तक पकड़ा नहीं गया था), (२) वी० डी० सावरकर के घर पर खुफिया पुलिस का पहरा रक्खा जाय और उनकी प्रवृत्तियों की देखभाल की जाय, (३) इस साज़िश में जो और लोग शामिल हों उनका पता लगाया जाय। तत्प-

श्चात् अहमदाबाद पहुँचकर उन्होंने २२ जनवरी को श्री वल्लभ-भाई पटेल और उनके सेक्रेटरी से षड्यन्त्र सम्बन्धी वे सब बातें कह सुनाईं जिनका पता उन्हें प्रोफ़ेसर जैन से लगा था।

अपनी गवाही में श्री मोरार जी ने बताया कि इस मामले की तहक़ीक़ात करने में प्रोफ़ेसर जैन ने पुलिस को हर प्रकार की मदद देने का वादा किया था। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी जी की हत्या के बाद भी प्रोफ़ेसर जैन मेरे मकान पर आये, और उन्होंने किसी ख़तरे की परवा न करते हुए पुलिस को खुल्लमखुल्ला मदद देने के लिए कहा।

अदालत में बचाव पक्ष के वकीलों ने श्री मोरार जी से अनेक प्रश्न किये—

प्रोफ़ेसर जैन से आप कितनी बार मिले? तीन बार। पहली बार २१ जनवरी को सेक्रेटेरिएट में, दूसरी बार ३१ जनवरी को और तीसरी बार ३ या ४ फ़रवरी को अपने मकान पर। श्री नगरवाला से प्रोफ़ेसर जैन कितनी बार मिले?

मैं नहीं कह सकता।

प्रोफ़ेसर जैन ने जब पुलिस को खुल्लमखुल्ला मदद देने के लिए कहा तो क्या आपने उनकी मदद को स्वीकार किया?

इसीलिए मैंने उनका परिचय श्री नगरवाला से करा दिया था।

क्या आपने प्रोफ़ेसर जैन की जीवन-सम्बन्धी पिछली बातों के सम्बन्ध में जानने की कोशिश की?

नहीं।

क्या आपने श्री नगरवाला से इस बात का पता लगाने को कहा कि प्रोफ़ेसर जैन ने जो क़िस्सा आपको सुनाया था, वह यथार्थ है?

अवश्य ही मैंने श्री नगरवाला से इस बात का पता लगाने के लिए कहा था।

आपने श्री नगरवाला से, जो आपके सी० आई० डी० के अफ़सर हैं, प्रोफ़ेसर जैन का नाम क्यों नहीं बताया ?

प्रोफ़ेसर जैन जिस इलाक़े में रहते हैं, उसे देखते हुए, और जो लोग षड्यन्त्र में शामिल हैं उनका ध्यान रखते हुए, वे नहीं चाहते थे कि उनका नाम प्रकट किया जाय। इसलिए मैंने उनका नाम श्री नगरवाला से नहीं बताया था। इसके अलावा इस वक्त़ उनका नाम न बताने में भी कोई हानि न थी।

क्या प्रोफ़ेसर जैन से पहले आपको इस सम्बन्ध की सूचना किसी और व्यक्ति ने दी थी ?

नहीं। प्रोफ़ेसर जैन ने ही सर्वप्रथम महात्मा गांधी की हत्या के षड्यन्त्र की सूचना दी थी।

क्या प्रोफ़ेसर जैन के कहने मात्र से सावरकर के घर पर ख़ुफ़िया पहरा बैठाना आपके लिए उचित था ?

(अदालत ने यह सवाल पूछने की इजाज़त नहीं दी।)

क्या प्रोफ़ेसर जैन की सूचना के अतिरिक्त आपको अन्य कोई सूचना मिली थी जिससे आपने सावरकर के घर पर पहरा बैठा दिया और उनकी प्रवृत्तियों की देखरेख रखने का हुक्म दिया ?

कहिए तो मैं इसका सबब बताऊँ ? यदि सावरकर कहें तो मैं इसका जवाब देने को तैयार हूँ। (इस पर जज महोदय ने कहा कि गवाह द्वारा दिये हुए उत्तर को वे दर्ज करेंगे।)

इस पर श्री भोपटकर ने अपना प्रश्न वापिस ले लिया।

क्या आपको मालूम है कि प्रोफ़ेसर जैन का मदनलाल से घनिष्ठ सम्बन्ध था ?

प्रोफ़ेसर जैन ने मुझसे बताया कि मदनलाल का उनसे घनिष्ठ सम्बन्ध था।

क्या आपने श्री नगरवाला से प्रोफ़ेसर जैन की प्रवृत्तियों की देखभाल करने को कहा ?

नहीं। मैंने नहीं कहा।

२१ जनवरी को जब प्रोफ़ेसर जैन ने आपसे मुलाक़ात की तो क्या आपने उनसे मालूम किया कि उनके और मदनलाल के क्या सम्बन्ध थे ?

यह पूछना आवश्यक नहीं था, क्योंकि इस बात को उन्होंने स्वयं ही मुझसे कह दिया था।

जब प्रोफ़ेसर जैन ने यह क़िस्सा आपको सुनाया तो, एक राजनीतिज्ञ की हैसियत से, क्या आपके मन में यह विचार नहीं आया कि मदनलाल के साथ अपने सम्बन्धों को देखते हुए, जुर्म की ज़िम्मेवारी से अपने आपको बचाने के लिए तो कहीं उन्होंने आपके पास आकर यह सूचना नहीं दी ?

ऐसी बात नहीं है। मैंने उनकी दी हुई सूचना को सत्य समझा।

क्या आप अदालत के सामने प्रोफ़ेसर जैन के कहे हुए क़िस्से को सत्य समझने के कारण बतायेंगे ?

मैं ११ वर्ष तक मजिस्ट्रेट रहा हूँ, अतएव ऐसे क़िस्सों का मुझे बहुत अनुभव है। जिस निष्कपट भाव से प्रोफ़ेसर जैन ने मुझे यह क़िस्सा सुनाया, उसने मुझे यह विश्वास करने को प्रेरित किया कि वे सच बोल रहे हैं। जब प्रोफ़ेसर जैन मुझे यह क़िस्सा सुना रहे थे, मेरा मजिस्ट्रेटी का अनुभव काम में आ रहा था।

अस्तु, अपनी सचाई के विषय में बम्बई-सरकार के गृहमन्त्री

के बिन माँगे अनमोल प्रमाण-पत्रों को मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ अख़बारों में पढ़ रहा था, और क्षण भर के लिए पिछली बातों को भूल-सा गया था; यद्यपि उनके ४ फ़रवरी के कहे हुए शब्द अब भी मेरे कानों में यदा-कदा गूँज उठते थे—

"मैं जानता हूँ, आप भी षड्यन्त्रकारियों में से हैं। मैं चाहूँ तो आपको जेल भिजवा सकता हूँ।......"

अभियुक्तों के बयान

बम्बई-सरकार के गृहमन्त्री के बाद और भी गवाहियाँ हुईं, जिनमें चीफ़ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट मिस्टर ब्राउन, तथा डिप्टी कमिश्नर स्पेशल ब्रांच सी० आई० डी०, बम्बई और गांधी हत्याकण्ड के चीफ़ इनवैस्टिगेटिंग अफ़सर मिस्टर जे० डी० नगरवाला की गवाहियाँ मुख्य थीं। सरकार की ओर से लगभग १४३ गवाह पेश किये गये, जिनमें रेलवे क्लर्क, टेलीफोन क्लर्क, होटल मैनेजर, धोबी, माली, सिनेमा की नटी, फोटोग्राफर, ज्योतिषी, धर्मगुरु, व्यापारी आदि सभी प्रकार के लोग थे। ये गवाहियाँ ८४ दिन तक होती रहीं और टाइप किये हुए फुलस्केप के ६९० पृष्ठों में दर्ज की गईं। ७० पृष्ठों में अकेले बड़गे की गवाही लिखी गई।

८ नवम्बर, १९४८ से अभियुक्तों के बयान आरम्भ हो गये।

अभियुक्त नं० १ नाथूराम विनायक गोडसे ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि महात्मा गांधी की हत्या का ज़िम्मेवार वह स्वयं है और उसने जान बूझ कर रिवाल्वर से उनकी हत्या की है; वह किसी षड्यन्त्र में शामिल नहीं था।

अभियुक्त ने बड़ा लम्बा-चौड़ा बयान दिया, जिसे पढ़ते-पढ़ते उसे चक्कर आ गया और वह ग़श खाकर गिर पड़ा। इस बयान पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

अभियुक्त नं० २ नारायण दत्तात्रेय आपटे ने स्वीकार किया कि २० जनवरी को बडगे और शंकर के साथ वह बिडला हाउस गया था। वह वहाँ प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन जब उसे मदनलाल की गिरफ़्तारी का पता चला तो वह वहाँ से चला आया। अभियुक्त के कथनानुसार ३० जनवरी को वह दिल्ली में मौजूद नहीं था, तथा गांधी-हत्या षड्यन्त्र में उसका कोई हाथ नहीं है।

अभियुक्त नम्बर ३ विष्णु रामकृष्ण करकरे ने स्वीकार किया कि वह मदनलाल के साथ १५ जनवरी को बम्बई से रवाना होकर १७ जनवरी को दिल्ली पहुँचा। वहाँ २० जनवरी की शाम को गांधीजी की प्राथना-सभा में पहुँचने पर उसे मालूम हुआ कि बम का धड़ाका होने के सम्बन्ध में मदनलाल को गिरफ़्तार कर लिया गया है. इसलिए वह वहाँ से डरकर चला आया। अभियुक्त ने बताया कि बम्बई के चैम्बूर कैम्प में मदनलाल से उसकी मुलाक़ात हुई थी।

अभियुक्त नम्बर ४ मदनलाल के० पहावा ने स्वीकार किया कि २० जनवरी को गांधीजी की प्राथना-सभा में उसने बम का धड़ाका किया है, लेकिन इससे वह शरणार्थियों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। अभियुक्त ने कहा कि वह जनवरी, १९४८ में डा० जैन से मिला ही नहीं, और न उसने उनसे गांधी-हत्या-षड्यन्त्र के विषय में कुछ कहा है। सावरकर से भी उसकी कोई मुलाक़ात नहीं हुई तथा जब वह अहमदनगर में फलों का व्यापार करने के लिए गया था, करकरे से उसका परिचय हुआ था।

अभियुक्त नम्बर ५ शंकर किस्तैया ने अपने मालिक दिगम्बर बडगे की गवाही का समर्थन करते हुए कहा कि उसने जो

कुछ किया है, अपने मालिक के आदेशानुसार किया है, तथा बिड़ला हाउस पहुँचने पर भी उसे गांधी-हत्या-षड्यन्त्र के विषय में कुछ मालूम न था।

अभियुक्त नम्बर ६ गोपाल विनायक गोडसे ने कहा कि १७ जनवरी से २५ जनवरी के दर्म्यान वह दिल्ली, बम्बई या पूना कहीं नहीं गया, अतएव उस पर लगाये हुए अभियोग सर्वथा मिथ्या हैं।

अभियुक्त नम्बर ७ विनायक डी० सावरकर ने कहा कि वह पूर्णतया निर्दोष है तथा उसे फँसाने के लिए पुलिस ने उस पर गांधी-हत्या-षड्यन्त्र का अभियोग लगाया है।

अभियुक्त ने बताया कि बडगे की गवाही सुनी-सुनाई गवाही है, अतएव वह विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती। इसी प्रकार डा० जैन, श्री अंगदसिंह और मोरार जी भाई की गवाहियाँ निरी सुनी हुई हैं। क्योंकि अभियुक्त मदनलाल को नहीं जानता, न उसने कभी उससे कोई बात चीत की है। मदनलाल का कहना है कि डा० जैन से उसने षड्यन्त्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा।

सावरकर ने भी काफ़ी लम्बा बयान दिया, जिसे पढ़ते-पढ़ते उनके आँसू बहने लगे और गला रुँध गया!

अभियुक्त न० ८ दत्तात्रय सदाशिव परचुरे ने स्वीकार किया कि २८ जनवरी को नाथूराम गोडसे और नारायण आपटे ग्वालियर में उसके घर आये थे, लेकिन वे लोग स्वयंसेवकों की तालाश में आये थे, गांधीजी की हत्या के विषय में उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। अभिभुक्त ने अपने बयान में कहा कि नाथूराम गोडसे और आपटे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से काफ़ी सहानुभूति रखते थे, और खासकर गोडसे तो संघ का प्रमुख संचालक था तथा वह अपने 'हिन्दू राष्ट्र' के ज़रिये संघ का ख़ूब प्रचार

करता था, परन्तु मैं हिन्दू महासभा से पृथक् कोई संगठन चलाने का सख़्त विरोधी था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि ये लोग ग्वालियर के स्वयंसेवकों का इस्तेमाल अपने काम के लिए करें। अभियुक्त ने यह भी बताया कि वह ग्वालियर रियासत का रहनेवाला है, इसलिए मौजूदा अदालत को उस पर मुक़दमा चलाने का अधिकार नहीं।

सरकारी वकील की बहस

मुक़दमे का इतिहास

१ दिसम्बर, १९४८ को सरकारी पक्ष के वकील श्री दफ़्तरी की बहस शुरू हो गई। मुक़दमे का इतिहास बताते हुए श्री दफ़्तरी ने कहा कि गांधी-हत्या-षड्यन्त्र का आरम्भ नवम्बर, १९४७ से होता है जब कि भोर रियासत में तीर्थयात्रा के लिए जाते समय दिगम्बर बडगे की भेंट नारायण आपटे से हुई। उस समय आपटे ने बडगे से कुछ शस्त्र और गोला-बारूद का प्रबन्ध कर देने के लिए कहा। आठ-दस दिन बाद जब बडगे यात्रा से पूना लौटकर आया तो वह 'हिन्दू राष्ट्र' के दफ़्तर में नाथूराम गोडसे और आपटे से मिला। दोनों ओर से बातचीत चलती रही। आख़िर ९ जनवरी की रात को करकरे मदनलाल, ओमप्रकाश और चोपड़ा को साथ लेकर, बडगे के शस्त्र-भाण्डार में पहुँचा; शंकर ने ग्राहकों को गन काटन स्लैब, हथगोले, कारतूस, पिस्तौल और फ्यूज़ वायर लाकर दिखाये।

अगले दिन सुबह आपटे ने बडगे से दो गन काटन स्लैब, दो रिवाल्वर और पाँच हथगोले देने को कहा। लेकिन रिवाल्वर बडगे के पास नहीं थे, इसलिए आपटे ने उसे बाक़ी सामान १४ जनवरी की शाम तक बम्बई के हिन्दू महासभा के दफ़्तर में पहुँचा देने को कहा।

इस बीच में, लगभग १० जनवरी को मदनलाल, करकरे के

साथ, डा० जैन से मिलने गया। दो-तीन दिन बाद मदनलाल फिर डा० जैन से मिला। उसने उनसे कुछ विस्फोटक पदार्थों का जिक्र किया और सावरकर का नाम लिया। उसने गांधी-हत्या के षड्यन्त्र के सम्बन्ध में उनसे साफ़ साफ़ कहा। डा० जैन ने उसकी बात को गम्भीरता से नहीं लिया। एक-दो दिन बाद डा० जैन और मदनलाल की फिर बातचीत हुई। उसके बाद फिर मदनलाल उनसे रात को मिला और उसने बताया कि वह दिल्ली जा रहा है।

इसी समय नाथूराम गोडसे ने अपने दो बीमों में से एक १३ जनवरी को नारायण आपटे की पत्नी के नाम और दूसरा अपने भाई गोपाल गोडसे की पत्नी के नाम• लिखवा दिया। आपटे इस बात को अच्छी तरह जानता था। लगभग इन्हीं दिनों गोपाल गोडसे ने १५ जनवरी से •लगाकर सात दिन की छुट्टी के लिए दरख़्वास्त दी।

इस प्रकार १४ जनवरी को नाथूराम गोडसे और आपटे का बम्बई पहुँचना, उसी दिन बडगे और शंकर का 'मसाला' लेकर बम्बई जाना, इन्हीं दिनों नाथूराम गोडसे का अपने बीमों का दूसरों के नाम लिखवाना, बम्बई पहुँचने के लिए १४ जनवरी को नाथूराम का गोपाल गोडसे को २००) देना, तथा इन्हीं दिनों गोपाल का छुट्टी के लिए दरख़्वास्त देना—इन सब घटनाओं का एक साथ होना काफ़ी महत्त्व रखता है।

अस्तु, १४ जनवरी को बम्बई पहुँच कर बडगे और शंकर, आपटे और नाथूराम गोडसे से, मिले। फिर गोडसे, आपटे और बड़गे 'मसाले' का थैला लेकर सावरकर के घर गये। बडगे बाहर खड़ा रहा। यहाँ से ये लोग शंकर को साथ लेकर भूलेश्वर में

दीक्षित महाराज के घर आये, और यहाँ अपना थैला रखकर हिन्दू महासभा के दफ़्तर में लौट आये।

१४ जनवरी को दादर के हिन्दू महासभा के दफ़्तर में मदनलाल भी बडगे से मिला। १५ जनवरी की सुबह १७ जनवरी को, बम्बई से दिल्ली रवाना होने के लिए, आपटे ने फ़र्ज़ी नामों से दो टिकट ख़रीदे। उसी दिन आपटे और नाथूराम गोडसे बडगे, शंकर और मदनलाल से मिले, तथा शंकर, बडगे, नाथूराम गोडसे और आपटे जोशी के अग्रणी प्रेस में गये। करकरे भी यहाँ आ गया था। सब लोगों की यहाँ मीटिंग थी। शंकर मीटिंग में नहीं गया। मीटिंग के बाद सब लोग हिन्दू महासभा के दफ़्तर में आ गये। वहाँ से ये लोग दीक्षित महाराज के घर पहुँचे और अपना थैला ले लिया। इसके बाद आपटे ने करकरे और मदनलाल को 'मसाला' लेकर उसी रात को दिल्ली रवाना होने के लिए कहा।

दीक्षित महाराज के घर से लौटते हुए आपटे ने बडगे से दिल्ली चलने को कहा। आपटे ने बडगे से यह भी बताया कि तात्याराव सावरकर ने यह तय किया है कि गांधीजी, जवाहरलाल नेहरू तथा सुहरावर्दी को ख़तम कर देना चाहिए, और यह काम उन लोगों को सौंपा गया है।

इधर करकरे और मदनलाल १५ जनवरी को बम्बई से रवाना होकर १७ जनवरी को दिल्ली पहुँचे और वहाँ शरीफ़ होटल में ठहरे। करकरे ने यहाँ अपना नाम बदल लिया।

बडगे और शंकर पूना चले गये थे। दोनों १६ जनवरी की रात को पूना से चलकर १७ जनवरी की सुबह बम्बई पहुँचे। बडगे नाथूराम गोडसे और आपटे से मिला। गोडसे और आपटे अपने काम के लिए कुछ रुपया इकट्ठा करना चाहते थे। इन

लोगों ने एक टैक्सी किराये पर ली और बडगे को साथ लेकर बम्बई ड्राइंग मिल के चरणदास मेघजी मथुरादास से मिले। फिर वे लोग हिन्दू महासभा के दफ़्तर में लौट आये और वहाँ से शंकर को साथ ले लिया।

नाथूराम गोडसे तात्याराव सावरकर के अन्तिम दर्शन करना चाहता था। शंकर को टैक्सी में ही छोड़कर और बडगे को पहली मंज़िल पर खड़ा रखकर गोडसे और आपटे सावरकर से मिलने गये। वहाँ से वापिस आने पर टैक्सी में बैठकर आपटे ने कहा कि सावरकर ने बताया है। कि गांधीजी के सौ वर्ष पूरे हो गये हैं।

तत्पश्चात् ये लोग अफ़ज़लपुरकर और काले के घर गये। अफ़ज़लपुरकर ने उन्हें १००) और काले ने १०००) दिये। फिर सब लोग दीक्षित महाराज के घर पहुँचे और वहाँ से सान्ताक्रूज़ हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गये। यहाँ आपटे ने बडगे को ३५०) दिये और उसे रेल से दिल्ली आने के लिए कहा।

इधर गोडसे और आपटे १७ जनवरी को हवाई जहाज़ से दिल्ली पहुँचे और फ़र्ज़ी नाम रखकर मरीना होटल में ठहरे। १९ जनवरी को बडगे और शंकर भी दिल्ली पहुँच गये और हिन्दू महासभा-भवन के एक कमरे में आकर उतरे, जहाँ मदनलाल और गोपाल गोडसे पहले से ठहरे हुए थे। कुछ समय बाद वहाँ गोडसे, आपटे और करकरे आये और बडगे तथा शंकर से मिलकर चले गये। बडगे, शंकर, गोपाल और मदनलाल रात को उसी कमरे में सोये। अगले दिन सुबह आपटे और करकरे हिन्दू महासभा-भवन में आये और आपटे ने बडगे और शंकर से बिडला-हाउस चलने को कहा।

बिडला हाउस पहुँचकर आपटे ने बडगे को सुहरावर्दी को

दिखाया, और जहाँ महात्मा गांधी प्रार्थना-सभा में बैठते थे, तथा जहाँ गन काटन स्लैब द्वारा धड़ाका किया जा सकता था, उस स्थान की ओर संकेत किया।

तत्पश्चात् हिन्दू महासभा-भवन लौटने पर आपटे, गोपाल गोडसे, बडगे और शंकर पिस्तौल चलाने का अभ्यास करने के लिए जंगल में गये, और थोड़ी देर बाद लौटकर आ गये। फिर आपटे, करकरे, मदनलाल, बडगे, शंकर और गोपाल मरीना होटल के कमरा नं० ४० में पहुँचे जहाँ नाथूराम गोडसे बिस्तर पर लेटा हुआ था। यहाँ अभियुक्तों को अस्त्र और गोला-बारूद बाँट देने के बाद, नाथूराम गोडसे ने बडगे से कहा कि यह उनका अंतिम प्रयत्न है और यह कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न होना चाहिए। यहाँ यह तय किया गया कि मदनलाल के गन काटन स्लैब द्वारा धड़ाका करते ही वे लोग गांधी जी पर प्रहार करेंगे। तत्पश्चात् आपटे, गोपाल गोडसे, शंकर और बडगे टैक्सी में बैठकर बिडला हाउस चल पड़े।

प्रार्थना-सभा में पहुँचकर मदनलाल ने गन काटन स्लैब का धड़ाका किया, लेकिन जैसा उन लोगों ने सोचा था, वैसा कुछ नहीं हुआ। मदनलाल ने भागना चाहा लेकिन उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। तलाशी लेने पर उसके कोट की जेब में से एक हथगोला निकला।

इधर बडगे और शंकर हिन्दू महासभा-भवन को लौट आये। जब गोडसे और आपटे उन दोनों से मिलने आये तो बडगे उन पर ग़ुस्सा हुआ कि वे लोग उन्हें छोड़कर क्यों भाग आये। उसी दिन शाम को बडगे और शंकर पूना के लिए रवाना हो गये। नाथूराम गोडसे और आपटे कानपुर चले गये और करकरे फ्रांटियर होटल में जा ठहरा।

आपटे और गोडसे २२ तारीख़ को कानपुर से रवाना होकर २३ को बम्बई पहुँचे और नाम बदल कर 'आय पथिक आश्रम' में ठहरे। वहाँ से वे एल्फ़िन्स्टन होटल एनेक्स में गये और वहाँ भी फ़र्ज़ी नामों से रहे। इस बीच में २५ जनवरी को करकरे भी बम्बई पहुँच गया। गोपाल गोडसे भी दिल्ली से वापिस आ गया था। नाथूराम गोडसे और आपटे इन लोगों से मिले।

गोडसे और आपटे ने फिर २७ जनवरी को दिल्ली रवाना होने के लिए २५ जनवरी को, फ़र्ज़ी नामों से हवाई जहाज़ के दो टिकट ख़रीदे। २६ जनवरी को दोनों दीक्षित महाराज से मिलने गये। उन लोगों ने उनसे रिवाल्वर माँगा, लेकिन नहीं मिल सका।

गोडसे और आपटे २७ जनवरी को दिल्ली पहुँचे और वहाँ से क़रीब १०॥ बजे रात को ग्वालियर आकर डा० परचुरे से मिले। यहाँ से रिवाल्वर लेकर वे दिल्ली वापिस लौटे। ३० जनवरी को करकरे भी गोडसे और आपटे के साथ था।

३० जनवरी की शाम को ५ बजे नाथूराम गोडसे ने बिडला हाउस में गांधीजी की प्रार्थना-सभा में पहुँच कर उन्हें अपने रिवाल्वर का निशाना बनाया। गोडसे वहीं अपने रिवाल्वर के साथ गिरफ़्तार कर लिया गया।

बडगे की गवाही

बडगे की गवाही का उल्लेख करते हुए सरकारी वकील श्री दफ़्तरी ने कहा कि बडगे का केवल बयान ही २३ पृष्ठों में लिखा गया है। यदि वह षड्यन्त्र में सम्मिलित न होता तो इन सब घटनाओं का इतनी सफ़ाई से याद रखना उसके लिए सम्भव नहीं था।

तत्पश्चात् श्री दफ़्तरी ने बडगे की गवाही का स्वतन्त्र रूप से समर्थन करनेवाली गवाहियों का उल्लेख किया।

कुमारी शान्ता मोडक की गवाही के विषय में उन्होंने कहा कि उसने नाथूराम गोडसे और आपटे को १४ जनवरी को शिवाजी पार्क में, सावरकर सदन के सामने, अपनी गाड़ी में छोड़ा और देखा कि गाड़ी से उतरकर वे लोग सावरकर सदन की ओर जा रहे थे।

दिल्ली के फ़ौरेस्ट गार्ड मेहरसिंह ने २० जनवरी को हिन्दू महासभा-भवन के पीछेवाले जंगल में अभियुक्तों को देखा है और गोपाल गोडसे की उसने शनाख़्त की है।

दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर सुरजितसिंह ने अपनी गवाही में बताया है कि २० जनवरी की शाम को क़रीब ४। बजे कुछ लोगों ने उसकी टैक्सी किराये की। सुरजितसिंह ने इस सम्बन्ध में बडगे, शंकर, आपटे और गोपाल गोडसे की शनाख़्त की है। गवाह का कहना है कि वापिसी में आगे की सीट पर बैठा हुआ आदमी लौटकर नहीं आया, उसके एवज़ में नाथूराम गोडसे आकर बैठा, तथा प्रार्थना-सभा में बम का धड़ाका होने के बाद इन लोगों ने जल्दी टैक्सी चलाने को कहा।

दीक्षित महाराज की गवाही से मालूम होता है कि १५ जनवरी को गोडसे, आपटे और बडगे उनसे मिलने आये, और उनके नौकर नारायण को उन्होंने अपना थैला लाने को कहा, जिसे वे पहले दिन वहाँ छोड़ गये थे। थैला लाये जाने के बाद उसे खोलकर उसमें से विस्फोटक पदार्थ निकाले गये। आपटे और गोडसे ने उनसे रिवाल्वर भी माँगा।

बम्बई के टैक्सी ड्राइवर इतपा कोटियन का कहना है कि १७ जनवरी को सुबह ७। बजे से लेकर दुपहर के १॥ बजे तक

आपटे, गोडसे, और बडगे उसकी टैक्सी में बैठकर घूमते रहे। अफ़ज़लपुरकर, काले और पालकर के घर भी वे लोग टैक्सी में गये। अफ़ज़लपुरकर और काले की गवाहियों से भी इस कथन का समर्थन होता है।

दादा महाराज की गवाही से इस बात का समर्थन होता है कि १७ जनवरी को आपटे और गोडसे हवाई जहाज़ द्वारा बम्बई से दिल्ली के लिए रवाना हुए। उन्होंने यह भी बताया कि जब वे पंढरपुर जा रहे थे, आपटे ने अपना आदमी—करकरे—उनके पास भेजा। दादा महाराज के बयान से यह भी मालूम होता है कि जब गोडसे और आपटे से उन्होंने कहा कि वे लोग बातें बहुत करते हैं, काम कुछ नहीं करते तो आपटे ने जवाब देते हुए बताया कि दादा महाराज को तब पता लगेगा जब कुछ हो जायगा।

आमचेकर ने करकरे और मदनलाल के साथ बम्बई से दिल्ली की यात्रा की थी, और वह इन लोगों के साथ १९ जनवरी को शरीफ़ हिन्दू होटल में ठहरा था। आमचेकर ने होटल में गोपाल गोडसे को करकरे के साथ बात करते हुए देखा था।

सुलोचना देवी ने मदनलाल को प्रार्थना-सभा में बम रखकर उसे सुलगाते हुए देखा है। उसने बडगे, नाथूराम गोडसे और आपटे की भी शनाख़्त की है, जो उस समय बिडला हाउस में मौजूद थे।

बिडला हाउस के चौकीदार भूरसिंह ने नाथूराम गोडसे, आपटे, करकरे, मदनलाल, गोपाल गोडसे और बडगे की शनाख़्त की है। बम का धड़ाका होने से पहले ये लोग बिडला हाउस में पाये गये थे। उसी की मौजूदगी में मदनलाल के कोट में से एक हथगोला मिला था। पुलिस इन्सपेक्टर सरदार दसबंधसिंह और

मजिस्ट्रेट सोहनी ने भी इस बात को अपने बयान में कहा है। इस कोट के साथ का पैंट १६ अप्रैल को आपटे के ट्रंक में पाया गया। पूना के दावके नामके दर्जी ने बताया है कि वह कोट और पैंट उसने आपटे के लिए सीकर दिये थे।

चमनलाल ग्रोवर की मौजूदगी में हिन्दू महासभा-भवन के पीछेवाले जंगल में से हथगोले निकाले गये। २० जनवरी को इन्हीं हथगोलों को लेकर बडगे और शंकर गांधीजी की प्रार्थना-सभा में गये थे। इन हथगोलों पर पैन्सिल का लाल निशान था; बडगे ने इनकी शताख़्त की है।

गोडबोले और काले की गवाहियों से पता लगता है कि क़रीब २२-२३ जनवरी को गोपाल गोडसे ने गोडबोले को एक रिवाल्वर दिया, जिसे उसने ३० जनवरी तक अपने पास रक्खा, बाद में काले को दे दिया।

शरीफ़ होटल के गवाहों के अनुसार मदनलाल और करकरे १७ जनवरी से १९ जनवरी तक उनके होटल में रहे। वहाँ गोपाल गोडसे भी मौजूद था।

मरीना होटल के गवाहों का कहना है कि आपटे और नाथूराम गोडसे २० जनवरी को एस० देशपांडे और एम० देशपांडे के नाम से कमरा नं० ४० में ठहरे थे तथा २० जनवरी को चाय के समय जब होटल का बेरा चाय लेकर आया तो उसे तीन प्याले चाय और लाने को कहा गया। इसी प्रकार २० जनवरी को होटल छोड़ते समय नाथूराम गोडसे ने अपने कपड़े मँगाने की भी परवा न की जो उसने धोबी को, धुलने को, दे रक्खे थे। होटल के दूसरे बेरा ने कहा है कि कमरा नं० ४० में वह करकरे के लिए शराब लेकर आया था। होटल के मैनेजर ने अपनी गवाही में बताया है कि जब २० जनवरी को मदनलाल

पुलिस के साथ होटल के कमरा नं० ४० में लाया गया तो उसने कहा कि उसके अन्य साथी उस कमरे में ठहरे हुए थे।

.फ्रांटियर होटल के ओमप्रकाश की गवाही से भी पता लगता है कि राजगोपालन (गोपाल गोडसे) और जी० जोशी (करकरे) २० जनवरी को उसके होटल में ठहरे हुए थे। इसी प्रकार सुन्दरीलाल, हरिकिशन और जानू ज्योति की गवाही से मालूम होता है कि आपटे, गोडसे और करकरे २९ और ३० जनवरी को दिल्ली में मौजूद थे।

प्रोफ़ेसर जैन की गवाही

प्रोफ़ेसर जगदीशचन्द्र जैन की गवाही का उल्लेख करते हुए श्री दफ़्तरी ने कहा कि प्रोफ़ेसर जैन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उन्होंने युनिवर्सिटी की ऊँची डिग्रियाँ पाई हैं। उनकी गवाही बड़गे की गवाही से बिलकुल स्वतन्त्र है जिसका समर्थन श्री अंगदसिंह और श्री मोरारजी भाई की गवाहियों से होता है।

मदनलाल षड्यन्त्र का भेद देने प्रोफ़ेसर जैन के पास क्यों गया, इसका उत्तर देते हुए श्री दफ़्तरी ने बताया कि मदनलाल का स्वभाव ही ऐसा था कि वह अपना कार्य आरम्भ करने के पहले उनसे कह देना चाहता था कि वे लोग इस तरह का कार्य करने जा रहे हैं। अपनी शेख़ी जताने के लिए वह इस विषय की सूचना देने उनके पास गया होगा।

बचाव पक्ष की ओर से सुझाव पेश किया गया है कि २१ जनवरी के अख़बार पढ़कर तो कहीं प्रोफ़ेसर जैन ने अपने आपको बचाने के लिए महात्मा गांधी की हत्या के षड्यन्त्र की कहानी नहीं गढ़ ली, लेकिन यह बिलकुल निराधार है। कारण बताते हुए श्री दफ़्तरी ने कहा कि २१ जनवरी के किसी भी

समाचार पत्र में इस षड्यन्त्र के बाबत कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई थी। इससे यही मालूम होता है कि मदनलाल ने अपनी योजना के विषय में उनसे कुछ कहा था, अन्यथा गांधी-हत्या का कोई षड्यन्त्र रचा गया है, इस बात की सूचना उन्हें कहाँ से मिल जाती ? इसी प्रकार यह कहना भी ठीक नहीं कि मदनलाल प्रोफ़ेसर जैन के घर आता-जाता था, इसलिए अपने आपको बचाने के लिए प्रोफ़ेसर जैन ने षड्यन्त्र की बात बना ली है। क्योंकि प्रोफ़ेसर जैन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तथा दादा महाराज और दीक्षित महाराज के समान वे अस्त्र-शस्त्रों और गोला-बारूद का लेन-देन नहीं करते, जिससे उन्हें इस मामले में फँस जाने का डर होता। वे युनिवर्सिटी की ऊँची पदवियों के धारक हैं, उनकी बात को अविश्वसनीय मानने का कोई कारण नहीं। इसके विपरीत, मदनलाल का उनसे षड्यन्त्र का भेद बताना बिलकुल स्वाभाविक मालूम होता है। मदनलाल ने सोचा होगा कि चूँकि वह एक 'महत्त्वपूर्ण' कार्य करने जा रहा है, वह क्यों न इस बात को प्रोफ़ेसर जैन से कह दे। ऐसी दशा में अदालत को प्रोफ़ेसर जैन पर विश्वास न करने का कारण नज़र नहीं आता।

प्रोफ़ेसर जैन ने अपने बयान में कहा है कि पहले उन्होंने मदनलाल के कथन को सत्य नहीं समझा। उन्होंने श्री जयप्रकाश नारायण को षड्यन्त्र की सूचना देने का प्रयत्न किया जिससे यह सूचना दिल्ली के अधिकारियों तक पहुँच सके। परन्तु दुर्भाग्य से वे जयप्रकाशनारायण से नहीं मिल सके। लेकिन गांधीजी की प्राथना-सभा में बम-विस्फोट का समाचार पढ़ते ही उन्होंने मदनलाल की दी हुई सूचना को सरदार पटेल के पास पहुँचाने का निश्चय किया। उनके न मिलने पर उन्होंने बम्बई के प्रधान मन्त्री और गृहमन्त्री मोरार जी भाई से वे सब बातें कह

दीं जो उनसे मदनलाल ने कही थीं। ऐसी हालत में प्रोफ़ेसर जैन का बयान सुसंगत और प्रामाणिक माना जाना चाहिए।

इसके सिवाय, मदनलाल ने प्रोफ़ेसर जैन को जो पत्र लिखा है और उसमें उनके प्रति जो आदर व्यक्त किया है, उससे साफ़ मालूम हो जाता है कि मदनलाल का उनके साथ कैसा सम्बन्ध था।

बचाव पक्ष के वकीलों ने प्रोफ़ेसर जैन से जिरह करते हुए कहा है कि उन्होंने मजिस्ट्रेट के बयान में मदनलाल द्वारा राव साहब पटवर्धन पर आक्रमण किये जाने की बात का उल्लेख नहीं किया। इसी प्रकार उनके इस बयान में मदनलाल और सावरकर की दो घंटे चलनेवाली बात का कोई ज़िक्र नहीं आया जिसमें सावरकर ने मदनलाल को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया। इसके उत्तर में श्री दफ़्तरी ने बताया कि इन सब बातों का मजिस्ट्रेट के बयान में उल्लेख किया जाना प्रोफ़ेसर जैन ने आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि उनके बयान का महत्त्वपूर्ण भाग—षड्यन्त्र का अस्तित्व—उस बयान में आ ही चुका था। मदनलाल की कही हुई ख़ास-ख़ास बातों का उल्लेख ही प्रोफ़ेसर जैन ने मजिस्ट्रेट के बयान में किया, बाक़ी बातों का नहीं।

मदनलाल का अब कहना है कि जनवरी में वह प्रोफ़ेसर जैन से मिला ही नहीं। लेकिन बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से इस सम्बन्ध में प्रोफ़ेसर जैन से कोई प्रश्न नहीं किया गया। उनसे पूछे हुए प्रश्नों से यही प्रतीत होता है कि मदनलाल जनवरी महीने में उनसे मिला था।

प्रोफ़ेसर जैन ने अपने बयान में कहा है कि जो कुछ उनसे मदनलाल ने कहा था उसे उन्होंने अगले दिन ही अंगदसिंह जी से कह दिया। अंगदसिंह जी की गवाही से उनके बयान का

समर्थन होता है। मोरारजी भाई की गवाही से भी मालूम होता है कि मदनलाल तथा उसके अन्य साथियों द्वारा गांधीजी की हत्या किये जाने के षड्यन्त्र का भेद उन्हें २१ जनवरी को प्रोफ़ेसर जैन ने बताया था। इस प्रकार प्रोफ़ेसर जैन, अंगदसिंह और मोरारजी भाई की गवाहियों से स्पष्ट है कि मदनलाल द्वारा प्रोफ़ेसर जैन को षड्यन्त्र की बात बताने के पूर्व ही महात्मा गांधी के हत्या की योजना तैयार की जा चुकी थी।

अभियुक्तों पर जुर्म

अभियुक्त नं० १ नाथूराम गोडसे के विषय में श्री दफ्तरी ने कहा कि वह केवल हत्या का ही ज़िम्मेवार नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर महात्मा गांधी की हत्या का षड्यन्त्र रचने का भी ज़िम्मेवार है। देखा जाय तो २० जनवरी को गांधीजी की प्राथना-सभा में बम-विस्फोट की घटना और ३० जनवरी को उनकी हत्या किया जाना, ये दोनों परस्पर सम्बन्धित घटनाएँ हैं, जो एक ही उद्देश्य को लेकर हुई हैं। अभियुक्त के बयान से मालूम होता है कि यह हत्या पहले से सोच-विचार कर की हुई हत्या है और अभियुक्त ने जान-बूझकर यह हत्या की है। यह यह हत्या राजनीतिक हत्या है और किसी व्यक्ति को किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं।

अभियुक्त नं० २ नारायण आपटे को इस षड्यन्त्र का दिमाग़ बताते हुए श्री दफ्तरी ने बताया कि, अभियुक्त के कथनानुसार, २० जनवरी को वह गांधीजी की प्राथना-सभा में शरणार्थी स्वयंसेवकों को साथ लेकर प्रदर्शन करने गया था, लेकिन अपने इस कथन के समर्थन में उसने कोई गवाह पेश नहीं किया। इसी प्रकार अभियुक्त का कहना है कि ३०-३१ जनवरी को वह बम्बई

में था तथा वह श्री जमनादास मेहता नामक वकील से सलाह-मशविरा करने गया था, लेकिन इस सम्बन्ध में भी अभियुक्त की ओर से कोई गवाह पेश नहीं किया गया। ३० जनवरी को अभियुक्त के नाम नाथूराम गोडसे द्वारा दिल्ली से भेजे हुए अपने फोटो और पत्र का उल्लेख करते हुए श्री दफ़्तरी ने बताया कि, इस सम्बन्ध में भी अभियुक्त की ओर से कोई गवाही पेश न किये जाने के कारण उक्त कथन मान्य नहीं हो सकता। उक्त फोटो के सम्बन्ध में बयान देते हुए पुलिस फोटो ग्राफर ने बताया है कि यह फोटो दो-तीन वर्ष पुराना है, जब कि गोडसे के कथनानुसार वह ३० जनवरी को दिल्ली में खिचवाया गया था।

अभियुक्त नं० २ विष्णु करकरे के सम्बन्ध में श्री दफ़्तरी ने कहा कि २९ मई, १९४७ को अभियुक्त द्वारा बडगे को लिखे हुए पत्र से मालूम होता है कि वह बडगे से अस्त्र-शस्त्रों का लेन-देन करता था। अभियुक्त ने अपने उक्त पत्र में बडगे को कुछ 'पुस्तक' (हथगोले) भेजने के लिए लिखा है, जिसकी क़ीमत १५०) तय हुई थी। अभियुक्त नं० २ के साथ अपनी गिरफ़्तारी के समय पाये गये बम्बई की लोकल गाड़ियों के टिकटों के आधार से अभियुक्त का कहना है कि ३०-३१ जनवरी को वे दोनों बम्बई में मौजूद थे, लेकिन सरकारी पक्ष द्वारा पेश की गई गवाही से यह बताया जा चुका है कि ये टिकट रेलवे स्टेशन पर से इकट्ठे किये हुए हैं।

अभियुक्त नं० ४ मदनलाल के सम्बन्ध में श्री दफ्तरी ने कहा कि अभियुक्त ने इस बात को स्वीकार किया है कि २० जनवरी को उसने गांधीजी की प्रार्थना-सभा में पहुँचकर बम का धड़ाका किया। अभियुक्त का कथन है कि बम का धड़ाका करने के पश्चात् गिरफ़्तार होकर 'वह गांधीजी से मिलना चाहता था

जिससे शरणार्थी हिन्दुओं के कष्टों को उनके सामने रख सके। लेकिन यह बड़ा हास्यास्पद मालूम होता है कि कोई व्यक्ति इतनी ख़तरनाक चीज़ का धड़ाका करने के बाद जान-बूझकर अपने आपको गिरफ़्तार करा दे।

अभियुक्त नं० ५ शंकर किस्तैया के सम्बन्ध में श्री दफ़्तरी ने बताया कि उसने अपना जुर्म स्वयं स्वीकार किया है। उसने केवल यह स्वीकार नहीं किया कि बडगे ने उसे बिडला हाउस पहुँचने का उद्देश्य बताया था। परन्तु अभियुक्त अस्त्र-शस्त्र और गोला-बारूद बाँटे जाने के समय मरीना होटल में मौजूद था और वह अन्य अभियुक्तों के साथ बिडला हाउस में आया था। इससे स्पष्ट है कि अभियुक्त को बिडला हाउस आने का उद्देश्य मालूम था।

अभियुक्त नं० ६ गोपाल गोडसे का कहना है कि १९-२० जनवरी को वह अपने गाँव उकसन में मौजूद था, लेकिन इस कथन के समर्थन में उसने कोई गवाही पेश नहीं की।

अभियुक्त नं० ७ सावरकर से १४ जनवरी की शाम को गोडसे और आपटे ने मुलाक़ात की थी। उसके बाद आपटे, गोडसे और बडगे अस्त्र-शस्त्र और विस्फोटक पदार्थों का थैला लेकर अभियुक्त से मिले। प्रोफ़ेसर जैन की गवाही से मालूम होता है कि अहमदनगर में मदनलाल के 'पराक्रमों' की बात सुनकर अभियुक्त ने उसकी पीठ थप-थपाई। फिर १५ जनवरी को आपटे ने बडगे तथा अन्य अभियुक्तों से कहा कि सावरकर ने तयकिया है कि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, और सुहरावर्दी को समाप्त कर देना चाहिए और यह काम उन लोगों के सुपुर्द किया गया है। १७ जनवरी को नाथूराम गोडसे ने तात्याराव सावरकर ने अन्तिम दर्शन करने का प्रस्ताव किया

तथा नाथूराम गोडसे, आपटे और बडगे जब सावरकर सदन से लौट रहे थे तो अभियुक्त ने उन लोगों से यशस्वी होकर लौट आने को कहा। इसके बाद टैक्सी में बैठ कर आपटे ने कहा कि सावरकर ने भविष्य वाणी की है कि गांधीजी के १०० वर्ष समाप्त हो चुके।

अभियुक्त के घर से जो पत्रों का पुलिन्दा मिला है उससे भी अभियुक्त का आपटे और गोडसे के साथ सम्बन्ध होना सिद्ध होता है।

अभियुक्त नं० ८ परचुरे ने अपने बयान में कहा है कि २७ जनवरी को उसके घर दो व्यक्ति आये, और उन्होंने कहा कि वे हत्या करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं जिसके लिए उन्हें एक रिवाल्वर की जरूरत है। मधुकर काले और खिरे की गवाहियों से भी इस कथन का समर्थन होता है। अभियुक्त ने ग्वालियर के फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट श्री बी० आर० अतल की मौजूदगी में अपना बयान लिखवाया है, इससे मालूम होता है कि यह बयान इच्छापूर्वक दिया हुआ है तथा अभियुक्त के पिता सदाशिव गोपाल परचुरे का जन्म पूना में हुआ था, इसलिए अभियुक्त को ब्रिटिश भारत का ही रहनेवाला मानना चाहिए—ग्वालियर रियासत का नहीं।

———

बचाव पक्ष के वकीलों की बहस

१० दिसम्बर को दिल्ली के लाल क़िले में अभियुक्त नं० २ आपटे के वकील श्री के० एच० मेंगले ने बहस शुरू करते हुए बताया कि बिना किसी उचित सन्देह के जुर्म को साबित करने की ज़िम्मेवारी सरकारी पक्ष की है। यदि अभियुक्त के बाबत जज के मन में उचित सन्देह रह जाता है तो अभियुक्त बरी किये जाने का हक़दार है, तथा इस प्रकार के फ़ौजदारी के मुक़दमे में अभियुक्त के लिए स्वतत्र गवाह पेश करना ज़रूरी नहीं।

गोडसे और आपटे के, नाम बदल कर, हवाई जहाज से दिल्ली की यात्रा करने का कारण बताते हुए श्री मेंगले ने कहा कि जहाज़ की दो सीटें किन्हीं अन्य दो व्यक्तियों ने रिज़र्व कराई थीं लेकिन बाद में उन लोगों ने अपनी दिल्ली यात्रा स्थगित कर दी और अपने टिकट बेच दिये।

(इस पर जज ने सुझाया कि ऐसी हालत में उन दोनों व्यक्तियों का अदालत में पेश किया जाना आवश्यक था।)

गोडसे और आपटे के ग्वालियर जाने के सम्बन्ध में श्री मेंगले ने कहा कि वे लोग डा० परचुरे के यहाँ, प्रदर्शन के लिए, स्वयं-सेवक लेने गये थे। सरकारी पक्ष ने इस बात को हास्यास्पद बताते हुए इसका निषेध किया है, लेकिन अभियुक्तों का पिस्तौल के लिए बम्बई छोड़कर ग्वालियर भागना और भी हास्यास्पद मालूम होता है।

श्री मैंगले ने बताया कि १४ फ़र्वरी को आपटे की गिरफ़्तारी के समय उसके पास जो रेल के टिकट, तार की रसीद और एक पत्र बरामद हुए हैं, उससे प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ३०-३१ जनवरी को बम्बई में मौजूद था। बचाव पक्ष के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वह इस सम्बन्ध में गवाह पेश करे। आपटे की मौजूदगी में ही बम्बई के ग्रांटरोड के तारघर से मिस सालवी ने दिल्ली के हिन्दू महासभा के सेक्रेटरी को तार भेजा था।

(इस पर जज ने बताया कि गांट्र रोड के तारघर में आपटे की उपस्थिति साबित नहीं होती। मिस सालवी की गवाही पेश की जानी चाहिए थी।)

३० जनवरी को दिल्ली से गोडसे द्वारा आपटे के नाम लिखे हुए पत्र की चर्चा करते हुए श्री मेंगले ने कहा कि यदि ३० तारीख़ को आपटे दिल्ली में मौजूद होता तो गोडसे को उक्त पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं थी।

(इस पर जज ने कहा कि बचाव पक्ष के अनुसार, यह पत्र आपटे के भाई को मिला है और उसी ने इसे खोला है। ऐसी दशा में अदालत में उसकी गवाही पेश की जानी चाहिए थी जिससे अदालत को पत्र की सत्यता का पता लगता। उधर सरकारी पक्ष की ओर तीन गवाह पेश किये जा चुके हैं, जिससे मालूम होता है कि ३० तारीख़ को अभियुक्त दिल्ली के मेन रेलवे स्टेशन पर मौजूद था। बचाव पक्ष के वकील के कथन मात्र से ये गवाहियाँ कैसे रद्द की जा सकती हैं ? सम्भव है कि आपटे ने अपने आपको बचाने के लिए गोडसे से इस तरह का पत्र लिख देने को कह दिया हो। कुछ भी हो, इस पत्र से ३० जनवरी को बम्बई में अभियुक्त की उपस्थिति साबित नहीं होती।)

१६ अप्रैल को सी० आई० डी० आफ़िस में, आपटे के ट्रंक में से, ज पैराट मिला है उसके सम्बन्ध में श्री मेंगले ने बताया कि सबूत बनाने के लिए पुलिस ने जान बूझकर यह पैंट अभियुक्त के ट्रंक में रख दिया है।

गोडसे के बीमों के विषय में श्री मेंगले ने कहा कि चूँकि गोडसे और आपटे प्रदर्शन करने दिल्ली जानेवाले थे, ऐसी हालत में गोडसे को डर था कि कहीं उसे जेल न हो जाय। इसलिए उसने अपने बीमों को श्रीमती गोपाल गोडसे और श्रीमती आपटे के नाम करा दिया ताकि उसकी अनुपस्थिति में उसके बीमों की किश्तें कम्पनी के दफ़्तर में पहुँचती रहें।

बडगे की गवाही का उल्लेख करते हुए श्री मेंगले ने बताया कि उसकी गवाही को आँकने से पहले उसके चरित्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बडगे अस्त्र-शस्त्रों में चोर-बाज़ार करता था, वह मिथ्याभाषी है और उसके कोई सिद्धान्त नहीं। ऐसी हालत में उसकी गवाही प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती।

दादा महाराज की गवाही की चर्चा करते हुए श्री मेंगले ने कहा कि यह गवाह अभियुक्त द्वारा जिन्नाह और लियाक़त अली की हत्या कराना चाहता था और पाकिस्तान जानेवाली बारूद की ट्रेन को उड़वाना चाहता था। इसके सिवाय, उसने बहुत-से अस्त्र-शस्त्र और गोला-बारूद एकत्र किये थे, इन को वह लोगों में बाँटता था। ऐसी हालत में स्पष्ट है कि गवाह ने अपने आपको बचाने के लिए असत्य भाषण किया है, इस-लिए उसकी बातों पर विश्वास करना ख़तरनाक है। इसी तरह दादा महाराज के भाई दीक्षित महाराज भी अस्त्र-शस्त्रों का व्यापार करते थे और हिन्दू-मुसलिम दंगों के अवसर पर वे

बडगे से शस्त्र ख़रीदते थे। ऐसी दशा में उनकी गवाही भी प्रामाणिक नहीं कही जा सकती।

तत्पश्चात् शंकर किस्तैया के वकील श्री एच० आर० मेहता ने अपने मुवक्किल का बचाव करते हुए कहा कि अभियुक्त अपने मालिक बडगे (सरकारी गवाह) का वफ़ादार नौकर था, और उसे गांधी-हत्या-षड्यन्त्र के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अभियुक्त जहाँ कहीं जाते थे, वे अभियुक्त को दूर ही दूर रखते थे, इससे भी यही मालूम होता है कि गोडसे और आपटे ने उसे अपने विश्वास में नहीं लिया था।

श्री मेहता ने बताया कि अभियुक्त को यह मालूम नहीं था कि यह सब क्या हो रहा है, एक चालित यन्त्र के समान वह अपना काम करता गया। ऐसी दशा में उसकी गणना षड्यन्त्र कारियों में कैसे की जा सकती है ? अभियुक्त सितम्बर-अक्तूबर, १९४६ से बडगे के यहाँ नौकरी करता था, इसलिए उसने जो अस्त्र-शस्त्र और गोला-बारूद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम किया है उसे अपना कर्तव्य समझकर ही किया है। ऐसा करना जुर्म होगा, यह बात कभी उसके दिमाग़ में भी नहीं आई होगी। फिर वह बिलकुल अनपढ़ है, और नौकरी करने के समय से ही यह काम करता आया है। इसके सिवाय, षड्यन्त्र में अभियुक्त के शामिल होने में कोई राजनीतिक या आर्थिक कारण था, इस बात को सरकारी पक्ष की ओर से भी नहीं सुझाया गया।

फिर भी यदि अदालत अभियुक्त को दोषी करार देती ही है तो उसे अधिक से अधिक हथियार क़ानून के अन्दर ही सज़ा दी जानी चाहिए, तथा उस हालत में यह बात भी मद्दे

नज़र रक्खी जानी चाहिए कि अभियुक्त केवल अपने मालिक का वफ़ादार नौकर था।

तत्पश्चात् अपने मुक़दमे की बहस स्वयं करते हुए नाथूराम गोडसे ने कहा कि वह अदालत के सामने इस बात को पहले ही स्वीकार कर चुका है कि गांधीजी की हत्या का ज़िम्मेवार वह स्वय है, लेकिन वह इस बात का निषेध करता है कि वह हत्या के किसी षड्यन्त्र में सम्मिलित था।

अपने दो बीमों की चर्चा करते हुए गोडसे ने कहा कि बडगे के कथनानुसार गांधी-हत्या का षड्यन्त्र नवम्बर से आरम्भ होता है, ऐसी हालत में उसे पहले से ही अपने बीमों को दूसरों के नाम करा देना चाहिए था? उसने ऐसा क्यों नहीं किया? इसके सिवाय, उसे अपनी अन्य सम्पत्ति को भी दूसरों के नाम करा देना चाहिए था।

मिस शान्ता मोडक की गवाही का उल्लेख करते हुए गोडसे ने बताया कि मिस मोडक ने हम लोगों को सावरकर सदन की ओर जाते हुए देखा, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि हम लोग सावरकर सदन गये। गवाही में यह भी कहा गया है कि गोडसे और आपटे की बातों से यह पता चला कि वे लोग सावरकर सदन जाना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने यह भी कहा था कि हम शिवाजी पार्क जाना चाहते हैं। बडगे के कथनानुसार १४ जनवरी की शाम को आपटे और गोडसे थैला लेकर सावरकर सदन गये। बडगे का यह भी कहना है कि उस समय वहाँ मकान के किरायेदारों के सिवाय दो पहरेदार तथा सावरकर के सेक्रेटरी और अंगरक्षक भी मौजूद थे। लेकिन सरकारी पक्ष की ओर से इन्हें गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया जिससे उनके सावरकर सदन जाने की बात साबित हो सके।

इसी तरह १५ जनवरी को आपटे, बडगे, करकरे और गोडसे के दीक्षित महाराज के घर जाने के सम्बन्ध में दीक्षित महाराज के नौकर को गवाह के रूप में पेश करना चाहिए था लेकिन सरकारी पक्ष की ओर से ऐसा नहीं किया गया।

इसी प्रकार २० जनवरी को मरीना होटल में अभियुक्तों की उपस्थिति सिद्ध करने के लिए होटल के गवाह पेश किये जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं किये गये। उस दिन अभियुक्तों के वहाँ मौजूद रहने में केवल यही प्रमाण दिया गया है कि ४० नं० के कमरे में ठहरनेवाले व्यक्ति ने २० जनवरी को चाय के तीन प्याले अधिक मँगवाये। लेकिन यदि कोई हत्या का षड्यन्त्र होता तो षड्यन्त्र की इस नाज़ुक स्थिति में इस तरह चाय मँगवाकर अभियुक्त अपने आपको होटल के बेरा के सामने क्यों प्रकट करते ? इससे पता चलता है कि बडगे की कही हुई बात में सचाई नहीं है। बहुत सम्भव है कि होटल के बेरा ने ग़लती से अपने बिल में चाय के अधिक प्यालों को लगा दिया हो।

सरकारी पक्ष के गवाहों ने बताया है कि उन्होंने २० जनवरी को बिडला हाउस में गोडसे को देखा। यदि यह कहना सच है तो ३० तारीख़ को जब उसने गांधीजी के इतने नज़दीक पहुँच कर उन पर गोली चलाई तो उन लोगों ने उसे क्यों नहीं पकड़ लिया ? इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि २० जनवरी को जब गांधीजी की प्राथना-सभा में बमका धड़ाका हुआ, अभियुक्त वहाँ उपस्थित नहीं था।

दादा महाराज की गवाही का उल्लेख करते हुए गोडसे ने कहा कि १७ जनवरी को जब वे मेरे और आपटे के साथ हवाई जहाज़ से अहमदाबाद जा रहे थे तब, उन्होंने कहा था कि हम लोग बातें बहुत करते हैं, और करते कुछ नहीं। यह कहने से

उनका मतलब था कि हम लोगों ने अभी तक न जिन्नाह साहब की हत्या की और न लियाक़तअली की, और न पाकिस्तान की विधान परिषद् को ही उड़ाकर ख़तम किया। इससे स्पष्ट है कि दादा महाराज स्वयं हम लोगों को जुर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, फिर उनकी गवाही को कैसे विश्वसनीय माना जा सकता है? स्वाभाविक है कि उन्होंने अपनी रक्षा के लिए झूठ बोलकर यह प्रपंच रचा है।

बचाव पक्ष की ओर से कोई गवाह न पेश किये जाने की चर्चा करते हुए गोडसे ने बताया कि हिन्दुस्तान के इतिहास में यही मुक़दमा ऐसा है जिसमें सरकार और जनता एक तरफ़ है और अभियुक्त दूसरी तरफ़। ऐसी हालत में कोई हम लोगों की गवाही देना पसन्द न करेगा। इसके अलावा हमारे आदमियों को पहले ही काफ़ी क्षति पहुँच चुकी है, अब गवाह पेश करके मैं उन्हें अधिक नुक़सान नहीं पहुँचाना चाहता।

इसके पश्चात् करकरे के वकील श्री एन० डी० डाँगे ने अपनी बहस शुरू करते हुए कहा कि इस तरह के फ़ौजदारी के मामलों में अभियुक्त को अपने गवाह पेश करने की आवश्यकता नहीं, तथा जुर्म साबित करने का भार सरकारी पक्ष पर ही रहता है। क़ानून का कहना है कि चाहे किसी दोषी व्यक्ति को दोष से मुक्त भले ही कर दिया जाय लेकिन एक भी निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं दी जानी चाहिए।

२९ मई, १९४७ को करकरे द्वारा बडगे को लिखे हुए पत्र के सम्बन्ध में बताते हुए श्री डाँगे ने कहा कि पहले तो अभियुक्त के अनुसार वह उसका लिखा हुआ पत्र नहीं है, दूसरे, बडगे का कहना है कि उस समय वह अस्त्र-शस्त्र और गोला-बारूद का व्यापार नहीं करता था। इसके सिवाय, वह पत्र तलाशी के

समय बडगे के पास से या उसके घर से नहीं मिला; बल्कि उसकी पत्नी ने पुलिस को लाकर दिया है। फिर इस पत्र में किसी स्थान का उल्लेख नहीं है कि यह कहाँ से लिखा गया है। यदि करकरे ने यह पत्र लिखा होता तो वह अवश्य ही स्थान का उल्लेख करता। इससे मालूम होता है कि यह पत्र बनावटी है और इससे अभियुक्त के ख़िलाफ़ कोई बात सिद्ध नहीं होती।

डा० जे० सी० जैन, श्री अंगदसिंह और श्री मोरारजी देसाई की गवाहियों का उल्लेख करते हुए श्री डाँगे ने बताया कि ये गवाहियाँ सुनी-सुनाई हैं, और ख़ास-ख़ास बातों मे एक दूसरे के विरुद्ध हैं।

करकरे के पास से मिले हुए रेल के टिकट से पता चलता है कि वह ३१ जनवरी को बम्बई में मौजूद था।

बम्बई के चीफ़ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट मिस्टर ब्राउन की आलोचना करते हुए श्री डाँगे ने कहा कि अभियुक्तों की शनाख़्त के समय कोई मराठी भाष्यकार मौजूद नहीं था जब कि ब्राउन साहब को यह मालूम था कि करकरे केवल मराठी भाषा समझता है।

वी० डी० सावरकर की पैरवी के लिए स्वर्गीय श्री चितरंजन दास के भाई और पटना-हाईकोट के भूतपूर्व जज श्री पी० आर० दास को ख़ास तौर से बुलाया गया था। उन्होंने बताया कि इसका कोई कारण नहीं बताया गया कि २० जनवरी की शाम को हत्या के लिए कटिबद्ध होकर आये हुए सात व्यक्ति महात्मा गांधी की हत्या करने में क्यों असफल रहे, जब कि ३० जनवरी के मुक़ाबिले में गांधीजी की प्रार्थना-सभा में उस दिन पुलिस का कोई प्रबन्ध नहीं था। वास्तव में जो कुछ हुआ उससे सरकारी पक्ष की ओर से पेश की हुई गवाहियों की निष्फलता ही सिद्ध होती है। इन गवाहों में से किसी ने भी यह नहीं कहा

कि ३० जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या करने का षड्यन्त्र था। सरकारी गवाह बडगे के कथनानुसार २० जनवरी की शाम को जब वह विडला हाउस से हिन्दू महासभा-भवन लौटकर आया तो वह बहुत गुस्सा हुआ और जब आपटे उससे मिलने आया तो उसने उसे चले जाने को कहा। ऐसी दशा में यदि कोई षड्यन्त्र था तो वह वहीं समाप्त हो जाता है। इस बात का कोई सुझाव पेश नहीं किया गया कि २० जनवरी के बाद कभी भी महात्मा गांधी की हत्या करने का कोई दूसरा षड्यन्त्र रचा गया था।

श्री दास ने बताया कि बडगे के अनुसार, जौलाई-अगस्त, १९४७ में आपटे और करकरे उससे अस्त्र-शस्त्र और गोला-बारूद ख़रीदने आये, तथा आपटे को एक स्टेन गन की ज़रूरत थी। यद्यपि बडगे के इस कथन का समर्थन नहीं किया गया, और आपटे और करकरे ने इस बात को इन्कार किया है, लेकिन फिर भी यदि बडगे की गवाही सच मानी जाय और अदालत उसे मान्य करे तो कहना न होगा कि इस 'मसाले' की उस दुबले-पतले बूढ़े आदमी को मारने के लिए आवश्यकता नहीं थी जो प्रार्थना-सभा में बैठकर अहिंसा का उपदेश दे रहा था, बल्कि हैदराबाद रियासत के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए इसकी ज़रूरत थी तथा बडगे ने इस बात को स्वीकार किया ही है कि वह हैदराबाद के हिन्दुओं को अस्त्र-शस्त्र बेचता था।

दीक्षित महाराज की गवाही का ज़िक्र करते हुए श्री दास ने बताया कि स्वयं उनके कहे अनुसार वे बडगे से अस्त्र-शस्त्र और गोला-बारूद का लेन-देन करते थे। उनके ख़िलाफ़ बड़ी आसानी से फ़ौजदारी का मुक़दमा चलाया जा सकता था, लेकिन वे अभी भी आज़ादी से घूमते हैं और बम्बई-सरकार ने उनके ख़िलाफ़

कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे उन्हें इस मुक़दमे में गवाह बना दिया है। ऐसी हालत में अदालत को दीक्षित महाराज की गवाही मान्य नहीं करनी चाहिए, और किसी भी हालत में उनकी गवाही को महत्त्व नहीं देना चाहिए।

बडगे के कथनानुसार १५ जनवरी को दीक्षित महाराज के घर से अभियुक्तों के लौटते समय आपटे ने उससे दिल्ली चलने के लिए पूछा, और साथ ही यह भी कहा कि सावरकर ने निश्चय किया है कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुहरावर्दी को समाप्त कर दिया जाय, तथा यह काम उन्हें सौंपा गया है। बडगे के इस बयान की आलोचना करते हुए श्री दास ने कहा कि किसी व्यक्ति के विषय में यह निश्चय हुए बिना कि वह षड्यन्त्र में शामिल हो सकेगा या नहीं, उससे षड्यन्त्र का भेद बताना बड़ा असंगत मालूम होता है।

डा० जगदीशचन्द जैन की गवाही का उल्लेख करते हुए श्री दास ने बताया कि उनकी बात विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती। मदनलाल को यह समझने का कोई कारण नहीं था कि डा० जैन को गांधीजी के प्रति कोई विद्वेष है, अथवा डा० जैन उसके विचार का समर्थन करेंगे, बल्कि उसे यही समझने का कारण था कि वे षड्यन्त्र से सहमत नहीं होंगे, जैसा कि डा० जैन के बयान से भी मालूम होता है कि वे षड्यन्त्र की बात सुनकर भयभीत हो गये। ऐसी हालत में षड्यन्त्र का ख़ातमा नहीं हो जाना चाहिए था बशर्ते कि डा० जैन एक नागरिक की हैसियत से अपने कर्तव्य का पालन करते।

डा० जैन का कहना है कि मदनलाल की बात को उन्होंने गम्भीरता से नहीं लिया, लेकिन यह कहना झूठ है। क्योंकि वे इस बात को श्री अंगदसिंह से कहने के लिए काफ़ी चिन्तित

थे। इसी प्रकार उन्होंने श्री जयप्रकाश नारायण से भी षड्यन्त्र के विषय में कहा। अगर किसी व्यक्ति को उन्होंने इसकी सूचना नहीं दी तो केवल बम्बई-पुलिस के अफ़सर को। उसके बाद जब उन्होंने २० जनवरी को बिडला हाउस में बम-विस्फोट की और मदनलाल की गिरफ्तारी की खबर अखबारों में पढ़ी तो वे डर गये कि कहीं पुलिस को उनके और मदनलाल के सम्बन्ध मालूम न हो जायँ, जिसके फलस्वरूप उन्होंने बम्बई के मन्त्रियों को षड्यन्त्र की सूचना दी।

इसके सिवाय, २१ जनवरी को जब प्रोफ़ेसर जैन ने बम्बई के प्रधान मन्त्री और गृहमन्त्री को षड्यन्त्र की सूचना दी तो उन्होंने उनका कोई लिखित बयान नहीं लिया। इसी प्रकार मदनलाल ने जो कुछ प्रोफ़ेसर जैन से कहा, उसे उन्होंने नहीं लिखा। मामले के इतने गम्भीर होने पर भी दोनों में से किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। प्रोफेसर जैन की कहानी सुनने के बाद गृहमन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने डिप्टी कमिश्नर पुलिस मिस्टर नगरवाला को बुलाया, लेकिन जब राष्ट्रपिता का जीवन खतरे में पड़ा हुआ था, नगरवाला किसी अन्य कार्य में व्यस्त थे। बाद में नगरवाला मिस्टर देसाई से रेल के स्टेशन पर मिलने गये। मिस्टर देसाई ने उन्हें जैन द्वारा कही हुई कहानी सुना दी। लेकिन नगरवाला ने भी इसको लिखने की आवश्यकता नहीं समझी, इससे पुलिस अफ़सर के निर्दय आचरण का पता लगता है।

(इस पर जज महोदय ने प्रश्न किया कि क्या यह बात श्री मोरारजी देसाई के विषय में भी लागू होती है ?)

उत्तर में श्री दास ने कहा कि अवश्य श्री देसाई को भी इस

बात का जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने राष्ट्रपिता के जीवन की रक्षा के लिए क्यों कोई प्रयत्न नहीं किया जब कि उन्हें हत्या के षड्यन्त्र की सूचना २१ जनवरी को मिल चुकी थी ?

प्रश्न होता है कि जब प्रोफ़ेसर जैन ने षड्यन्त्र के विषय में श्री मोरारजी देसाई से सब कुछ कह दिया था तो उसकी सर्व-प्रथम रिपोर्ट क्यों तैयार नहीं की गई ? अभियुक्त के जुर्मों की जाँच करते समय अदालत को इस बात पर ध्यान देना चाहिए।

यह बात भी असम्भव-सी मालूम होती है कि जब प्रोफ़ेसर जैन ने २१ जनवरी को षड्यन्त्र का भेद बता दिया था तो उनका बयान १७ फ़र्वरी तक क्यों दर्ज नहीं किया गया ? आगे चलकर श्री दास ने बताया कि इंडियन एविडेन्स एक्ट की १५७ वीं धारा के अनुसार, ज्योंही मदनलाल ने प्रोफ़ेसर जैन से षड्यन्त्र का भेद बताया था, त्योंही उसे यदि वे श्री मोरारजी को बता देते तो श्री मोरारजी देसाई की गवाही को उनके समर्थन में पेश किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रोफ़ेसर जैन २० जनवरी तक ठहरे रहे।

सावरकर के विषय में बोलते हुए श्री दास ने बताया कि उनके मुवक्किल के विरुद्ध गवाही के केवल तीन अंश पेश किये जा सकते हैं—दीक्षित महाराज के घर से लौटते समय आपटे का कथन, १७ जनवरी को गोडसे और आपटे का सावरकर से मिलने जाना, और टैक्सी में बैठकर आपटे द्वारा सावरकर की भविष्यवाणी का ज़िक्र किया जाना। इस सम्बन्ध में एविडेन्स एक्ट की १० वीं धारा का उल्लेख करते हुए श्री दास ने बताया कि आपटे के कथन को सावरकर के विरुद्ध इस्तैमाल में लाने के पहले इस बात का विश्वास करने का युक्तियुक्त प्रमाण होना चाहिए कि सावरकर षड्यन्त्र में सम्मिलित थे, अन्यथा यह

कथन मान्य नहीं हो सकता। सावरकर के विरुद्ध खुद आपटे का कथन इस्तैमाल किया जा सकता है, लेकिन आपटे द्वारा कहा हुआ सावरकर का कथन नहीं, और यह कथन उनके सम्मिलित इरादे से सम्बन्धित होना चाहिए। लेकिन आपटे के बयान को अदालत में मान्य करने के पहले सावरकर के षड्यन्त्रकारी होने के विश्वास करने का युक्तियुक्त प्रमाण होना चाहिए।

प्रोफ़ेसर जैन की गवाही की चर्चा करते हुए श्री दास ने बताया कि उनकी गवाही में सावरकर के षड्यन्त्र में शामिल होने का एक भी शब्द नहीं। उन्होंने अपने बयान में यही कहा है कि मदनलाल के अहमदनगर के कार्यों की सावरकर ने प्रशंसा की। और ये कार्य थे राव साहब पटवधन के ऊपर हमला, स्वयंसेवकों का दल बनाना और अस्त्र-शस्त्रों का संग्रह करना। श्री देसाई की गवाही में भी ऐसी कोई बात नहीं जिससे यह बात साबित हो सके कि सावरकर का महात्मा गांधी की हत्या के षड्यन्त्र से कोई सम्बन्ध था।

तत्पश्चात् मदनलाल पहावा के वकील श्री बनर्जी को अपनी बहस शुरू करने को कहा गया। श्री बनर्जी ने बताया कि घटना-क्रम का जिस व्यवस्थित रूप से प्रोफ़ेसर जैन ने वर्णन किया है, उसे देखते हुए मालूम होता है कि पुलिस ने उन्हें सिखाया है। मदनलाल ने ये सब बातें उनसे नहीं कही होंगी। सम्भव है कि मदनलाल ने उनसे स्वयंसेवक दल के बनाने की बात कही हो और आगे चलकर इसी को षड्यन्त्र समझा जाने लगा हो। यदि महात्मा गांधी की हत्या का कोई षड्यन्त्र होता तो प्रोफ़े-सर जैन, श्री अंगदसिंह और श्री मोरारजी देसाई इन तीनों की गवाहियों में परस्पर विरोध न होता।

थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाय कि श्री देसाई का

बयान ठीक है, तो क्या यह सम्भव नहीं है कि प्रोफ़ेसर जैन ने घबरा कर स्वयंसेवक दल की बात को ही महात्मा गांधी की हत्या के षड्यन्त्र रूप में बदल दिया हो ? यदि प्रोफ़ेसर जैन ११ या १२ जनवरी को ही श्री मोरारजी देसाई अथवा अन्य किसी पुलिस अफ़सर को षड्यन्त्र की सूचना दे देते तो उनकी इस बात का विश्वास किया जा सकता था, लेकिन २१ जनवरी तक, जब कि बम का धड़ाका हुआ, उन्होंने इस विषय में एक शब्द भी नहीं कहा। इससे मालूम होता है कि मदनलाल ने १० या ११ जनवरी को उनसे षड्यन्त्र की कोई बात नहीं कही।

श्री देसाई और नगरवाला ने जब प्रोफ़ेसर जैन की कहानी सुनी तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसी हालत में क्या यह समझना युक्तिसंगत न होगा कि उन लोगों ने उनकी कहानी को निरथक समझकर ही उसकी उपेक्षा की ? जब श्री देसाई ने श्री नगरवाला से प्रोफ़ेसर जैन की कही हुई बात को कहा, तो उस समय श्री देसाई को प्रोफ़ेसर जैन का नाम श्री नगरवाला को बताना चाहिए था, या श्री नगरवाला को स्वयं उनका नाम पूछना चाहिए था। लेकिन श्री देसाई प्रोफ़ेसर जैन की बात पर विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए २१ जनवरी को उन्होंने उनका नाम श्री नगरवाला से नहीं बताया तथा महात्मा गांधी की हत्या के तीन-चार दिन बाद श्री देसाई ने श्री नगरवाला को प्रोफ़ेसर जैन से मिलने के लिए कहा था, लेकिन १७ फ़र्वरी तक प्रोफ़ेसर जैन का बयान तक दर्ज नहीं किया गया।

श्री बनर्जी ने बताया कि अदालत के लिए यह आवश्यक है कि वह इस बात का पता लगाये कि षड्यन्त्र कौन सी किस तारीख़ को आरम्भ हुआ। कभी षड्यन्त्र की तारीख़ नवम्बर बताई जाती है, कभी दिसम्बर, और कभी जनवरी। लेकिन इस

बात के प्रमाण मौजूद हैं कि ९ जनवरी तक मदनलाल षड्यन्त्र में नहीं था।

यदि षड्यन्त्र अहमदनगर में रचा गया था तो इस बात के सबूत मौजूद हैं कि अभियुक्त ९ या १० जनवरी को वहाँ नहीं था तथा यदि यह बात साबित हो जाती है कि अभियुक्त ९ जनवरी तक षड्यन्त्र में शामिल नहीं था तो इससे डा० जैन के बयान का खंडन होता है। दीक्षित महाराज के बयान में भी ऐसी कोई बात नहीं जिससे अभियुक्त का षड्यन्त्र में होना सिद्ध हो सके। दीक्षित महाराज का कथन है कि जब १५ जनवरी को नाथूराम गोडसे, आपटे और बडगे उनके घर अस्त्र-शस्त्र और गोला-बारूद की जाँच कर रहे थे तो मदनलाल चुपचाप बैठा हुआ था। यदि मदनलाल षड्यन्त्र में होता तो वह चुपचाप नहीं बैठता।

इसके बाद १९ जनवरी तक अभियुक्त के षड्यन्त्र में होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मदनलाल १७ जनवरी से दिल्ली में था, लेकिन सरकारी पक्ष के किसी गवाह ने यह नहीं कहा कि १७, १८ या १९ जनवरी को वह मरीना होटल में गया। मरीना होटल के साथ उसे सम्बन्धित करनेवाली केवल एक ही घटना है जब २० जनवरी को गिरफ़्तार होने के बाद उसने स्वयं उक्त होटल का कमरा नं० ४० पुलिस को दिखाया। परन्तु अदालत यह फ़ैसला कर चुकी है कि अभियुक्त द्वारा पुलिस को दिये हुए बयान को क़ानून स्वीकार नहीं करता। इसके सिवाय १७ जनवरी से १९ जनवरी तक अभियुक्त दिल्ली में रहा, लेकिन उसका बर्ताव षड्यन्त्रकारी जैसा देखने में नहीं आया आमचेकर बराबर शरीफ़ होटल में अभियुक्त के साथ रहा। तथा मदनलाल यदि महात्मा गांधी की हत्या करने के लिए दिल्ली आया

होता तो वह दिल्ली में अपने सम्बन्धियों से मिलने नहीं जाता और न जयप्रकाश नारायण की सभा में जाता।

ऐसी हालत में अदालत तथा बचाव पक्ष को सरकारी पक्ष से यह जानने का अधिकार है कि षड्यन्त्र कब से आरम्भ हुआ और अभियुक्त उसमें कब सम्मिलित हुआ। परन्तु सरकारी पक्ष इस बात को बताने में असफल रहा है।

(इस पर जज ने प्रश्न किया कि क्या यह अत्यन्त आवश्यक है कि सरकारी पक्ष षड्यन्त्र आरम्भ होने की तारीख निश्चित करे।)

श्री बनर्जी ने उत्तर देते हुए कहा, नहीं, परन्तु सरकारी पक्ष के लिए यह बताना जरूरी है कि किस बात से षड्यन्त्र का आरम्भ हुआ।

श्री बनर्जी ने बताया कि उनका मुवक्किल हैदराबाद रियासत के कार्यकर्ताओं के लिए बडगे की दूकान पर 'मसाला' देखने गया होगा, उस समय तक वह षड्यन्त्र में शामिल नहीं था, यह बात साबित हो चुकी है।

इसके अलावा, बडगे की गवाही के अनुसार महात्मा गांधी के सिवाय पंडित नेहरू और सुहरावर्दी की भी हत्या करने का षड्यन्त्र रचा गया था, लेकिन १९ या २० जनवरी को या बाद में भी षड्यन्त्रकारियों द्वारा दोनों में से किसी पर भी हमला नहीं किया गया। सरकारी पक्ष की ओर से यह नहीं बताया गया कि क्या बम-विस्फोट के बाद षड्यन्त्रकारियों ने अपनी योजना बदल दी थी।

मदनलाल के कोट के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए श्री बनर्जी ने बताया कि इस कोट के ऊपर पुलिस द्वारा १६ अप्रैल तक, जब

तक कि आपटे का पैंट नहीं मिल गया, शनाख़्त का कोई निशान नहीं किया गया।

आगे चलकर श्री बनर्जी ने कहा कि यदि अभियुक्त स्वेच्छा से बयान देना चाहे तो पुलिस उसे दर्ज कर सकती है, अभियुक्त से ज़बर्दस्ती वह बयान नहीं ले सकती। लेकिन पुलिस ने उसके मुवक्किल के बयान ज़बर्दस्ती लिये हैं।

श्री बनर्जी ने यह भी बताया कि इस अदालत ने जिस प्रकार अभियुक्तों पर जुर्म लगाये हैं, वैसा अधिकार उसे नहीं है तथा अभियुक्त का बयान उसी दशा में मान्य हो सकता है जब कि उससे षड्यन्त्र के आगे बढ़ने में सहायता मिलती हो। इसलिए मदनलाल ने जो कुछ प्रोफ़ेसर जैन से कहा है, उससे यदि षड्यन्त्र आगे बढ़ता, तभी अभियुक्त का बयान अदालत द्वारा मान्य किया जा सकता था, अन्यथा नहीं।

तत्पश्चात् गोपाल गोडसे और डा० परचुरे के वकील श्री पी० एल० इनामदार ने अपनी बहस में बताया कि २१ जनवरी को गृहमन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने डिप्टी कमिश्नर पुलिस को गांधी-हत्या-षड्यन्त्र की सूचना देते समय प्रोफ़ेसर जैन का नाम उन्हें क्यों नहीं बताया? यदि प्रोफ़ेसर जैन का नाम क़ानून और व्यवस्था के रक्षक मिस्टर नगरवाला को नहीं बताया जाता तो फिर किसको बताया जायगा? इससे पता लगता है कि श्री देसाई को कोई इतनी गम्भीर सूचना ही नहीं प्राप्त हुई जिससे वे षड्यन्त्रकारियों के विरुद्ध शासन की मशीन को घुमाते। इससे अधिकारियों का आचरण बड़ा सन्देहास्पद प्रतीत होता है।

सरकारी पक्ष की गवाहियों से मालूम होता है कि गांधीजी की हत्या के बाद, ४ फ़र्वरी को प्रोफ़ेसर जैन को नगरवाला से मलाया गया था, परन्तु १७ फ़र्वरी तक पुलिस ने उनका

बयान दर्ज नहीं किया तथा पहले उनका बयान दर्ज करने के बजाय पुलिस ने २३ फ़र्वरी को श्री देसाई का बयान दर्ज किया, जब कि क़रीब क़रीब सब अभियुक्त गिरफ़्तार किये जा चुके थे, और बहुत कुछ ख़बरें इकट्ठी की जा चुकी थीं। इससे यही मालूम होता है कि अपनी इच्छानुसार प्रोफ़ेसर जैन से बयान लिखवाने के लिए ही उनसे पहले श्री देसाई का बयान दर्ज किया गया। ऐसी हालत में प्रोफ़ेसर जैन ने पुलिस को जो बयान दिया वह यथार्थ नहीं माना जा सकता।

गोपाल गोडसे की तलाशी लेने के बाबत श्री इनामदार ने कहा कि रिवाल्वर के लिए अभियुक्त की तलाशी लेने के पहले पञ्चों को नहीं बुलाया गया। अभियुक्त को उकसान में गिरफ़्तार कर उसे पास के पुलिस थाने में ले जाया गया, लेकिन उसकी तलाशी नहीं ली गई। वहाँ से उसे पूना लाया गया, वहाँ भी उसकी तलाशी नहीं ली। पूना से उसे बम्बई लाया गया, लेकिन यहाँ उसकी व्यवस्थित रूप से तलाशी नहीं ली गई। कहा जाता है कि उसके पास से एक थैला बरामद हुआ लेकिन उस समय कोई गवाह मौजूद नहीं था।

गोपाल गोडसे ने १५ जनवरी को सात दिन की छुट्टी की दरख़्वास्त दी। उसको कहा गया कि १६ जनवरी को उसे बोर्ड के सामने उपस्थित होना है। वह १६ तारीख़ को बोर्ड के सामने उपस्थित हुआ, और १७ जनवरी को उसने फिर छुट्टी माँगी। अपनी दरख़्वास्त में उसने अपना पता लिखा था जहाँ वह अपनी छुट्टी बिताना चाहता था। अभियुक्त के दफ़्तर का कोई आदमी अदालत में पेश नहीं किया गया जो यह कहता कि गोपाल गोडसे ने झूठ बोला है और वह छुट्टी के दिनों में उस स्थान पर नहीं था जहाँ का पता उसने दफ़्तर को दिया था।

अतएव यह मानना युक्तिसंगत है कि छुट्टी के दिनों में अभियुक्त उकसान में मौजूद था। २६ जनवरी को वह फिर अपने काम पर लौट आया।

शरीफ़ होटल को गवाहियों का उल्लेख करते हुए श्री इनामदार ने बताया कि उक्त होटल के मैनेजरों के कथनानुसार अभियुक्त १९ जनवरी को मदनलाल और करकरे से मिलने होटल में आया था, लेकिन होटल के मैनेजर को यह कैसे याद रह सकता है कि कौन व्यक्ति उसके होटल में आया ?

सरकारी पक्ष का कहना है कि १९ जनवरी की रात को गोपाल गोडसे दिल्ली के हिन्दू महासभा-भवन में सोया था, ऐसी हालत में सरकारी पक्ष की ओर से हिन्दू महासभा के भवन के गवाहों को पेश किया जाना चाहिए था।

हस्त-लेखन को पहचानने में कुशल व्यक्ति की गवाही का उल्लेख करते हुए श्री इनामदार ने कहा कि गवाह के अनुसार गोपाल गोडसे के हस्ताक्षर उसके होटल के रजिस्टर में किये हुए हस्ताक्षरों से मिलते हैं, परन्तु गवाह का कहना है कि यदि उसमें दस समानताएँ थीं तो अठारह असमानताएँ भी पाई गई हैं। इसके अलावा, गवाह ने अपने बयान में यह कहा है कि 'राज गोपालन' नाम के हस्ताक्षर क़लम उठाकर किये गये हैं लेकिन जिरह में उसने इसके विपरीत ही कहा है।

डा० परचुरे का बचाव करते हुए श्री इनामदार ने बताया कि सरकारी पक्ष का कहना है कि जिस पिस्तौल से महात्मा गांधी की हत्या की गई वह जगदीश गोयल का था, लेकिन इसके समर्थन में कोई गवाही पेश नहीं की गई तथा काले ने पुलिस के दबाव से गवाही दी है, अतएव वह मान्य नहीं हो सकती।

परचुरे के अपराध स्वीकार करने के विषय में श्री इनामदार ने बताया कि अभियुक्त ने अपनी इच्छानुसार बयान नहीं दिया। इसके सिवाय, अभियुक्त के गांधी-हत्या षड्यन्त्र में शामिल होने का कोई कारण नहीं मालूम होता तथा डा० परचुरे ग्वालियर रियासत का रहनेवाला है, उसका जन्म ग्वालियर में ही हुआ था, और वह ग्वालियर के महाराज का ही वफ़ादार है, ऐसी हालत में मौजूदा कोर्ट को उस पर मुक़दमा चलाने का हक़ नहीं।

इस प्रकार महात्मा गांधी की हत्या के ११ महीने पश्चात् और मुक़दमे के आरम्भ होने के लगभग ८ महीने पश्चात् ३० दिसम्बर, १९४८ को श्री आत्माचरण की स्पेशल कोर्ट में गांधी हत्याकाण्ड के मुक़दमे की सुनाई समाप्त हुई।

अदालत का फ़ैसला

१० फ़र्वरी, १९४९ को दिन के साढ़े ग्यारह बजे लाल क़िले दिल्ली की स्पेशल अदालत के जज श्री आत्माचरण ने गांधी-हत्याकाण्ड के मुक़दमे का फ़ैसला सुना दिया।

२०४ पृष्ठों के अपने फ़ैसले में जज साहब ने कहा कि यह सिद्ध हो गया है कि महात्मा गांधी की हत्या का षड्यन्त्र रचा गया था तथा यह षड्यन्त्र जनवरी, १९४८ के आरम्भ में निश्चित रूप से तैयार हो चुका था।

षड्यन्त्र पूना, बम्बई, दिल्ली आदि स्थानों में रचा गया था तथा इसमें कम से कम नाथूराम गोडसे, नारायण डी० आपटे, विष्णु आर० करकरे, मदनलाल के० पहावा, शंकर किस्तय्या, गोपाल गोडसे, और दत्तात्रेय परचुरे, दिगम्बर बडगे (जिसे ताज की ओर से माफ़ी दे दी गई है) के साथ सम्मिलित थे।

सावरकर के विरुद्ध जो सबूत दिये गये हैं, वे सिर्फ़ मुख़-बिर की गवाही के ऊपर अवलम्बित जान पड़ते हैं, इसलिए उनसे सावरकर के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या इरादतन और पहले से सोच विचार कर की है। उसके अपराध को कम करने-वाली कोई बात नहीं है और न उसकी ओर से ही कोई बताई गई है।

महात्मा गांधी की हत्या में सहायता करने में नारायण डी० आपटे का कार्य भी "कम घृणित" नहीं है। उसने शुरू से

आख़िर तक षड्यन्त्र में प्रमुख भाग लिया, तथा ऐन मौक़े पर या तो वह भाग गया अथवा अपराध के घटना-स्थल पर वह पहुँचा ही नहीं। यदि षड्यन्त्र में उसका इतना दिमाग़ काम न करता तो सम्भव है, महात्मा गांधी की कभी हत्या न होती।

२० जनवरी से ३० जनवरी तक मामले की तहक़ीक़ात करने में पुलिस की बेपरवाही की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए जज महोदय ने बताया कि २० जनवरी को मदनलाल पहावा की गिरफ़्तारी के बाद जल्दी ही दिल्ली-पुलिस को उसका विस्तृत बयान प्राप्त हो चुका था। इस बयान के बाबत बम्बई की पुलिस को सूचना दी जा चुकी थी। डाक्टर जे० सी०.जैन ने भी बम्बई-सरकार के गृहमन्त्री श्री मोरारजी भाई को, २१ जनवरी को, इस विषय की सूचना दी थी। इन दोनों बयानों के बाद जल्दी ही दिल्ली और बम्बई के पुलिस अधिकारी एक दूसरे से मिले। लेकिन इतना होने पर भी पुलिस इन दोनों बयानों का कुछ भी फ़ायदा न उठा सकी। यदि २० जनवरी से ३० जनवरी के दर्म्यान षड्यन्त्र की तहक़ीक़ात करने में पुलिस किंचिन्मात्र भी सतर्कता से काम करती तो सम्भवतः यह दुःखान्त घटना न हो पाती।

श्री पी० आर० दास की दलील के अनुसार यदि महात्मा गांधी की हत्या का कोई षड्यन्त्र था तो वह विस्फोटक काण्ड के बाद २० जनवरी को ही समाप्त हो गया था, तथा ३० जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने व्यक्तिगत रूप से की है, अतएव अन्य अभियुक्तों को किसी भी प्रकार अपराधी नहीं ठहराया जा सकता।

परन्तु षड्यन्त्र के अपराध की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अपराध करने के

लिए सहमत हों, वह षड्यन्त्र है। मुक़दमे में कोई ऐसी बात प्रकट नहीं हुई जिससे यह साबित हो कि २० जनवरी को अपने प्रयत्नों के असफल होने के पश्चात् अभियुक्तों ने महात्मा गांधी की हत्या करने के षड्यन्त्र की योजना छोड़ दी हो।

इसके विपरीत जो प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं, उनसे यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त नाथूराम गोडसे और नारायण आपटे बाद में भी बम्बई में बनावटी नामों से घूमते रहे। नाथूराम गोडसे, आपटे, करकरे और गोपाल गोडसे ठाणा में जी० एम० जोशी के मकान पर एकत्र हुए। नाथूराम गोडसे और आपटे दादा महाराज और दीक्षित महाराज के पास रिवाल्वर लेने गये। नाथूराम गोडसे और आपटे ने बनावटी नामों से एक साथ हवाई जहाज़ द्वारा बम्बई से दिल्ली की यात्रा की। उन्होंने ग्वालियर पहुँचकर परचुरे के मार्फ़त पिस्तौल प्राप्त की। नाथूराम गोडसे दिल्ली स्टेशन पर आराम करने के कमरे में ठहरा। आपटे और करकरे उसके साथ थे। इसके बाद नाथूराम गोडसे बिडला भवन में गया और उसने ग्वालियर से लाये हुए पिस्तौल से महात्मा गांधी की हत्या की।

इन घटनाओं से हम केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि २० जनवरी के प्रयत्नों की असफलता के पश्चात् भी वही षड्यन्त्र जारी रहा, और उसी षड्यन्त्र के परिणाम-स्वरूप नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की।

षड्यन्त्र की शुरुआत के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए जज महोदय ने बताया कि सरकारी वकीलों की ओर से यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि षड्यन्त्र कब से, कहाँ और किसके द्वारा, आरम्भ किया गया। परन्तु अभियुक्तों की गति-विधि और उनके आचरण से आसानी से अनुमान किया जा सकता

है कि कम से कम ९ जनवरी १९४८ को यह षड्यन्त्र तैयार हो हो चुका था जब कि नारायण आपटे ने विष्णु करकरे और मदन-लाल पहावा को अन्य दो व्यक्तियों के साथ दिगम्बर बडगे के मकान पर 'मसाले' की जाँच करने भेजा। नारायण आपटे, विष्णु करकरे और मदनलाल अवश्य ही इस समय षड्यन्त्र में शामिल रहे होंगे।

नाथूराम गोडसे षड्यन्त्र में १० जनवरी, १९४८ को सम्मि-लित हुआ जब कि उसने और नारायण आपटे ने दिगम्बर बडगे से दो गन काटन स्लैब और पाँच हथगोले माँगे। १५ जनवरी, १९४८ को बडगे भी इस षड्यन्त्र में शामिल हो गया जब कि उसने नाथूराम गोडसे और आपटे के साथ दिल्ली चलना मंज़ूर कर लिया। गोपाल गोडसे इस साज़िश में १४ जनवरी, १९४८ को शरीक हुआ जब कि उसने ११ दिन की छुट्टी की दरख़्वास्त लिखकर भेजी।

२० जनवरी को शंकर किस्तय्या भी साज़िश में शामिल हो गया जब कि बडगे ने उसे उनके बिडला भवन जाने का उद्देश्य प्रकट किया। २७ जनवरी, १९४८ को दत्तात्रेय परचुरे भी षड्यन्त्र में सम्मिलित हो गया जब कि उसने नाथूराम गोडसे और आपटे के लिए पिस्तौल मँगवाकर देना मंज़ूर किया।

अभियुक्तों के जुर्मों का ज़िक्र करते हुए जज महोदय ने कहा कि नाथूराम गोडसे, आपटे, करकरे, मदनलाल, शंकर किस्तय्या, गोपाल गोडसे और परचुरे भारतीय दण्डविधान की १२० (बी) धारा (षड्यन्त्र) के अपराधी हैं।

अभियुक्तों पर दूसरा जुर्म था कि वे लोग षड्यन्त्र के परि-णाम-स्वरूप बिना लाइसेन्स अस्त्र-शस्त्र और गोला-बारूद लेकर बम्बई से दिल्ली आये। इस सम्बन्ध में जज महोदय ने बताया

कि जिन दो रिवाल्वरों के सम्बन्ध में कहा गया है कि उन्हें दिल्ली लाया गया और हिन्दू महासभा-भवन के पीछे जंगल में चलाकर देखा गया, उनका कोई पता नहीं चला है और न उन्हें अदालत में ही पेश किया गया है। ऐसी हालत में अदालत इस जुर्म को स्वीकार नहीं कर सकती।

तीसरे जुर्म के सम्बन्ध में जज महोदय ने कहा कि नाथूराम गोडसे, आपटे, करकरे, मदनलाल, शंकर किस्तय्या, गोपाल गोडसे और बडगे के पास विस्फोटक पदार्थ, जैसे एक गन कॉटन स्लैब तथा चार हथगोले पाये गये। इससे सिद्ध होता है कि २० जनवरी को (बम-विस्फोट के दिन) अभियुक्तों के पास ये चीज़ें मौजूद थीं अतएव वे विस्फोटक क़ानून के अपराधी हैं।

चौथे जुर्म के विषय में श्री आत्माचरण ने बताया कि २० जनवरी, १६४८ को मदनलाल ने बिडला भवन के पिछले अहाते की दीवार पर गन काटन स्लैब का धड़ाका किया था। उसका यह कार्य क़ानून के विरुद्ध था और दुर्भावना से किया हुआ था तथा उससे किसी की भी जान खतरे में पड़ सकती थी। अतएव मदनलाल विस्फोटक क़ानून का अपराधी है। अन्य अभियुक्त उसे इस कार्य में सहायता देने के कारण अपराधी हैं।

पाँचवें जुर्म के सम्बन्ध में जज महोदय ने बताया कि २० जनवरी को बिडला भवन में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयत्न किया गया था, परन्तु वह आखिर में इसलिए सफल न हो सका कि बडगे ने छोटूराम के कमरे में प्रवेश करने से इन्कार कर दिया।

छठा जुर्म है कि नाथूराम गोडसे और आपटे ग्वालियर से एक पिस्तौल और कारतूसें लेकर दिल्ली आये। यह जुर्म साबित हो गया है। यह भी सिद्ध हो चुका है कि ३० जनवरी को

आपटे और करकरे, नाथूराम गोडसे के साथ, दिल्ली-स्टेशन पर मौजूद थे। नाथूराम गोडसे ने ३० जनवरी को इरादतेन और जान-बूझकर महात्मा गांधी की हत्या की। महात्मा गांधी की हत्या के समय बिडला भवन में आपटे और करकरे की मौजूदगी साबित नहीं की जा सकी।

बिडला भवन में जो काण्ड हुआ उसके बाद बडगे और शंकर षड्यन्त्र से बिलकुल अलग हो गये। इसका कोई प्रमाण नहीं कि बिडला भवन के विस्फोट के पश्चात् गोपाल गोडसे ने भी षड्यन्त्र से अपना सम्बन्ध पूर्ण रूप से विच्छिन्न कर लिया हो। इसके विपरीत इस बात के सबूत हैं कि गोपाल गोडसे २४ जनवरी को बम्बई में नाथूराम गोडसे और आपटे से मिला।

परचुरे षड्यन्त्र में २७ जनवरी को शामिल हुआ जब कि उसने नाथूराम गोडसे और आपटे के लिए पिस्तौल मँगाकर देना स्वीकार किया। परचुरे ब्रिटिश भारत का ही निवासी है। यदि थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाय कि वह ग्वालियर का रहनेवाला है, तो भी जुर्म दिल्ली में हुआ है इसलिए दिल्ली की अदालत उसका विचार कर सकती है।

नाथूराम गोडसे ने इरादतेन और जान-बूझकर महात्मा गांधी की हत्या की है, इसलिए उसे भारतीय दण्डविधान की ३०२ धारा के अनुसार मृत्यु-दण्ड दिया जाता है।

महात्मा गांधी की हत्या में सहायता करने में नारायण डी० आपटे का जुर्म भी किसी प्रकार कम घृणित नहीं है। उसे भारतीय दण्डविधान की १०९ और ३०२ धाराओं के अनुसार मृत्यु-दण्ड की सज़ा दी जाती है।

जहाँ तक करकरे, गोपाल गोडसे और परचुरे का हत्या से सम्बन्ध है, उन्हें प्रत्येक को भारतीय दण्डविधान की १०९ तथा

३०२ धाराओं के अनुसार आजीवन क़ैद की सज़ा देना पर्याप्त होगा। इन धाराओं के अनुसार यह कम से कम दण्ड है।

इसी प्रकार शंकर किस्तय्या और मदनलाल को भारतीय दण्डविधान की १२० (बी) तथा ३०२ धाराओं के अनुसार आजन्म कारावास का दण्ड देना न्यायसिद्ध होगा।

शंकर के विषय में श्री आत्माचरण ने बताया कि वह बडगे का नौकर था, इसलिए उसने जो कुछ किया है अपने मालिक बडगे के आदेश का पालन करने के लिए किया है। बडगे के बिना दूसरे अभियुक्त किस्तय्या से षड्यन्त्र में शामिल होने के लिए नहीं कह सकते थे। ऐसी हालत में शंकर के साथ अवश्य ही कुछ रियायत की जानी चाहिए। इसलिए जज महोदय ने उसकी आजन्म कारावास की सज़ा को ७ वर्ष की सख़्त क़ैद की सज़ा में बदलने की सिफ़ारिश की।

सावरकर के विरुद्ध अभियोगों पर विचार करते हुए जज महोदय ने कहा कि सावरकर के विरुद्ध मुख़बिर बडगे की गवाही के आधार से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यह सोचने का कोई कारण नहीं कि २० और ३० जनवरी को दिल्ली में जो काण्ड हुए उनमें सावरकर का हाथ था। यह किसी तरह सिद्ध नहीं होता कि नाथूराम गोडसे और आपटे सावरकर से मिलने के लिए सावरकर सदन के सामने उतरे थे। सावरकर सदन में केवल सावरकर ही नहीं, बल्कि भिडे और दामले भी रहते थे। यह ठीक है कि कोटियन की गवाही के अनुसार गोडसे, आपटे और मुख़बिर १७ जनवरी को शिवाजी पार्क में उतरे थे; लेकिन इससे मुख़बिर की इस बात का समर्थन नहीं होता कि उसने सावरकर को गोडसे और आपटे से कुछ कहते

हुए सुना। मुखबिर ने कहा है कि उसने सावरकर को गोडसे और आपटे से यह कहते हुए सुना कि 'यशस्वी होउन या' अर्थात् यशस्वी होकर लौटो। लेकिन यह जानने के कोई साधन नहीं कि इसके पूर्व पहली मंज़िल पर सावरकर, तथा गोडसे और आपटे के दरम्यान क्या बातचीत हो रही थी। ऐसी हालत में यह मानने का कोई कारण नहीं कि सावरकर ने मुखबिर की मौजूदगी में जो कुछ गोडसे और आपटे से कहा, वह महात्मा गांधी की हत्या के षड्यन्त्र के सम्बन्ध में कहा था।

मुखबिर बडगे के विषय में श्री आत्माचरण ने कहा कि उसने सरल और सीधे रूप में सब घटनाओं का उल्लेख किया है। प्रश्नोत्तर के समय उसने टालमटोल नहीं की और न ऐसा करने की कोशिश की। उसने जो कुछ कहा है, होनेवाली घटनाओं के साथ उसका सम्बन्ध ठीक-ठीक बैठ जाता है। स्वतन्त्र गवाहियों से भी उसके कथन का समर्थन होता है। ऐसी हालत में मुखबिर की गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं जब कि अन्य गवाहियों से उसका समर्थन हो जाता है।

परचुरे के विषय में श्री आत्माचरण ने बताया कि ग्वालियर में नज़रबन्द होने के समय परचुरे ने जो अपना अपराध स्वीकार किया है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं। परचुरे का बयान आर० बी० अतल की उपस्थिति में यही समझकर लिया गया था कि यह बयान स्वेच्छापूर्वक दिया जा रहा है; किसी अन्य घटना, धमकी अथवा वादे के कारण नहीं। साथ ही परचुरे को अपने अपराध स्वीकार करने के परिणामों के विषय में पूरे तौर से आगाह कर दिया गया था।

अभियुक्तों की सज़ाएँ

नाथूराम गोडसे—

(१) हथियार क़ानून की १९ (सी) धारा के अनुसार अथवा इसके बदले भारतीय दण्डविधान की ११४ धारा और हथियार क़ानून की १९ (सी) धारा सहित २ वर्ष की सख़्त सज़ा ।

(२) हथियार क़ानून की १९ (एफ़) धारा के अनुसार २ वर्ष की सख़्त सज़ा ।

(३) विस्फोटक पदार्थ क़ानून की ५ धारा के अनुसार अथवा इसके बदले विस्फोटक पदार्थ क़ानून की ५ वीं धारा के अनुसार और ६ धारा सहित ३ वर्ष की सख़्त सज़ा ।

(४) विस्फोटक पदार्थ क़ानून की ४ (बी) के अनुसार तथा ६ धारा सहित ५ वर्ष की सख़्त सज़ा ।

(५) विस्फोटक पदार्थ क़ानून की ३ और ६ धाराओं के अनुसार ७ वर्ष की सख़्त सज़ा ।

(६) भारतीय दण्डविधान की ३०२ धारा के अनुसार मृत्युदण्ड—गले में तब तक फाँसी लटकी रहे जब तक प्राण न निकल जायँ । क़ैद की सज़ाएँ एक साथ भोगना है ।

नारायण डी० आपटे—

(१) भारतीय हथियार क़ानून की १९ (सी) धारा के अनुसार २ वर्ष की सख़्त सज़ा ।

(२) भारतीय दण्डविधान की ११४ धारा और भारतीय हथियार क़ानून की १९ (एफ़) धारा सहित २ वर्ष की सख़्त सज़ा ।

(३) विस्फोटक पदार्थ क़ानून की ५ धारा के अनुसार अथवा इसके बदले विस्फोटक पदार्थ की ५ धारा के अनुसार और ६ धारा सहित ३ वर्ष की सख़्त सज़ा।

(४) विस्फोटक पदार्थ क़ानून की ४ (बी) के अनुसार और ६ धारा सहित ५ वर्ष की सख़्त सज़ा।

(५) विस्फोटक पदार्थ क़ानून की ३ धारा के अनुसार तथा ६ धारा सहित ७ वर्ष की सख़्त सज़ा।

(६) भारतीय दण्डविधान की ३०२ धारा के अनुसार मृत्युदण्ड—गले में तब तक फाँसी लटकी रहे जब तक प्राण न निकल जायँ। क़ैद की सज़ाएँ एक साथ भोगना है।

विष्णु आर० करकरे—

(१) भारतीय दण्डविधान की ११४ धारा के अनुसार तथा हथियार क़ानून की १९ (एफ़) धारा सहित २ वर्ष की सख़्त सज़ा।

(२) विस्फोटक पदार्थ क़ानून की ५ धारा के अनुसार अथवा इसके बदले विस्फोटक पदार्थ क़ानून की ५ धारा के अनुसार तथा ६ धारा सहित ३ वर्ष की सख़्त सज़ा।

(३) विस्फोटक पदार्थ क़ानून की ४ (बी) धारा के अनुसार तथा ६ धारा सहित ५ वर्ष की सख़्त सज़ा।

(४) विस्फोटक पदार्थ क़ानून की ३ धारा के अनुसार तथा इसकी ६ धारा सहित ७ वर्ष की सख़्त सज़ा।

(५) भारतीय दण्डविधान की १०९ धारा के अनुसार तथा ३०२ धारा सहित आजन्म कारावास की सज़ा। क़ैद की सज़ाएँ आजन्म कारावास के साथ एक साथ भोगना है।

मदनलाल के० पहावा--

(१) भारतीय दण्डविधान की १२९ (बी) धारा के अनुसार तथा ३०२ धारा सहित आजन्म कारावास की सज़ा।

(२) विस्फोटक पदार्थ क़ानून की ५ धारा के अनुसार अथवा इसके बदले विस्फोटक पदार्थ की ५ धारा के अनुसार तथा ६ धारा सहित ३ वर्ष की सख़्त सज़ा।

(३) विस्फोटक पदार्थ क़ानून की ४ (बी) धारा के अनुसार तथा ६ धारा सहित ५ वर्ष की सख़्त सज़ा।

(४) विस्फोटक पदार्थ क़ानून की ३ धारा के अनुसार १० वर्ष की सख़्त सज़ा।

(५) भारतीय दण्डविधान की ११५ धारा के अनुसार तथा ३०३ धारा सहित ७ वर्ष की सख़्त सज़ा। क़ैद की सज़ाएँ आजन्म कारावास के साथ एक साथ भोगना है।

शंकर किस्तय्या--

(१) भारतीय दण्डविधान की १२० धारा के अनुसार तथा ३०२ धारा सहित आजन्म क़ैद की सज़ा।

(२) विस्फोटक पदार्थ क़ानून की ५ धारा के अनुसार अथवा इसके बदले विस्फोटक पदार्थ की ५ धारा के अनुसार तथा ६ धारा सहित ३ वर्ष की सख़्त सज़ा।

(३) विस्फोटक पदार्थ क़ानून की ४ (बी) धारा के अनुसार तथा ६ धारा सहित ५ वर्ष की सख़्त सज़ा।

(४) विस्फोटक पदार्थ क़ानून की ३ धारा के अनुसार तथा ६ धारा सहित ७ वर्ष की सख़्त सज़ा।

(५) भारतीय दण्डविधान की ११५ धारा के अनुसार तथा ३०२ धारा सहित ७ वर्ष की सख़्त सज़ा। भारतीय दण्डविधान

की १२० (बी) धारा के अनुसार तथा ३०२ धारा सहित दी हुई आजन्म कारावास की सजा फ़ौजदारी क़ानून की ४०१ और ४०२ धाराओं के अनुसार ७ वष की सख्त सजा के रूप में दी जा सकती है। क़ैद की सजाएँ आजन्म-कारावास के साथ एक साथ भोगना हैं।

गोपाल गोडसे--

(१) विस्फोटक पदार्थ क़ानून की ५ धारा के अनुसार अथवा इसके बदले ६ धारा के अनुसार ३ वर्ष सख्त सजा।

(२) विस्फोटक पदाथ क़ानून की ४ (बी) धारा के अनुसार तथा ६ धारा सहित ५ वर्ष की सख्त सजा।

(३) विस्फोटक पदार्थ क़ानून की ३ धारा के अनुसार तथा ६ धारा सहित ७ वर्ष की सख्त सजा।

(४) भारतीय दण्डविधान की १०९ धारा के अनुसार तथा ३०२ धारा सहित आजन्म क़ैद की सजा। क़ैद की सजाएँ आजन्म कारावास के साथ एक साथ भोगना है।

दत्तात्रेय एस० परचुरे--

भारतीय दण्डविधान की १२० (बी) धारा के अनुसार और ३०२ धारा सहित, तथा भारतीय दण्डविधान की १०९ धारा के अनुसार ३२० धारा अपराधी अभियुक्त अपराधी ठहराया गया और तदनुसार उसे भारतीय दण्डविधान की १०९ धारा के अनुसार तथा ३०२ धारा साहित आजन्म कारावास की सजा दी जाती है।

विनायक डी० सावरकर को अपराधी नहीं पाया गया, इसलिए उसे बरी कर दिया गया।

दिगम्बर आर० बडगे ने क्षमा प्रदान करने की शर्तों को पूरा किया है, इसलिए उसे रिहा किया जाता है।

दण्डाज्ञा सुनाने के पश्चात् श्री आत्माचरण ने कहा कि यदि कोई फ़ैसले के विरुद्ध अपील करना चाहे तो आज से १५ दिन के अन्दर कर सकता है।

पता चला है कि नाथूराम गोडसे और आपटे का मृत्यु-दण्ड तब तक कार्यान्वित नहीं किया जायगा, जब तक पूर्वीय पंजाब-हाईकोर्ट विचार नहीं कर लेती।